खण्ड-118, अंक-2
मंगलवार, 28 माघ, शक संवत् 1874
(17 फरवरी, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 118 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
१ अप्रैल १९५४
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ फ़रवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४३)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री,
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री

धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

R.A. 824

भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री

रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनक़वी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा में टनकपुर-पिठौरागढ़ मोटर सड़क के चल्थी व घाट के पुलों का निर्माण

*१—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)— क्या निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा में टनकपुर-पिठौरागढ़ मोटर सड़क के चल्थी व घाट के पुलों के अभी टेण्डर तक नहीं मांगे गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुभूज शर्मा)—जी हां। इन पुलों के निर्माण कार्य को आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बजट को पास हुये आठ महीने व्यतीत हो चुके हैं फिर भी इन पुलों के टेंडर्स क्यों नहीं लिये गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रुपया जो इन पुलों पर खर्च होने वाला है वह सेंट्रल रोड फंड से मिलेगा। इनके डिटेल एस्टीमेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजे गये हैं। उनकी स्वीकृति आ जाने पर काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि जाड़ों में इन पुलों के निर्माण का कार्य हो सकता था और बरसात हो जाने पर यह कार्य नहीं हो सकेगा जिसके फलस्वरूप इस साल भी यह पुल नहीं बन सकेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं जवाब दे चुका हूं कि यह कारण नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार यह आश्वासन देने में समर्थ है कि बजट में जो धनराशि मांगी हुई है वह इसी साल काम में ले ली जायगी और वह लैप्स नहीं होगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह साल तो करीब करीब खत्म होने वाला है इसलिये इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जब मंजूरी आ जायगी काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार कुछ समय बतला सकती है कि यह निर्माण कार्य कब तक हो सकेगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—समय के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश की जायगी।

जिला अल्मोड़ा में सारदा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक का लाभ

*२—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सारदा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक का लाभ चम्पावन व पिठौरागढ़ निर्वाचन क्षेत्र को भी होने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इबाहीम)—जी नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार को मालूम है कि जिला नियोजन कमेटी की भी राय थी कि इन टुकड़ों को भी बिजली शीघ्र से शीघ्र दी जाय?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—नियोजन कमेटी की राय तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन जो शारदा हाइड्रो इलैक्ट्रिक का जो काम बन रहा है और उससे जो एरिया सर्व होने वाला है तो उसमें चम्पावत नहीं आता है। मैं बाद में तलाश करूंगा कि कोई मौका ऐसा हो कि इस एरिया को बिजली दी जा सकती हो तो उस पर गौर किया जाय।

*३—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सूचना विभाग की मोटर गाड़ियों पर पेट्रोल का खर्च

*४—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित सूचना विभाग की मोटर गाड़ियों पर मार्च, सन् १९५१ से अब तक कितना पेट्रोल फी गाड़ी प्रतिमाह खर्च हुआ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—वांछित सूचना संलग्न ब्योरे में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९ पर)

*५—श्री भगवान सहाय—क्या सूचना विभाग के पास कोई टेक्निकल आफिसर रहता है? यदि हां, तो उसकी ड्यूटीज और योग्यतायें बताने की कृपा करें?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना विभाग में मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित टेक्निकल आफिसर मैक्निकल इंजीनियर हैं। उनकी योग्यताएं तथा कर्तव्य निम्नलिखित हैं—

योग्यताएं—लखनऊ गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीटयूट का मैक्निकल व एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विशेष योग्यता प्राप्त की।

सिटी ऐंड गिल्ड्स आफ लंडन इक्जामिनेशन इन्टरमीडियट ग्रेड।

कर्तव्य—मशीनों की देखभाल तथा ड्राइवरों और क्लीनरों के काम की देखभाल। हेडक्वार्टर के मोटरों की लागबुक का भरना तथा निरीक्षण करना। गाड़ियों में पेट्रोल के खर्च का हिसाब रखना। जो गाड़ियां बाहर से बनने आवें उनका तथा हेडक्वार्टर की गाड़ियों की मरम्मत की उचित देखभाल।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो योग्यता उन्होंने टैक्निकल आफिसर्स की बतलाई है उसमें उनकी कोई योग्यता मोटर मिकैनिज्म की जानकारी से संबंध रखने वाली नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मिकैनिकल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा उनके पास है और वह मिकैनिक हैं और मोटर में भी उसी का काम ज्यादातर होता है।

श्री भगवान सहाय—यह जो तालिका दी गयी है उससे साफ जाहिर नहीं है कि देहरादून को जो मोटर गयीं उसका क्या नम्बर था, क्या सरकार उस नम्बर को बतायेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

सबसे कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी

*६—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों में सब से कम तनख्वाह पाने वाले किस प्रकार के कर्मचारी हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—अर्दली, चपरासी और दूसरे अदना दर्जे के नौकर जो जिला हेडक्वार्टर के बाहर काम करते हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अर्दली व चपरासियों की तनख्वाहें आज कितनी हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—उनकी तनख्वाहें १ अप्रैल सन् ४७ से २५ रु० से ३० रुपया तक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या चपरासियों की समस्या के संबंध में कोई डेप्यूटेशन माननीय वित्त मंत्री जी से नैनीताल में मिला था और उस समय माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसके मुताल्लिक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इस कार्यवाही का सवाल करने वाले मेम्बर साहब और मेरे दरमियान कुछ बातचीत होना है। दो एक दफा मैंने चाहा भी लेकिन मौका न मिल सका।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट इंडस्ट्री के उसी तरह का काम करने वाले कर्मचारियों से जो तनख्वाह कम मिलती है वे कारण क्या हैं जिनकी वजह से उनकी तनख्वाहें कम रखी गयी हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—गवर्नमेंट की तनख्वाहों के जो स्केल्स हैं उन तनख्वाहों का लिहाज नीचे की तनख्वाहें मुकर्रर होकर ऊपर को चलता है, इसलिये वे किसी भी तरह उन तनख्वाहों से गवर्न नहीं हो सकतीं जो प्राइवेट आदमी अपने मुलाजमीन को किसी वजह से देता है।

श्री झारखंडे राय—क्या वित्त मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन अर्दली, चपरासियों और दूसरे अदना दर्जे के नौकरों के बारे में सरकार कुछ विचार कर रही है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तो जवाब के खिलाफ सवाल है। इसका जो मुस्तकिल जवाब है वह है "जी नहीं"।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतायेंगे कि अर्दली और चपरासियों के प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के महंगाई भत्ते में जो ८ रुपये का फर्क है, सरकार उसको मिटाने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष—यह सुझाव है आप उसको सरकार के पास भेज सकते हैं

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्दली और चपरासियों के लिये पे कमेटी की रिपोर्ट अभी तक लागू क्यों नहीं हुई है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—लागू तो है लेकिन एक प्वाइंट है जो अभी बाकी है उसके ऊपर भी मेरी आपसे गुफ्तगू होना है।

*७—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार आज की महंगाई को देखते हुये, कम तनख्वाह वालों की तनख्वाह महंगाई के अनुपात में बढ़ाने की किसी योजना पर विचार कर रही है? अगर हां, तो कौन सी योजना?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम— जी नहीं ।

तहसील के खजानों में काम करने वाले तहवीलदारों को सुविधायें

*८—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या वित्त मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि तहसील के खजानों में काम करने वाले तहवीलदारों की तनख्वाह का ग्रेड, सरकारी सुविधाएं, नौकरी की अवधि तथा पेंशन की व्यवस्था क्या है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इस समय तहसील सब ट्रेजरी में काम करने वाले तहवीलदार को ६० रु० माहवार की बंधी हुई तनख्वाह मिलती है और २५ रु० माहवार महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। तहवीलदार सरकारी नौकर नहीं है बल्कि सरकारी खजान्चियों के प्राइवेट नौकर हैं इसलिये तहवीलदारों को सरकारी सुविधायें देने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन सरकारी खजान्चियों को तहवीलदारों की तनख्वाह के ग्यारहवें हिस्से के बराबर एक रकम दी जाती है ताकि वे तहवीलदारों को छुट्टियों की तनख्वाह दे सकें।

तहवीलदार सरकारी नौकर नहीं हैं इसलिये भर्ती के वक्त उनकी उम्र के बारे में कोई पाबन्दी नहीं है। इसलिये यह सरकारी खजान्ची पर निर्भर है कि वह जितने दिनों तक चाहे तहवीलदार को नौकरी में रक्खे क्योंकि तहवीलदार उसी का नौकर है ।

सरकारी नौकर न होने की वजह से तहसीलदार पेंशन पाने के हकदार भी नहीं हैं। कुछ तहवीलदारों जो २५।७।२७ के पहले मुस्तकिल सरकारी नौकर थे उन्हें अपनी नौकरी के हर साल के लिये एक महीने की तनख्वाह के बराबर ग्रैचुटी के तौर पर एक मुश्त (इकट्ठी) रकम दी जाती है। पर इस रकम के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा होने की तादाद मुकर्रर है और शर्त यह भी है कि उनकी नौकरी संतोषजनक होनी चाहिये ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि सन् १९२७ से पहले जब ये लोग मुस्तकिल तौर पर सरकारी नौकर थे तो उसको क्यों इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह जो एक जिले का पूरा एक खजांची होता है वह सन् २७ के पहले भी होता था। हर गबन व हर गलत काम व रुपये के नुकसान की पूरी जिम्मेदारी उस खजांची की है। तो उन खजांचियों ने कहीं यह सवाल उठाया कि जो आदमी उनकी मातहती में काम करने के लिये रखे जायं वे ऐसे होने चाहिये जिनके ऊपर उनका पूरा अख्तियार और काबू हो। इस वास्ते उस वक्त की गवर्नमेंट ने तमाम तहवीलदारों को अलाहदा कर दिया और उस वक्त जो थे उनकी जगह पर जिले के खजांचियों ने अपने अपने आदमियों को मुलाजिम रख लिया। उस वक्त से वह तरीका बराबर चल रहा है और रुपये के मुताल्लिक पूरी जिम्मेदारी उसी तरह से खजांचियों के ऊपर ही है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि पहले के इन्तजाम से इस वक्त के इन्तजाम में कम गबन नहीं है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अगर आपका मतलब सन् २७ के पहले के इन्तजाम से है तो उस वक्त की हालत के सिलसिले में मैंने स्टडी नहीं की है और मुझे नहीं मालूम है कि उस वक्त क्या हालत थी। आज की जो हालत है वह मैं कह सकता हूं।

श्री गेंदा सिंह—यह ठेके का सिस्टम जो खजांचियों के लिये रखा गया है क्या उनकी शिकायत सरकार के सामने आयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मैं ठीक से सुन नहीं सका लेकिन शायद आपका मतलब तहवीलदारों से है । तो तहवीलदारों का एक डेपुटेशन मेरे पास आया था । उसने अपनी मांगें मेरे सामने रखी हैं और मैं उन पर गौर कर रहा हूं।

आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट के निकट घाघरा नदी पर पुल की आवश्यकता

*९––श्री झारखंडे राय––क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट स्थान पर स्थायी पक्का पुल घाघरा नदी पर बनाने का उसका विचार है? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा––जी नहीं। यह पुल नेशनल हाईवेज पर पड़ता है और इसके निर्माण की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। उन्होंने इस पुल के निर्माण कार्य को अभी तक प्राथमिकता नहीं दी है।

*१०––१२–श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)––[१० मार्च, १९३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३–१५––श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––[१७ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिलों में सीमेंट कांक्रीट ट्रैकवेज के कार्य पर व्यय

*१६––श्री गेंदा सिंह––क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिलों में अलग-अलग कितने रुपये सी० सी० ट्रैकवेज के लिये पिछले वर्ष बजट में स्वीकार किये गये थे और उसमें से अब तक कहां-कहां पर कितने रुपये व्यय हुये और कितना काम हो पाया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा––पिछले वर्ष से माननीय सदस्य का तात्पर्य संभवतः १९५२–५३ से है। माननीय सदस्य की मेज पर दो तालिकायें रख दी गयी हैं। तालिका एक में इन जिलों में सन् १९५२–५३ में इस कार्य के लिये स्वीकृत अनुदान तथा वित्तीय वर्ष के अन्त तक अनुमानित व्यय का विवरण दिया है । ठीक-ठीक व्यय का विवरण वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले नहीं दिया जा सकता।

तालिका दो में इन जिलों में नवम्बर, १९५२ तक किया गया सीमेंट कांक्रीट ट्रैक्वेज के कार्य का विवरण दिया गया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ९१ पर)

श्री गेंदा सिंह––क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १८,६०,९०० रुपया जो मंजूर हुआ था उसमें से केवल ५,६०,८०० रुपया इतनी देर तक क्यों खर्च हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––५,६०,८०० रुपया जो खर्च हुआ उसका कारण यह है कि सीमेंट नहीं मिल सका । सामान की कमी के कारण और सीमेंट न मिलने के कारण यह सड़क नहीं बन सकी।

श्री गेंदा सिंह––क्या अगले वर्ष इस रुपये के अलावा भी रुपया मंजूर करके उन सड़कों को बनाने की व्यवस्था की जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा––अगले साल इस सड़क के बारे में ज्यादा काम होने की उम्मीद है, क्योंकि हमने सामान वगैरा का इन्तजाम कर लिया है।

अल्मोड़ा जिले में रानीखेत---द्वाराहाट सड़क की मंजूरी

*१७---श्री मदन मोहनउपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या अल्मोड़ा जिले में रानीखेत-द्वाराहाट सड़क की मंजूरी सन् १९४६ में हो चुकी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां।

*१८---श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह सही है कि सन् १९५२-५३ के बजट में इस सड़क के लिये एक लाख रुपया स्वीकार हुआ था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---बजट में इस सड़क के लिये १ लाख रुपया मंजूर होने से पहले क्या इस सड़क का सर्वे कराया गया था और उसका कितने रुपये का इस्टीमेट आया था।

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, इसका सर्वे कराया गया था और आखिर में इसके लिये ९,६३,००० रुपया मंजूर हुआ था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---किसकी ओर से और कब इस सड़क के लिये नई मोटर सड़क बनाने के लिये सुझाव आया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसमें भिन्न-भिन्न लोगों की तरफ से भिन्न तारीखों पर सुझाव आये और इन सुझावों के कारण ही इस सड़क के बनने का काम शुरू नहीं हो पाया।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---जब भिन्न-भिन्न समय पर इसके लिये सुझाव लोगों के आये तो यह नया सर्वे बजट के मंजूर होने पर ही क्यों शुरू कराया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---असल में जो भी सुझाव आते हैं उन पर विचार करना पड़ता है चाहे वह पहले आये या बाद को।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या इस नई सड़क का सर्वे हो चुका है और कितने रुपये का इस्टीमेट इस सड़क के लिये आया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, सर्वे हो चुका है और उसका नतीजा अच्छा ही हुआ है। यह काम और भी कम में हो जायगा, करीब ६३ हजार रुपया कम हो जायगा और ९ लाख में ही यह सड़क पूरी हो जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सर्वे किस-किस रूट का कराया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये दो रूट थे। पहला तो मीना और रानी खेत होकर दूसरा बांसखेत होकर। इन दोनों रास्तों में असल में सर्वे पहले रास्ते का हुआ है। और उसमें थोड़ी सी तरमीम करके उसी को फाइनली टेक अप रने का विचार है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---जब सरकार की निश्चय योजना हो गयी है तो इस सड़क में काम कब से शुरू होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बहुत जल्दी ही शुरू हो जायगा और जो पहला प्रस्ताव पी० डब्लू० डी० का है वैसा शायद रहेगा।

*१९—श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि अभी तक उस सड़क पर काम नहीं चालू हुआ है ? यदि नहीं हुआ है, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। सड़क का मार्ग निश्चय करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

*२०–२१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—[१० मार्च, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

अध्यापकों द्वारा अनशन तथा हड़ताल करने के निश्चय के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा भेजा हुआ काम रोको प्रस्ताव आया है जिसमें अध्यापक मंडल को सरकार ने कोई आश्वासन दिया था उसके पूरा न होने के कारण कौंसिल हाउस के सामने अनशन करने का और हड़ताल करने का विचार अध्यापकों का है, इसका उल्लेख किया गया है। इसमें न आश्वासन के संबंध में कोई निश्चितता है और न हड़ताल के संबंध में ही कोई निश्चितता बतायी गयी है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश किया जाय।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कृतज्ञता का प्रस्ताव

श्री विष्णुशरण दुब्लिश (जिला मेरठ)——माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं भवन के सामने निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिनियम में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंनें राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं"।

अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में नये सत्र के आरम्भ में हेड आफ दि स्टेट द्वारा संबोधन करने की प्रणाली बहुत ही सुन्दर है। इसमें भवन के सदस्यों को सरकार के कार्य और उसकी नीति की आलोचना का एक अवसर मिल जाता है और साथ ही साथ सरकार को भी भवन का विश्वास प्राप्त करने का एक मौका मिल जाता है। जो एचीवमेंट्स इन पिछले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने किये हैं उनके आंकड़ों में मैं ज्यादा समय खोना नहीं चाहता क्योंकि उनमें से बहुत चीजें बार-बार भवन के सामने आ चुकी हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि पिछले पांच साल में हमारे प्रदेश में एक सार्वोमुखी उन्नति हुई है। हजारों कठिनाइयों के होते हुये भी जिस काम को भी देखिये उसी में काफ़ी तरक्की हुई है और वह तरक्की इतनी है कि हम उसके लिये गर्व से कह सकते हैं। अगर हम रूस और दूसरे मुल्कों ने जो शुरू के दस साल में तरक्की की थी उसका मुकाबिला अपनी इस तरक्की से करें जो हमारे देश में या प्रदेश में पिछले पांच साल में हुई हुई है तो किसी तरह से भी हमारी तरक्की उनसे कम नहीं हुई है।

आप किसी भी मुहकमे को लीजिये। अन्न के सिलसिले में अपने प्रदेश को लीजिये। हम करीब १२ लाख एकड़ नयी जमीन हल के नीचे लाये हैं। हमने पानी का प्रबन्ध भी बढ़ाया। बिजली में भी इजाफा किया और खाद वगैरह का भी हमने इंतजाम किया। शिक्षा को भी लीजिये। हमने कितने ही स्कूल और कालेज खोले। १७ डिग्री कालेज से ४८ डिग्री कालेज बना

[श्री विष्णु शरण दुब्लिश]

दिये और स्कूलों की भी संख्या हमने कई गुनी कर दी । जितने भी मुहकमे, हैं, चाहे आप कोआपरेटिव को ले लीजिये चाहे सड़कों का मुहकमा ले लीजिये। अंग्रेजों ने अपने तमाम राज्य में कुल सौ मील पक्की सड़क इस प्रान्त में बनायी। हमारे आर्थिक कठिनाई के कारण सड़कों का निर्माण करीब करीब स्थगित ही है। फिर भी ३३, ३४ सौ मील सड़क, दो तीन चार साल के अन्दर हमने बना दी।

मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश की जो नीति है वह हमारी पंचवर्षीय योजना है। उसको मुख्तलिफ दलों में मुख्तलिफ तरीके से देखा है। मुझे दुख है कि हमारे देश के बहुत से दलों ने उसकी मेरिट्स को न देख कर राजनीतिक विचारों से उसकी आलोचना की है।

हर देश का प्लान जो बनता है वह उसके नेचुरल रिसोर्सेस से सीमित होता है। उनके कुछ लिमिटेशंश होते हैं। चीन और रूस की समस्याओं से हमारी समस्या कितनी कठिन है यह मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख कर साबित करना चाहता हूं। कितने भी पदार्थ पैदा होते हैं सब जमीन से पैदा होते हैं, चाहे वह अन्न हो, या खनिज पदार्थ हों। इस दृष्टि से हमारा देश चीन और रूस से बहुत गरीब है। रूस का रकबा ८८ लाख मुरब्बा मील है और १९ करोड़ आबादी है यानी एक स्क्वायर माइल पर २१ आदमी। चीन का रकबा अगर हम उसमें मंगोलिया, मंचूरिया, तिब्बत, इन सब को मिला कर देखें, तो प्युपुल्स रिपब्लिक है, उसका रकबा देखें तो वह ५४ लाख स्क्वायर से ज्यादा है और ४७ करोड़ उसकी आबादी है। इस हिसाब से एक स्क्वायर माइल के ऊपर ८९ आदमियों का बोझ चीन पर पड़ता है। अगर हम तिब्बत, मंगोलिया वगैरह को निकाल दें और खाली चीन प्रापर को सामने रखें तो उसका रकबा भी ३८ लाख स्क्वायर माइल्स है और ४५ की आबादी है इस तरह से ११९ आदमी पर स्क्वायर माइल्स आयेंगे। अमेरिका में ४५ आदमी और आस्ट्रेलिया में ३ आदमी पर स्क्वायर माइल्स आते हैं।

अब अपने देश का रकबा ले लीजिये। हमारे देश का रकबा १४ लाख स्क्वायर माइल्स है और हमारी आबादी ३६ करोड़ है तो एक स्क्वायर माइल पर पौने तीन सौ आदमियों की आबादी है अगर हम अपने प्रदेश को देखते हैं तो ५६० पर स्क्वायर माइल आबादी है। और हमारा सबसे अच्छा जो जिला ,है मेरठ हमारे प्रदेश का सब से मालदार माना जाता है वहां की आबादी ९९६ आदमी पर स्क्वायर माइल है। ऐसी देश में आप सोचिये कि आखिरकार हमारे देश की जो असली दौलत है वह चीन में पर हेड के मुकाबिले में कितनी कम है। ऐसी हालत में हमारे देश के सामने सिर्फ एक ही चीज है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया किसी देश की सम्पन्नता वहां की जमीन के रकबे पर मुनहसर करती है, वहां एक दूसरी चीज भी है। वह है श्रमधन । अगर जमीन में काम न किया जाय। अगर अन्न पैदा न किया जाय, या जमीन के खनिज पदार्थ निकालने का प्रयत्न न किया जाय तो जमीन से कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो श्रम धन में हमारा देश रूस और चीन से पर स्क्वायर माइल ज्यादा है। इसलिये यदि हमें अपने देश में चायना, रश्या जैसी और अमरीका जैसी उन्नति करनी है और स्टैन्डर्ड आफ़ लिविंग बढ़ाना है तो चाहे सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हों जब तक हमारे देश में लोग मेहनत नहीं करेंगे तब वह कुछ नहीं कर सकते और न हम दूसरे देशों का मुकाबला कर सकते हैं।

मुझे पहले बड़ी निराशा होती थी, क्योंकि जितनी हमारी स्कीमस होती थीं उनको केवल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता था और जितना गवर्नमेंट कर सकती थी, वह जैसा मैं पहले कह चुका हूं कम नहीं है, लेकिन जनता की उपेक्षा के कारण हमारे दिलों में भी कुछ निराशा का भाव पैदा हो जाता था। मैं श्री फूल सिंह को या जिन्होंने भी रिपब्लिक श्रमदान सप्ताह मनाने की बात सोची और उसमें भाग लिया उनको हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। उस हफ्ते में जो कुछ काम हुये उनको देख कर मुझे इंस्पिरेशन मिला। मैंने अपने जिले में देखा

कि जिस वक्त इस काम में बीड़ा हमने अपने जिले में उठाया तो लोग बड़ी भारी और आशातीत तादाद में अपने गांवों से फावड़ा ले कर निकल आये और इतनी मेहनत की कि एक मास मूवमेंट की तरह से हमको मालूम होता था। जो सरकारी मुलाजिम वहां काम करने गये, उनमें से पहले तो मैंने कुछ को कहते हुये सुना कि दिन भर तो कलम का काम करते हैं और फिर यह काम हमको दिया गया है। लेकिन जिस वक्त वह गांव में पहुंचे और उन्होंने देखा गांवों वालों को बड़ी भारी तादाद में उनके साथ आते हुये तो उनके हृदय में बड़ा जोश आया और अगले दिन वह हमारे अफसर, कालिज स्टूडेंट्स वहां पर काम करने के लिये पूरे उत्साह से गये। मैं थोड़ी सी फिगर्स, जो हमारे जिले के अन्दर इस हफ्ते में काम हुआ है उसको हाउस के सामने रखता हूं। मैं इस बात की गारन्टी करता हूं बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी जगह के जिस वक्त मैंने फिगर्स लिये तो बहुत सी जगह की आई नहीं थीं। इसलिये इन से कुछ ज्यादा ही होगा। करीब डेढ़ सौ गांवों में मैं खुद इस मौके पर गया और अपनी आंख से जो नजारा देखा वह कह नहीं सकता। लोगों ने सड़कों को चौड़ा करने के लिये सात सात फिट की चौड़ाई में अपने खेत को अपने हाथ से काटा। लोगों ने गांवों में सड़कों को सीधा करने के लिये अपने पक्के चबूतरों को हाथ से काट दिया, अपने मकानों को गिरा दिया और एक भी ३७१ का केस, जिसमें जबरदस्ती कोई जमीन अक्वायर करनी पड़ी हो हमारे जिले भर के अन्दर नहीं हुआ। सड़कें ६०४ मील और ६ फर्लांग बनायी गयीं अर्थ वर्क (मिट्टी का काम) ५२५२५४९४ क्युविक फिट हुआ। कम्पोस्ट गढ़े ३७२७। नाली निर्माण ३३०३१ गज। कुओं की सफाई १०५। खरंजी ईंटों की सड़क जो गाँव के अन्दर बनी १५७७ गज। पुलिया ७। बंधी १३२। नाली खोदी ८ मील। मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट अगर इस काम को बनाती तो कई लाख रुपया गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता। इस हफ्ते के अन्दर जो हमारा काम था वह खत्म हो गया। हमने देखा कि गांव वालों के अन्दर एक जागृति आ गयी है। जो हमारे देश की सफलता की सुनहरी कुंजी थी वह गांव वालों ने हमें दी। जिसे हम असेम्बली भवन के व्याख्यानों में या अखबारों के कालमों में न पा सके, उसको हमें गांव के लोगों ने सिखाया।

अब एक चीज यह हमारे सामने है और वह यह है कि जन श्रम की जो बात है उसको हम कायम रखें। अगर हमने इसको कायम रखा तो जैसा चायना में मासेज में इंथूजियाज्म की बात कहीं जाती है वही हालत यहां पर कायम हो जायगी। मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे जिले के अन्दर या और जिलों के अन्दर आप श्रमधन का कार्य देखते तो आपको चाइना या किसी कंट्री से भी कम श्रम धन व उत्साह दिखाई नहीं देता। तो ऐसी हालत में हमारे देश का उद्धार इसी से हो सकता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस चीज को मेंटेन करने के लिये यह जरूरी है कि जो चीजें गांव वाले खुद नहीं कर सकते उनको सरकार मदद देकर कराये मसलन उनके पानी निकालने के पुल वगैरह है या नाले वगैरह जब वह बनाते हैं तो कई कई गांवों का पानी उनके गांव में आता जाता है तो एक बड़े नाले के द्वारा वह पानी निकाला जा सकता है उसके लिये एक या डेढ़ मील लम्बे नाले के बनाने की जरूरत है। वह खोदने के लिये तथा और सब कुछ करने के लिये तैयार हैं लेकिन जमीन एक्वायर करने का काम सरकार को करना होगा। उधर जो भाई बैठे हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि अगर १०० वर्ष तक डेमोक्रेसी हमारे देश में कायम रही और सौ वर्ष के बाद भी अगर यही हाउस रहा तो कुछ लोग इधर बैठे हुये होंगे और कुछ लोग उधर बैठे रहेंगे चाहे उनकी टोपी लाल और सफेद न हो लेकिन उस वक्त भी उधर के बैठे हुये लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी नुक्ताचीनी करेंगे कि आपने यह नहीं किया, आपने वह नहीं किया। लेकिन कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स होते हैं जिसमें हम सबका विश्वास होना चाहिये और वह यह है कि जैसे मैंने कहा चाहे किसी तरह की भी गवर्नमेंट हमारे देश में बने लेकिन यह जरूरी है कि श्रमधन से ही इस देश का स्तर ऊंचा हो सकता है। उसमें सब पार्टियों को सहयोग देकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिये और तभी हमारे देश की उन्नति होगी। मैं आपसे फिर इस चीज को कहना चाहता हूं कि जो हमने काम किये हैं वह काम पिछले सालों में और अब भी ऐसे हैं कि कोई निराशा की बात नहीं

[श्री विष्णु शरण दुब्लिश]

है और आगे के लिये भी हमारे हृदय के अन्दर एक ऐसी आशा पैदा हो जाती है कि हम अपने काम को सफलता पूर्वक कर सकेंगे। मैंने कुछ अमेंडमेंट्स जो इस प्रस्ताव के ऊपर आये हैं उनको देखा है। राज्याल महोदय की लिस्ट कितनी ही लम्बी क्यों न हो कुछ न कुछ चीजें उसमें रह ही जायंगी मसलन जैसा एक संशोधन श्री मलखान सिंह जी तथा कंगला सिंह का है कि अपने सम्बोधन का उन्होंने जिक्र नहीं किया। राज्यपाल जी के संम्बोधन में न आने से भी जो काम हरिजनों के लिये किये गये हैं वह छिपे नहीं हैं। इसी तरह से और भी हमारे साथी जो हैं, जो बार बार एक चीज कहा करते हैं और यह वह कि जमीन का दुबारा बटवारा हो। पिछले सेशन में भी जब उनकी पार्टी की तादाद यहां बहुत कम थी यहां हर वक्त उस जमीन के बंटवारे की बात की जाती थी। मैं तो आपसे कहता हूं कि मैंने जो जमीन का बीन में बटवारा हुआ है एक एक, दो दो बीघे के खातों में वह एक दिन फेल्योर होगा और रूस में भी बराबर का बंटवारा नही है वहां भी सबकी जमीन बराबर बराबर नहीं है बल्कि किसी की कम और किसी आदमी की बहुत ज्यादा यहां तक कि सबसे कम जो है उससे १० गुनी जमीन सबसे ज्यादा वाले के पास है। तो इस बटवारे वगैरह की बात बार बार करने से कोई काम चलेगा नहीं और यह बंटवारे का जो सवाल है वह हमारे देश से और कभी उठाया जाय। लेकिन अब तो उसके उठाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तो आज एक बात देखी है कि बड़े बड़े जमींदार थे, जो अपने सामने किसी दूसरे को चारपाई पर नहीं बैठने देते थे उनके हाली चमार उनके साथ हाथ में फावडा लेकर चल रहे थे। उनमें एक बराबरी की भावना आ रही है और धीरे धीरे उनकी सुस्ती और, और चीजें खत्म हो जायेंगी तो यह क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिये इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। यदि इसी मार्ग पर हम सब मिल कर अपने देश को उठाने के लिये एक साथ काम करेंगे वह समय दूर नहीं है जब हमारा रामराज्य का स्वप्न पूरा हो जाएगा। सन् १९२१ में जब कालेज छोड़कर मैं गांवों में गया स्वराज्य का संदेश दे कर के तब मैंने गांववालों का रिस्पांस देखा था और उस वक्त यह भावना हमारे अन्दर दृढ़ हो गयी थी कि एक न एक दिन ऐसा आयेगा जब हमारा देश आजाद हो जायेगा और जब मैं अब गांवों के अन्दर गया तो मेरे दिल के अन्दर यह भावना उत्पन्न हो गई कि जिस राम राज्य के लिये महात्मा जी ने संकेत किया था वह बनकर रहेगा और इसी से यह कायम होगा। इसमें संदेह नहीं है कि जब हम लोग अपने रास्ते पर चलेंगे कोई हमपर संदेह करेंगे, कोई नुक्ताचीनी का प्रयोग करेंगे लेकिन हमारी गाड़ी अब ठीक रास्ते पर आ गई है। हमने काफी दिक्कतें उठाकर एक सही रास्ते पर अपनी गाड़ी को चला दिया है और आगे चल कर हमें कुछ निराशायें भी आयेंगी लेकिन अब हम अपनी गाड़ी को ढकेलकर आगे ले जायेंगे। गाड़ी हमारी सही रास्ते पर आगई है और वे दिन दूर नहीं हैं जब हमारा देश उन्नत होगा। हमारे जो साथी इधर बैठे हुये हैं मैं उनकी सिन्सियारिटी को कभी क्वेश्चन नहीं करता और न उनकी इंटेग्रिटी को कभी क्वेश्चन किया है लेकिन उनका जो वे आफ वर्किंग है उसको मैं क्वेश्चन करता हूं इसी में अभी जो पटवारियों की हड़ताल हुई उसके सिलसिले में एक अमेंडमेंट आया है। एक दूसरे साथी ने इसी तरह से एक दूसरी हड़ताल के लिये भी कहा है। शायद कुछ बातें और आगे आवें। मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे देश के लोगों का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग दूसरे देशों के बुकाबिले में बहुत कम है और हमारी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं। फिर भी यह बात नहीं है कि चपरासी, पटवारी या जो दूसरी छोटी छोटी तनख्वाह वाले लोग हैं उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप ने पढ़ा होगा कि एक कमीशन नियुक्त किया है जिसमें वे तय कर रहे हैं इस बात को कि बड़ी बड़ी ऊंची पे वाले जो लोग हैं उनकी पे को कुछ घटायें और नीचे वालों को कोई मिनिमम वेजेज कर दें जिसमें वे मोटे तौर पर अपनी फैमिलीज को मेन्टेन कर सकें। जो गवर्नमेंट को एम्बैरेस करने के लिये इन छोटे छोटे बेचारे कर्मचारियों को गलत सलाह दे करके हड़तालें कराते हैं मैं उनसे कहता हूं कि वे उनके दोस्त नहीं हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट उनके सामने ईल्ड (नतमस्तक) करेगी, झुकेगी तो वह गवर्नमेंट चल नहीं सकती और खासकर सर्विसेज के लोगों की जो

हड़ताल है उनके सामने झुकेगी तो उनकी सरकार ज्यादा दिनों नहीं चल सकती। आज अगर पटवारियों की हड़ताल है तो कल स्कूल टीचर्स को उभाड़कर हड़ताल कराया जा रहा है। अभी स्वीपर्स की हड़ताल कराई गई। मैं कहता हूं कि थोड़े दिनों के बाद वह दिन आयेगा जब वे लोग जिन्होंने स्वीपर्स की हड़ताल कराई वे स्वीपर्स के सामने नहीं जा सकेंगे, उन्होंने उनका अनहित किया है, उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया है। जिन लोगों का हाथ पटवारियों की हड़ताल कराने में रहा है पटवारियों के बच्चे थाड़े दिनों के बाद उनको कोसेंगे। मैं तो यह कहता हूं कि अगर आज कोई गवर्नमेंट इन हड़तालों के सामने ईल्ड (नतमस्तक) करेगी तो कल मिलिटरी की भी हड़ताल हो सकती है, पुलिस की भी हड़ताल हो सकती है। आज लोगों का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बहुत लो है अगर कुछ लोग जा करके इस तरह से उभाड़ें तो बहुत आसनी से वह धोके में आ सकते हैं और इस तरह की हड़तालें शुरू कर देते हैं जिससे बाद में उनका नुक्सान होता है। यहां पर असेम्बली में हड़हताल के क्वेश्चन को लाकर के उनको उभाड़ा जाता है और वे समझते हैं कि अब ये नेता लोग जो हमारे बीच में आये हैं हमारा जरूर कुछ न कुछ फायदा करेंगे। मुझसे कितने ही पटवारियों ने कहा कि उनसे धोखे से इस्तीफे ले लिये गये और अब वे वापस भी हो सकेंगे या नहीं। मैं समझता हूं कि जो लोग उनसे यह काम करवाते हैं वे उनके मित्र नहीं हैं। वे अपनी जरा सी लीडरशिप के लिये उन गरीब लोगों को गड्ढे में डालते हैं जिनकी उन्हें मदद करनी चाहिये। मैं हाउस का अधिक समय न लेते हुये श्री राज्यपाल जी को उनके सम्बोधन के लिये बधाई देता हूं और साथ ही साथ सदन को लोगों से अपील करता हूं कि देश के निर्माण के कार्य में सब एक साथ मिल कर चलें और कार्य करें। विचारों में भेद हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें सोचना चाहिये कि यदि वे सरकार में आ जावें तो वे क्या करेंगे और क्या वे ऐसी चीजें बर्दाश्त कर सकेंगे। क्या यदि वे ५० के बजाय ७५ रुपये अपने किसी कर्मचारी को दें तो वे ८० रुपये के लिये हड़ताल नहीं करा सकेंगे। उनके सामने भी यह स्थिति आ सकती है।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)——माननीय अध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव को समर्थन करते हुये यह संशोधन चाहता हूं कि यह इस तरह रख दिया जाय——यह विधान सभा श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, हार्दिक धन्यवाद देती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——श्रीमान्, क्या यह नया संशोधन है या पुराना ही है?

श्री अध्यक्ष——संशोधन किसी भी समय आ सकता है। कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

श्री राधामोहन सिंह——मैं आशा करता हूं कि दुब्लिश जी इसे स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह तो एक साधारण विषय है कि सदन ऐसे प्रस्ताव सहमत हो, फिर भी मैं यह निवेदन करता हूं कि इस सम्बोधन के लिये सदन विशेष आभारी है। इसके लिये काफी कारण और ठोस वजह इसमें मौजू है। सम्बोधन जो हमारे सामने दिया गया उसके तीन अंश हैं। काफी अंग उसमें इस बात का है कि सरकार के पिछले कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा की जाय और दूसरे अंग में आगे के कार्यक्रम की थोड़ी सी रूप रेखा की गई है और तीसरे अंग में राज्यपाल महोदय ने सदनके सदस्यों के प्रति शुभकामना प्रगट की, अगर और कुछ नहीं हमारे सदन के सदस्यगण अगर इस छोटी सी शुभकामना के प्रति ध्यान देते, तो भी कोई कारण नहीं था कि हम उसका समन न करते। मैं सदन का इस शुभकामना के दो शब्दों के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी अपने अपने लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठा, आपका विवेक, आपकी दूरदर्शिता तथा कर्तव्यपरायणता आपको उन

[श्री राधामोहन सिंह]

महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में सफल बनायेगी जो अब आपके सामने है। इसमें जो शब्द लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठा, इस पर ध्यान दिया होता तो मेरा निवेदन है कि बहुत से संशोधन जो इस प्रस्ताव में पेश किये गये हैं उनकी किंचित आवश्यकता नहीं होती.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान् जो संशोधन पेश नहीं हुये हैं उनके बारे में क्या किसी माननीय सदस्य को जिक्र करने का अधिकार है?

श्री अध्यक्ष—उनको उन संशोधनों के विषय में कहने का अधिकार नहीं है लेकिन वह बात वैसे कह सकते हैं।

श्री राधा मोहन सिंह—मैं समझता हूं कि संशोधन पेश नहीं किये गये हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी नोटिस आई है उस पर मुझे भी निवेदन करने का अधिकार है। शब्द निष्ठा के साथ अगर हम लक्ष्य पर ध्यान दें तो हमारी बहुत सी बातें हल हो जाती और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने उसके प्रति उचित तरीके पर ध्यान आकर्षित किया है।

एक संशोधन में यह कहा गया है कि ....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके संशोधन का जिक्र न करें। आप यह कहें कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इस तरह का जिक्र कर सकते हैं।

श्री राधा मोहन सिंह—हम यह समझें कि सम्बोधन में वेलफेयर स्टेट की स्थापना का ध्यान दिया गया है और यह आशा प्रगट की है कि सदन द्वारा उसकी मजबूत नींव तरीके पर रखी जायगी। हमारे सामने प्रश्न उठता है कि वह स्टेट जिसका कि हम लक्ष्य माने हुये हैं वह वेलफेयर स्टेट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने लक्ष्य और साधन के बीच में जो अन्तर है उसको समझना चाहिये। किसी भी तरीके से, किसी भी समाज के सामने साधन और साध्य में फर्क न माना जाय तो दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है। हर एक मानव समाज का एक ही ध्यान होता है कि सच्चा सुख और कल्याण की प्राप्ति हो। समाज का यही लक्ष्य होता है कि मानव कल्याण किस में है और उसकी प्राप्ति के लिये विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। मैं मानता हूं कि किन्हीं भाइयों का यह विश्वास हो सकता है कि सच्चे कल्याण की प्राप्ति का एक ही तरीका हो सकता है कि वह डैमोक्रेटिक, सोशलिस्ट स्टेट हो। हमें इससे कोई एतराज नहीं है लेकिन हम लोगों का विश्वास है कि सच्चे कल्याण की प्राप्ति कोआपरेटिव कामन वैल्थ से हो सकती है। और उसका साधन हमारे पास मौजूद है अगर हमारे मित्र उस भाषण पर ध्यान दें जो हमारे पिछले राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने दिया था तो उनको साफ साफ तौर पर मालूम होगा कि हमारा सच्चा कल्याण कोआपरेटिव कामनवैल्थ से ही हो सकता है। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट में अन्तर होता है। वेलफेयर स्टेट वही है जिसमें जनता का कल्याण हो, जनता सुखी हो, समृद्धिशाली हो और वह अपने कारबार में लगी हुई हो। बहुत से लोग कहते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है, बेकारी की समस्या है ये समस्यायें हल होने पर ही वेल्फेयर स्टेट कायम हो सकती हैं। लेकिन जो इसमें विश्वास करते हैं उन्हें विश्वास रखना चाहिये कि केवल डाकुओं को मारने आदि से जो शांति स्थापित होती है वह पुलिस स्टेट है। हमारा लक्ष्य तो कल्याणकारी राज्य का स्थापित करना है। जिससे जनता का कल्याण हो और शांति हो वही सच्चा राज्य है और वही हमारा लक्ष्य है। जब हम इस ध्येय को मान लेते हैं तो हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट में क्या अन्तर है। हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना होगा कि हमारे सामने जो यह लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिये हमें कोआपरेटिव कामनवैल्थ को ही अपने सामने रखना होगा। अगर हम अपनी पुरानी परंपराओं को देखें अपने पुराने इतिहास को देखें और केवल विदेशी स्लोगन्स पर अमल न करें तो हमें मालूम होगा कि कोआपरेटिव कामन वैल्थ ही एक ऐसा

रास्ता है जिसके जरिये से हम इस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। डैमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है यह मैं पीछे बतलाऊंगा। इस समय में कुछ शब्द कोआपरेटिव कामन वैल्थ पर ही कह देना चाहता हूं।

अगर हम भारतीय इतिहास को देखें और अगर हम शहरों से हट कर गावों में जायें तो हम देखेंगे कि किसी भी चीज की प्राप्ति के लिये, किसी भी मौके पर लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब उन्हें कोई बांध बनाना होता है, कुओं को बनाना होता है तो वे सब इकट्ठा होते हैं और उसको पूरा करते हैं। इसी तरह से शादी व्यवहार में भी लोग सब मिल कर इकट्ठा होकर उन कामों को करते हैं। दूसरे लोग आपके कामों में मदद करते हैं और आप दूसरे के कामों में मदद करते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी का काम पूरा नहीं होता। यह हमारी परंपरा है। लेकिन आज हम केवल विदेशी नारों पर ही ध्यान देते हैं लेकिन स्वयं मार्क्स के उन वाक्यों पर ध्यान नहीं देते जिनमें उन्होंने यह कहा है कि किसी देश की उन्नति के लिये उस देश की परंपराओं पर विचार करना चाहिये, उनको अध्ययन करना चाहिये तभी हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन हम लोग जो चीज दूसरे देशों में कामयाब हुई है उसको उसी रूप में अपने देश में लाने की कोशिश करते हैं और उसको लाना चाहते हैं कि उसी से समाज का कल्याण करें। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज-नारायण जी ने जो बार बार माननीय सम्पूर्णानन्द जी का हवाला दिया मैं उनसे उनके बयानों को पढ़ने का निवेदन करूंगा।

एक प्रजा पार्टी थी और दूसरी सोशलिस्ट पार्टी उन दोनों ने एक जगह आकर यह सोचा कि समाज का कल्याण करें और गांधीवादी लोग जिस काम को नहीं कर पाये हैं उसको दोनों मिल कर पूरा करें।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य के सामने जो प्रस्ताव है उसी तक अपने को सीमित रखें, पार्टियों के बारे में न कहें।

श्री राधा मोहन सिंह---हमको अपने ध्येय की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और हमारे ध्येय की प्राप्ति केवल कोआपरेटिव कामन वैल्थ के द्वारा ही हो सकती है।

दूसरा अंग जो उसका है उसमें बतलाया गया है कि सरकार कौन कौन सा कार्य करने जा रही है। चाहे आप लेबर को लें, चाहे इंडस्ट्रीज को लें, चाहे काटेज इंडस्ट्रीज को लें, हर अंग का ध्यान रखा गया है। लेकिन इसमें सब से अधिक प्राथमिकता कृषि को दी गयी है। कृषि के अन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिये पानी के यंत्रों का हमने प्रबन्ध किया है, फर्टेलाइजर का प्रबन्ध किया है साथ ही करीब करीब हर तरह का प्रबन्ध किया है। सम्बोधन के पैरा १२ और १३ में इस बात का निर्देश किया गया है कि राज्य निर्माण कार्य के लिये तथा लोक निर्माण कार्य के लिये सरकार ने कितना रुपया दिया है। तमाम सम्बोधन को देखने के बाद पायेंगे कि कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रह गई है जिसके बारे में श्री राज्यपाल महोदय ने अपने व्याख्यान में न कहा हो। किन्तु मुझे दुःख होता है कि किन्हीं भाइयों ने जिन बातों की ओर निर्देश किया है वह सही नहीं है। आप देखेंगे कि चन्द कुछ जिलों में ओले पड़े जहां पर जल्द से जल्द आवश्यक सामग्री पहुंचायी गयी और जो असली कारण है उसको दूर करने के लिये पूर्वी जिलों में काफी प्रयत्न किया जा रहा है ताकि आयन्दा कोई ऐसी चीज न होने पावे। मैं मानता हूं कि पूर्वी जिले अभावग्रस्त हैं, मैं मानता हूं कि वे पिछड़े हुए हैं और वहां बहुत बड़ी कोशिश की आवश्यकता है। लेकिन यह एक दिन का काम नहीं है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार का ध्यान उधर गया है और वे जिले अब उपेक्षित नहीं हो सकते हैं। अब जो काम हो रहा है और आगे होने वाला है उसकी रूपरेखा दी गयी है। आगे के कार्यक्रम के बारे में जो बात कही गयी है उसमें सब से बड़ी चीज जोतों की चकबन्दी के सम्बन्ध में है। जमींदारी विनाश के बाद किसानों के सामने

[श्री राधामोहन सिंह]

यह एक सब से बड़ी समस्या आ गयी है और सरकार चकबन्दी की समस्या को हल करने के लिये सुरत क़दम उठाने जा रही है। मैं समझता हूं कि आप देहातों में जहां पानी की बात कहते हैं या और चीजों की बात कहते हैं वहां सबके सब यह भी पूछते हैं कि हमारे तमाम खेत जो टुकड़ों में बंटे हुये हैं उनके रहते हुये हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। जहां हम किसानों को इस बात के लिये मजबूर करते हैं कि वे अन्न का उत्पादन बढ़ायें वहां जोतों के टुकड़ों को चकबन्दी के जरिये एक साथ लाना भी बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार यह बहुत ही सामयिक कदम उठा रही है और जल्द से जल्द चकबन्दी करने जा रही है। मैं समझता हूं कि इस सम्बोधन के पूरे भाषण को अगर शुरू से आखिर तक देखें तो इसमें हर अंग पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई कमी दिखलाई पड़े। अतएव मैं आशा करता हूं कि सदन हार्दिक तरीके पर इस सम्बोधन को स्वीकार करते हुए राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव को पास करेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिये जायं —

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने जहां जनता को भय, अभाव, शोषण तथा अत्याचार से मुक्त रहकर जीवन-यापन करने की शुभकामना व्यक्त की है, वहां वर्तमान शासन में जिस प्रकार भय, अभाव, शोषण तथा अत्याचार की अपार वृद्धि हुई है उससे सदन को अवगत नहीं कराया, और न वर्तमान सरकार को उन रास्तों को अख्तियार करने का संकेत ही किया जिन पर चल कर जनता भय, अभाव, शोषण तथा अत्याचार से विमुक्त होकर समान सुविधा प्राप्त करे और प्रत्येक प्रकार की विवशता पर विजय पाकर सच्चे जनतान्त्रिक समाजवादी समाज की रचना करे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके प्रस्तावक और अनुमोदक महोदय ने जिन भावों को व्यक्त किया, यदि उन्हीं भावों का विश्लेषण किया जाय और विश्लेषण करके नतीजा निकाला जाय तो मैंने जो संशोधन प्रस्तुत कियया है वही संशोधन सही माने में वे लोग भी मानते हैं। इसके प्रस्तावक महोदय श्री दुब्लिश ने तो श्री राज्यपाल के सम्बोधन में कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुये धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उसी सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने श्री राज्यपाल के सम्बोधन पर इसलिये धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि हिन्दुस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है और हिन्दुतान की बहुत घनी आबादी है? हिन्दुस्तान में जहां एक वर्ग मील पीछे ३०० आदमी बसते हैं। वहां अमेरिका में ५० और रूस में २० आदमी बसते हैं। इसके क्या गायने हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र इस पर जरा विचार करें कि अगर हिन्दुस्तान की जनसंख्या ज्यादा है और हिन्दुस्तान में साधनों की कमी है तो क्या हिन्दुस्तान में अराजकता होनी चाहिये और हिन्दुस्तान के अन्दर प्लानिंग की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और हिन्दुस्तान की ग़रीबी को मिटाने के लिये कोई समुचित क़दम नहीं उठाया जातना चाहिये। मैं उन प्रस्तावक महोदय से पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अपने सम्बोधन में कहा है कि जनता अभाव, भय, शोषण और अत्याचार से मुक्त रह कर जीवन-यापन कर सके, तो क्या हमारे प्रान्त की जनता इस समय भय से रहित है, अभाव से रहित है, शोषण से रहित है और अत्याचार से रहित है? वस्तुस्थिति को कितना वित करके राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में रखा है इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारे प्रान्त में अपार भय है और अभावग्रस्त जनता है और जिस प्रकार से आज हमारी जनता भय से मुक्त है। आप इस पर विचार करें। जब समाज के अन्दर अभाव नहीं

रहेगा तो भय भी नष्ट हो जायगा और जब यहां पर शोषण नहीं रहेगा तो अत्याचार भी यहां पर नहीं रहेगा। क्या कोई कह सकता है कि आज हमारा समाज भय से मुक्त है और शोषण नहीं है ?

पंचवर्षीय योजना के बड़े गीत गाये गये जाते हैं। क्या इस पंचवर्षीय योजना से उत्पादन की स्थिति में कोई परिवर्तन होने जा रहा है ? क्या मीन्स आफ प्रोडेक्शन में और मीन्स आफ डिस्ट्रिब्यूशन में कोई परिवर्तन होने जा रहा है। यह चीजें तो उनके ही साथ में रहती हैं जिनके हाथ में यह पहले से रहती चली आयी हैं। हमारे मित्र प्रस्तावक महोदय ने विरोधी दल में विजडम की कमी बतलायी है। मैं अगर उनसे पूछता हूं कि किस विजडम का सहारा लेकर और सामने रख कर वह जनता को भय से विमुक्त करेंगे ? आज सूबे में अभाव है और जनता में भय है। हमारे मित्र ने कहा कि १२ हजार एकड़ जमीन नयी तोड़ी गई। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इसी सरकार के आंकड़ों से उनकी खिदमत में यह पेश करना चाहता हूं कि आखिर यह जमीन कहां तोड़ी जाती है और जो जमीन तोड़ी जाती है वह कहां चली गयी। गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मकी, मटर वगैरह १९५०-५१ में कुल ३५,३२६ हजार एकड़ पर बोयी गयी और १९४९-५० में यह ३५,५५१ हजार एकड़ पर बोयी गयी। यह जो १२ हजार एकड़ जमीन तोड़ी गयी तो वह कहां गयी। यह सरकार के आंकड़े से कहां साबित होती है। यह जादूगरी के आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये जाते हैं लेकिन जब कोई सवाल किया जाता है तो उसका समुचित उत्तर नहीं दिया जाता है। उत्पादन में वृद्धि भी होनी चाहिये लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हुयी है। सन् १९५०-५१ में ९,५२८ हजार टन गल्ला पैदा हुआ और १९४९-५० में ९,५०७ हजार टन पैदा हुआ। यह तो नयी जमीन तोड़ने से और भी बढ़नी चाहिये थी। मगर यह क्या हुआ इसका उत्तर यही है कि पंचवर्षीय योजना का जादू जो यह हमारे देश में फैलाया जा रहा है उससे जनता के अन्दर बुद्धिभ्रम पैदा किया जा रहा है कि यह विशेष योजना है और इससे गरीबी समूल नष्ट हो जायगी। उस योजना में आज की जो ये आंकड़े की कमियां हैं पांच वर्ष के बाद पूरी करके दिखा दी जायंगी कि देखो हमने पहले ही कहा था कि इतना है और इतना हो गया। उसके बारे में, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि खैर, राज्यपाल महोदय ने तो जो सरकार उनके सामने आंकड़े प्रस्तुत करती है उसी पर अपना संशोधन सदन में करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अल्पकाल ही में जमींदारी का विनाश हुआ। मैं पूछता हूं कि क्या यह अल्पकाल में ही विनाश हुआ ? कब से जमींदारी विनाश की योजना चालू करने की प्रतिज्ञा की गयी थी और कब हुई और जिस निकृष्ट रूप में जमींदारी का विनाश हुआ उसमें भी केवल ३ करोड़ ७० लाख एकड़ जमीन पर से जमींदारी का विनाश हुआ है और अभी ५३ लाख एकड़ जमीन बाकी है जिस पर से जमींदारी का विनाश होना बाकी है। अभी माननीय मंत्री जी की घोषणा हुई कि अगले साल की पहली जुलाई को शायद उसे जमींदारी से विमुक्त कर पायें।

पंचवर्षीय योजना की कुछ और बारीकियां देखिये। अगर आगामी पांच वर्ष को देखा जाय और उसके आंकड़े को हम पढ़े तो उसमें ३५७ लाख एकड़ नेट कल्टीवेटेड एरिया दिया हुआ है और आगामी पांच वर्ष में ३७० लाख और जो सरकारी आंकड़े हैं। उसमें लिखा हुआ है कि ३९७ लाख नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो श्रीमन् मैं चाहूंगा कि, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बठे हुये हैं और माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी बैठे हुये हैं, ये लोग जरा जो आंकड़े जाते हैं उन पर ध्यान किया करें और सदन में ग़लत आंकड़े प्रस्तुत करके अगर सदन का समय न नष्ट हो तो उसमें हम सब लोगों का ही कल्याण होगा।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में भूमि के उत्पादन से ही अधिक सम्बन्ध है। यह सम्बोधन में कहा गया है। मैं आज फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल उत्पादन वृद्धि से ही समाज सुखी नहीं होगा। उत्पादन वृद्धि का होना आवश्यक है। उससे भी आवश्यक उत्पादन के वितरण का सवाल है और उससे भी

[श्री राजनारायण]

आवश्यक यह है कि जो उत्पादन होता है वह किन हाथों में जाता है, वितरण समान हो रहा है या नहीं। इसलिये अगर हमारे सम्मानित सदस्य केवल उत्पादन वृद्धि के ही प्रयत्न में लगे रहे और दूसरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो समाज का कल्याण नहीं होगा। श्रीमन् अगर हमारे माननीय सदस्य फारेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़े होते और जो छठवां पैरा है राज्यपाल के संबोधन का उसे देखे होते तो उनकी समझ में भी यह बात आनी चाहिये थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में पौने चार लाख एकड़ जमीन सब मार्जिनल होती चली जा रही है और उस डिपार्टमेंट के आंकड़ों में यह साबित किया गया है कि तीन लाख एकड़ जमीन प्रतिवर्ष परती के रूप में परिणत होती चली जाती है। यह मैं उनको इसलिये बताना चाहता हूं कि एक तरफ जो वृद्धि होती है, नयी जमीन तोड़ी जाती है और दूसरी तरफ जो उत्पादन में कमी होती जाती है उसका एक बुनियादी कारण यह भी है कि क्या सरकार की ओर से कोई प्रयत्न किया जा रहा है कि जो लाखों एकड़ जमीन प्रति वर्ष परती के रूप में चली जाती है उसका निवारण क्या होगा? सरकार की ओर से कोई भी सराहनीय प्रयत्न आज तक इस दिशा में नहीं किया गया है।

इसके बाद डबल क्राप एरिया की बात आती है। सन् १९४६–४७ में कितना और १९५१–५२ में कितना डबल क्राप एरिया था इसके आंकड़े भी एक लुभावने रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। सन् १९४६–४७ में ९३ लाख एकड़ जमीन अपने सूबे में डबल क्राप एरिया थी। और १९५१–५२ में भी जब कि १२ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गयी और ज्यादा जमीन सींची गयी तो भी ९३ लाख एकड़ ही है। केवल संकेत के लिये मैंने यह बता दिया।

उसके बाद, श्रीमन्, हमारे माननीय मित्र जो अनुमोदन में उठे थे उन्होंने तो कुछ मौलिक विषयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मेरी चर्चा करते हुए माननीय सम्पूर्णानन्द जी का भी नाम लिया कि मैं सदैव माननीय सम्पूर्णानन्द जी की दुहाई दिया करता हूं। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी की दुहाई नहीं दी है। सरकारी रूप में माननीय सम्पूर्णानन्द जी के डीड्स और मिस-डीड्स हैं। हां, मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक विद्वान् के रूप में पुस्तकों की रचना करके हमारे सामने मान्यता प्रस्तुत की है उसको मैं अवश्य मानता हूं और उसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जहां तक माननीय सम्पूर्णानन्द जी के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सम्बंध के लेख का उदाहरण दिया, मैंने उसका स्वतः स्पष्ट रूप से जवाब दिया है पिछले महीने की १२ तारीख को अमृतपत्रिका को यह पढ़ लें, इससे उनका कौतूहल शान्त हो जायगा।

श्रीमन्, ग्रामोद्योग के बारे में बड़ी चर्चा हुई। और २६ तारीख से श्रमदान सप्ताह मनाने की भी बात आयी। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि श्रमदान में जनता ने उत्साह से भाग लिया है। और जनता इसमें और उत्साह से भाग लेती अगर हमारे सुझाव को मान कर सरकार कार्य करती। हमने कहा था कि इस सात दिन के अन्दर प्रत्येक जिले में सरकारी कर्मचारी पुराने बन्दोबस्त के ले लें और पुराने बन्दोबस्ती रास्तों को डिमार्केट कर दें। ये कर्मचारी जायं और जितने बेदखली के मामले हैं उनको जाकर वहीं पर तय कर दें। आज जो गड़ासा और भाले निकल रहे हैं, गुंडे और बदमाशों से पुराने जमींदार और बड़े बड़े किसान अपने-अपने शिकमियों को बेदखल करवा रहे हैं, यह सब फैसले करते। हमने श्रीमन्, पिछले बजट पर बताया था और श्रम के कोआपरेशन को चलाने की बात कही थी। मुझे खुशी है कि उसकी ओर कुछ ध्यान माननीय मंगला प्रसाद जी ने दिया और उसको चलाने की कोशिश की। मगर समुचित रूप से अगर कोशिश करते, तो २६ तारीख से, जो श्रमदान चलाने की बात थी, वह न मालूम कितनी

दूर तक चली जाती। हमारे देश में बड़ा श्रम भरा पड़ा है। परन्तु उसको इस्तेमाल करने की कोई योजना सरकार नहीं बनाती। अगर वह योजना बनाये तो हमें बहुत सफलता मिल सकती है। जनता में बड़ा उत्साह है और जनता प्रति क्षण तैयार रहती है उसको करने को।

मुझे पता नहीं कि कैसे राज्यपाल के संबोधन में मिल मालिकों और श्रमिकों के संपर्क को मधुर बताया गया है। वर्तमान सरकार रेशनलाइजेशन के मानी छटनी से लगा लेती है। उसके मानी केवल छटनी नहीं है। रेशनलाइजेशन तभी हो जब कि उसका छटनी लाजमी नतीजा हो, यह रेशनलाइजेशन के मानी नहीं हैं। मैं इसके यह मानी लगाता हूं कि हर मजदूर को काम मिलना चाहिए, उत्पादन भी बढ़ना चाहिये, श्रम के घंटों में भी कमी होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्रत्येक मिल में मूलधन को पैदा करने वालों का उस मूलधन में समान भाग होना चाहिए। केवल पुलिस के जोर से मजदूरों की हड़ताल को रोक कर यह कह देना कि मिल मालिकों और मजदूरों का संबंध मधुर है, ऐसी बात वास्तविकता से दूर हो जाती है।

श्रीमन्, मैं सरकारी घोषणा के खोखलेपन के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। विनियंत्रण के बारे में इसी सदन में माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा था कि पहली जुलाई के बाद से विनियंत्रण के बाद अगर १६ रुपये से अधिक अगर गेहूं का भाव कहीं बढ़ेगा तो १४ रुपये पर सारा स्टाक सरकार जब्त कर लेगी। उसी समय मैंने कहा था कि इस सरकार की हिम्मत नहीं होगी। एक महीने के बाद इसी विधान भवन के अन्दर बैठ कर समझौता किया जाता है कि पूर्वी जिले में साढ़े उन्नीस रुपये मन और पश्चिमी जिलों में साढ़े सत्तरह रुपये मन गेहूं का भाव होगा। अब २२ रुपये मन सरकारी दूकानों पर गेहूं का भाव कर दिया गया है। क्या इसी को जन-कल्याण कहते हैं?

वेलफेयर स्टेट की चर्चा तथा साध्य और साधन की चर्चा हमारे यहां अनुमोदक महोदय ने की है। मुझे अफसोस के साथ इस सदन में आपके जरिये कहना पड़ता है कि हमारे मित्र महात्मा गांधी के नेतृत्व में इतने दिन काम करने के बाद भी साध्य और साधन के अन्तर को नहीं समझ पाये। शायद उन्होंने समझ लिया है कि "साध्य" ही "साधन" नहीं हो जाता। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि और उनको इसपर मनन करना चाहिये कि साधन साध्य हो जाता है। और साध्य साधन, न मालूम वह क्या अन्तर करना चाहते हैं। शायद उनके दिमाग में अपनी सरकार की हालत को देख कर यह चीज घर कर गयी है कि साधन जितना भी अपवित्र हो, जितना भी त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण हो उसके जरिये जिस उद्देश्य की कल्पना करते हो, वही करते चले जाओ। एक बौद्धिक परतंत्रता में अब तक यह सरकार रही है। अंग्रेजों की नीति जो उसने सीखी है कि, "एवरी थिंग इज फेयर इन लव ऐंड वार" आज भी वही उनके दिमाग में है। आज उसके दिमाग में और किसी नीति का सवाल नहीं है। सरकार के दिमाग में जिस वक्त जो बात आ गयी उसको पूरा करने के लिये वह अग्रसर हो जाती है बिना इस बात का ध्यान किये हुये कि वह कदम नीतिपूर्ण उठा या नहीं। इसका विवेक आज सरकार में नहीं रह गया है।

मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं और केवल वादविवाद के लिये नहीं, एक निजी बात बताना चाहता हूं। जितने दिन इस सदन में इस सरकार की गति विधि के निरीक्षण करने का मौका हमको मिला है हमारे विद्रोह और घृणा की भावना दिन प्रति दिन क्षण प्रति क्षण बढ़ती ही जा रही है।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन सदन के सामने रखना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

"किन्तु सदन को नम्रतापूर्वक खेद है कि श्री राज्यपाल ने बड़े वेग से बढ़ने वाली नैतिक स्तर की गिरावट को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं बतलाया है जो कि दलबन्दी का अत्यन्त भयानक दुष्परिणाम है"।

श्रीमान् जी, आज के दिन हम अगर देखें और विचारें तो हमारा नैतिक स्तर बहुत नीचा हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनको तो सच्चे दिल से देश की उन्नति ही करने में ही लगन है और सच्चे हृदय से अपने कर्त्तव्य का पालन भी करते हैं। मैं यहां सबको कोसने या सलवातें सुनाने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं और न मैंने ऐसा किया है। मैं कोशिश यह करता हूं कि, "सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्" जहां तक हो सके सच्ची बात कही जाय और मीठे शब्दों में कही जाय। तो मैं यह आपके सामने कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि १५ अगस्त, सन् १९४७ के बाद से आज तक हमने कुछ तरक्कियां भी कीं, यह नहीं है कि सबका काम खराब ही हुआ है। परन्तु हमारा नैतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। उसका विशेष कारण यह है कि दलबन्दी की वजह से, जो बड़े बड़े लोग त्याग और तपस्या वाले भी हैं वह भी इस खयाल से कि ऐसा न हो कि मेरे साथ के जो चलने वाले मेरे पीछे हैं वह मुझको अपना नेता न मानें तो मेरी कुर्सी कहीं खिसक न जाय, इस कारण कुर्सी खिसक जाने के भय से उनकी मनोभावना ऐसी बन रही है कि किसी तरीके से हम अपना पेट पालें, अपनी जेबें भरें और इस वजह से वह अपने कर्त्तव्य को बिलकुल भूल गये हैं। अगर श्रीमान् जी, मैं, या हमसे कुछ एम०एल० ए० तैयार हो जायं कि यहां सदन में जो अधिनियम या नियम बनाये जाते हैं उसका पालन न करें। यहां प्राइवेट फारेस्ट रिजर्वेशन ऐक्ट बनाया गया अगर हम तैयार हो जायं कि नहीं हम तो हजारों पेड़ अपने कटवायेंगे और जिले का कोई बड़े से बड़ा अधिकारी बोल नहीं सकता है तो क्या हालत होगी? यहां तक कि जो बड़े बड़े लोग हैं और किसी दल के नेता हैं वह अधिकारियों से सबके सामने कहते हैं, "तुम तो जानो बहुत बढ़ति चले जाति हो, जानो हिएं जिला मां रहैलायक न हो।"

तो इस तरीके की बातें जब होती हैं तो जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी चुप रह जाते हैं और कोशिश यह करते हैं कि किसी तरह से अपनी नौकरी बचावें। यह हमको देखना चाहिये कि यदि हम किसी की ऊख काट कर बेंच लूं या पेर लूं तो यह कहां तक जायज है। यदि यहां के सदस्यगण अच्छी तरह से इस बात को विचार कर देखें तो उन्हें ज्ञान हो जायगा। इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हम लोग अच्छे आदर्श सामने नहीं रखते हैं और लोगों को ठीक रास्ते पर लगाने की कोशिश नहीं करते। अभी जो स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था २६ तारीख को, उसमें हमारी ग्रामीण जनता ने बहुत ही उत्साह के साथ सहयोग दिया है। परन्तु हमारी दलबंदी का यह हाल हो गया है कि अच्छे लोगों को नहीं उभारा जाता मैं कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने यह कहा कि यह अच्छा काम नहीं है और हमें अपनी कलम और किताब छोड़कर फड़वा नहीं उठाना चाहिये। अच्छे लोगों को पार्लियामेंट या असेम्बली का टिकट नहीं दिया जाता है।

एक सदस्य----ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोगों ने ऐसा कहा हो।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---मुमकिन है मेरे कानों ने गलत सुना हो। मगर फारसी में एक शेर है कस नमी खुरसद कि भैया कौन हो। मैंने अच्छी बातों के रखने की कोशिश की मगर आप उनके सुनने की क्षमता भी नहीं रखना चाहते। आप फौरन ही उसकी उलटी कोशिश करते हैं। हमें चाहिये कि जहां तक हो सके सत्य बात ही कहें। यह नहीं है कि मैं सत्यवादी हूं। बहैसियत वकील झूंठ बोलता भी हूं और बुलवाता भी हूं। मगर यह निश्चय है कि अगर ९९ फीसदी वकील नहीं तो ९५ फीसदी वकीलों से कम झूठ बोलता हूं और बुलवात

हूं। मैं वकीलों के ऊपर रायजनी नहीं कर रहा हूं कि वकील लोगों ने कोशिश की कि उनको टिकट मिले और कुछ लोगों को मैं जानता हूं कि उन्होंने कोशिश की और ७,७ दिन तक दिल्ली में भी पड़े रहे मगर उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो पढ़े लिखे भी अधिक नहीं थे। मुमकिन है कि उनके दिल में बहुत जोशोखरोश हो। मैं किसी दल को नहीं कोसता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि ठीक सोचने की ओर लोग ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम परमेश्वर को भूले हुये हैं। इसके कारण सारे देश में सोशलिज्म और कम्युनिज्म खूब जोरों से फैल रहा है और मुमकिन है कि और ज्यादा बढ़े। परन्तु जब हम दूसरों की नक़ल करना चाहते हैं तो उसमें जो अच्छी बातें हैं उन्हें हम लेने के लिये तैयार नहीं हैं।

"**House of commons** meets before **12 and** obter pragers **the Speeaker sits in the clark's chair awaiting black** robes."

मतलब यह है कि मैं यह नहीं कहता कि परमेश्वर या खुदा यही कह दीजिये शुरू करने से पहले। वह परमपिता जिसने कि हम सब को पैदा किया है जो हम सबको रोजी देता है। यह कि किसी हिन्दू का या किसी मुसलमान का या ईसाई का कोई शब्द कह दिया जाय तो यह कहते हैं कि परन्तु ऐसा न होने से क्या है। हमने अच्छी अच्छी बातें तो सीखी नहीं अब यह है कि अगर किसी बड़े आदमी को किसी सभा सोसाइटी में बुलाया जाय तो बड़प्पन यही है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा देर में आवे तो उसी में बड़प्पन है। सबसे बड़ा बड़प्पन यह है कि अगर २ बजे का टाइम रख दिय गया तो ४ बजे तक आवे तो कुछ कम बड़ा हुआ और अगर ५ बजे तक आवे तो औरा भी बड़ा हुआ। तो इन सब बातों में आज बड़प्पन समझा जा रहा है। यहां तक कि अगर महात्मा जी को भी कोई इस सदन में कोट करे तो यह कहा जाता है कि महात्मा जी को क्यों यहां घसीटते हो छोटी छोटी बातों के लिये। मैं कहता हूं कि अगर उदाहरण के लिये हम महात्मा गांधी जी का नाम ले लेते हैं या गीता कोट करते हैं और भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो कौन सी बुराई हो जाती है। वहां आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी राजा जी ने गीता कोट की थी परन्तु वहां किसी को यह साहस नहीं हुआ कि उनसे कहे कि क्यों यहां गीता का प्रवचन दे रहे हो परन्तु यहां तो रोक दिया जाता है। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमें अवश्य इस बात का खयाल करना चाहिये कि हमारा नैतिक स्तर ऊंचा हो क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि बगैर नैतिक स्तर ऊंचा हुये, बगैर चरित्र निर्माण किये किसी देश का कभी उत्थान नहीं हो सकता है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने कृषि व्यवस्था के पुनः संगठन की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं उपस्थित की और विशेष रूप से इस दिशा में अत्यावश्यक कदम अर्थात् भूमि के पुनर्वितरण का उल्लेख तक नहीं किया है।"

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के भाषण और प्रस्तावक महोदय के भाषण दोनों को सुनने के बाद मुझे निराशा हुई और आश्चर्य भी हुआ। माननीय प्रस्ताव महोदय ने चीन की तुलना मेरठ जिले से की और उन्होंने यह कहा और हमको इस बात को बतलाया कि हमारी जनसंख्या इतनी है कि जिस जन संख्या की समुचित व्यवस्था करना चीन के अनुकरण करने से नहीं होगा। मैंने जहां तक सुना है चीन की जनसंख्या भी वहां की आबादी का घनत्व जो है वह हिन्दुस्तान से अधिक है। तो मैं माननीय दुब्लिश जी की बुजुर्गी का ख्याल करते हुये भी इस बात का निवेदन करूंगा कि वह एक बार फिर इस बात की जानकारी करने की चेष्टा करें। दूसरी बात मैं यह कहता कि भूमि का बटवारा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि चूंकि हमारी जन संख्या बहुत बड़ी है और इसलिए चीन का अनुकरण हम

[श्री गेंदा सिंह]

नहीं कर सकते तो मैं जहां तक समझता हूं और मेरी ही समझ की बात नहीं है सारे देश में साधारण लोग जो हैं इसी तरह समझते हैं कि जब साधनों की कमी हो और उससे ठीक से इन्तजाम न चलता हो तो वैसी हालत में फिर जरूरी हो जाती है कि वह वह छोटे छोटे हिस्सों में भी बांटकर के उससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने चेष्टा करें। यह हो सकता है कि उसके बटवारे के फलस्वरूप फिर लोगों को इस बात का अनुभव हो कि हम सब को मिल कर एक साथ अपना कार्य करना चाहिये। लेकिन जब हमारे देश में साधनों की कमी है और श्रम का बाहुल्य है तो फिर वैसी हालत में उस श्रम का उपयोग करने के लिये, उस श्रम का ठीक से ठीक सदुपयोग हम कैसे कर सके इसका बंदोबस्त करना किसका काम होता है। माननीय राज्यपाल के भाषण में जब मैं देखता हूं तो मुझे इस बात की उसमें गुंजाइश कहीं नहीं दिखायी देती और न प्रस्तावक महोदय ने इस बात की गुंजाइश की है कि जो इस देश में जनसंख्या का बाहुल्य है और श्रम का बाहुल्य है उसको किस प्रकार से ऐसे काम में लावें जिससे देश का कल्याण हो जिससे देश का उत्पादन बढ़े। माननीय नेहरू जी देश के सर्वमान्य नेता हैं जब वे यह कहा करते हैं कि श्रम अभी और करना पड़ेगा और जो बात की नकल करके दूसरे लोग कहा करते हैं तो फिर हमें आश्चर्य होता है। माननीय अध्यक्ष, महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर श्रम कहा करें। उसे भी तो बतलाना देश के नेताओं का कर्त्तव्य है श्रम करने का कोई स्थान चाहिये। अगर एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है तो उससे हम कहते हैं कि श्रम अधिक करो तो वह श्रम अधिक करके अपनी परीक्षा पास हो सकता है। मजदूर मिलों में अधिक काम करके उत्पादन बढ़ा सकता है या खेती करने वाले खेतों में अधिक काम करके खेतों में उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं और हम जो विधान सभा में बैठते हैं हम अधिक से अधिक परिश्रम करके अच्छे से अच्छा कानून बना सकते हैं लेकिन उन लोगों के लिये जिनके पास कहीं ठिकाना नहीं है जिनके पास कोई ढंग नहीं है और ऐसे लोगों का बाहुल्य है जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है तो क्या होगा? अगर वे श्रम करने की बात सोचें और श्रम करने के साधनों का प्रयोग करने की चेष्टा करें तो क्या होगा? जो लोग बेबसी के शिकार चोरी और डकैती करते हैं यदि वह दुगुना परिश्रम करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा यह हमारे देश के दुर्भाग्य की बात है कि वे चोरी करते हैं, डकैती करते हैं भीख मांगते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं और दूसरे इस प्रकार के काम करते हैं। अगर वे हमारे माननीय पंडित जी के उपदेश को मानें तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता और फिर आज जो हालत देश की है और देश की हालत खराब है इसमें संदेह नहीं। वह और खराब होगी, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, रिश्वतखोरी बढ़ेगी और इस कल्याकारी राज्य को नष्ट होते हुये हम देखेंगे। मैं तो यह नहीं सोच सकता हूं कि ऐसा कल्याणकारी राज्य जो बनने जा रहा है वह नष्ट हो जाय। फिर ऐसी हालत में यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे जितने भी साधन हैं उनका ठीक ठीक उपयोग कर सकें ताकि जो जनसंख्या आज देश की है उसको हम रोजी दे सकें और रोजी दे करके हम देश में अमन बढ़ा सकें और देश के उत्पादन में तरक्की कर सकें। तो इस हालत में फिर हमारे सामने जो सबसे बड़ा साधन है वह धरती है और बगैर धरती के बटवारे के हम गांवों की गरीबी को दूर नहीं कर सकते, हम अपने शहरों की गरीबी को दूर नहीं कर सकते और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते। तो इससे इनकार करना उचित बात नहीं है और उस हालत में खास तौर से जब महात्मा गांधी के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मित्र संत विनोबा जी दरवाजे दरवाजे ठोकर खा खा कर इस बात के लिये चेतावनी दे रहे हैं और हमारे माननीय सदन के सदस्यों को इस बात के लिये उन्होंने प्रेरणा दी है कि धरती के बटवारे के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी हालत में इससे इन्कार करना मैं समझता हूं महात्मा गांधी के पुराने सिद्धांतों को उनके पुराने उपदेशों से इन्कार करना है। अगर कोई दूसरा रास्ता इसके सिवा हमें बताया जाय कि उस रास्ते से कल्याण

होगा तो हम सोचने को तैयार हैं लेकिन हमारे सामने कोई मार्ग नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि भूमि वितरण के लिये सीलिंग मुकर्रर कर ले और उस सीलिंग के अनुसार जो जमीन निकले उसको हम वितरण करें। प्लानिंग कमीशन ने यह कहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अगर मुझे ठीक से याद है तो कांग्रेस के जेनरल सेक्रेटरी श्री मन्नारायण अग्रवाल का यह विचार कुछ दिनों पहले हमें देखने को मिला था कि जमीन के बटवारे के सवाल को हमें आंखों से ओझल नहीं करना चाहिये। उसके बाद भी इस सदन में बैठकर की बटवारे की बात से इन्कार करना मुनासिब बात नहीं है। यह कहना कि बटवारे से थोड़ी थोड़ी जमीन लोगों को मिलेगी और ऐसा कहकर बटवारे की बात को छोड़ देना यह बात भी मुनासिब नहीं है ४,१३,००,००० एकड़ जमीन आज हमारे हलों के नीचे है। एक करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जो हल के नीचे लायी जा सकती है। अलावा इसके कुमायूं डिवीजन की कोई पैमाइश नहीं है। अगर हम उसकी ठीक ठीक पैमाइश कर लें तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम देश के खेती करने वाले लोगों को कम से कम कितनी जमीन एक व्यक्ति पर दे सकते हैं। चार करोड़ अड़सठ लाख आदमी जो हमारे देश में खेती पर गुजर करने वाले हैं उनको हम इतनी जमीन दे सकते हैं जिससे उनके गुजारे का बंदोबस्त हो सके। आज हमारे सामने और हमारी सरकार के सामने सब से बड़ा प्रश्न यह होना चाहिये कि किस प्रकार हम लोगों को अन्न दे सकते हैं और अगर सरकार इस बात को मानती है कि इसको सब से ज्यादा प्रायरिटी दी जाय, प्राथमिकता दी जाय तो वैसी हालत में बिना अन्न पैदा किये हुये विदेशों से अन्न मंगाने से काम नहीं चल सकता है हम बिक जायेंगे लेकिन देश को अन्न पर आत्म-निर्भर नहीं कर सकेंगे। इसलिये हमें अपनी धरती को अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करने वाली बनाना है। जो हमारा श्रमधन है और जिस पर सरकार को बड़ा गर्व है और होना भी चाहिये। उसकी प्रतिष्ठा उचित रूप से करना होगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन पर कुछ भी पैदावार नहीं होती। पुराने जमाने में वह जमीन के मालिक थे और आज के बदले हुये जमाने में भी मालिक बने हुये हैं। कोई जरूरत नहीं है जब कि सारे राष्ट्र पर संकट है, जब सारा राष्ट्र कराह रहा है मुसीबत से तो उनकी पुरानी मिल्कियत का ध्यान रक्खा जाय। इसकी गुंजायश भी हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं है।

उनके भाषण में खेती की तरक्की के लिये कुछ बातें कही गयी हैं लेकिन जिससे उद्धार होना है गांवों का, गरीबों का और खेतिहर मजदूरों का उसका कहीं जिक्र नहीं है। इसलिये मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस बात को अपनी आंख से ओझल न करे और आंकड़ों के भ्रमजाल में न पड़ कर उसको देखना चाहिये कि धरती के बंटवारे के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर महात्मा जी के प्रति सच्ची सहानुभूति और भक्ति किसी की है तो मैं समझता हूं कि सब से बड़ी भक्ति हमारे संत विनोबा की है और उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिये और धरती के बंटवारे के लिये कोई कदम उठाना चाहिये। संत बिनोवा जी ने कभी नहीं कहा कि हम दान से इस समस्या को हल करेंगे। उन्होंने तो हमेशा इस बात को कहा है कि धरती के बंटवारे के लिये हम एक फिजा पैदा कर रहे हैं, एक वायुमंडल पैदा कर रहे हैं और उसके पैदा करने के बाद, चाहे वह कानून के जरिये हो, चाहे किसी और तरह से, लेकिन वह कानून पर ज्यादा जोर देते हैं और वह यह कहते हैं कि कानून के जरिये यह बात आसानी से हो जायगी।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं खेतिहर मजदूरों के संबंध में कहना चाहता हूं कि जब तक ठीक ढंग से इसकी कोई योजना नहीं होगी तब तक इस समस्या का हल होने वाला नहीं है माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि कुछ जिलों में इसके लिये कानून बना दिये गये हैं और जरूरी हुक्म दे दिया गया है और उसका पालन किया जायगा। मैं श्रम मंत्री जी तथा कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस आदेश का कितना पालन हुआ है और कहां अच्छी तरह से कार्य हुआ है। बलिया, आजमगढ़ और देवरिया में अब भी कहीं-कहीं पर दो-दो, तीन-तीन आने मजदूरी पर दिन भर काम करना पड़ता है जब कि एक रुपये दो आने का सरकार का आदेश

[श्री गेंदा सिंह]

है तो फिर दो चार आने रोज पर क्यों मजदूरी करायी जाती है। इसके लिये सरकार ने क्या किया है। माननीय राज्यपाल के भाषण में इसकी गुंजायश होनी चाहिये थी और हमारी सरकार को यह चाहिये था कि वह माननीय राज्यपाल के मुख से ऐसी बात न कहलाती जिससे कुछ, भ्रम हो या उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो।

तीसरी बात यह है कि माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में पटवारियों के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है। हम मानते हैं कि पटवारी पुराने जमाने में एक बड़ी पापमय व्यवस्था के अंग थे। क्या जमींदार नहीं थे क्या आप ने उन बड़े-बड़े जमींदारों के लिये कोई बंदोबस्त नहीं किया उन जमींदारों का मुआवजा देकर और भूमिधर बना कर उनका कल्याण नहीं किया? वैसी ही हालत में जो पटवारी उस सड़ी हुई व्यवस्था का अंग है उस व्यवस्था के लिये आज भी सरकार यह कहने को तैयार है कि उसको यों ही छोड़ दिया जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार पटवारियों से अपना पिंड नहीं छुड़ा सकती है। यदि ऐसा करने का सचमुच इरादा है तो ऐसे कानून बनाने चाहिये जिनसे पिंड छूट सके हम पटवारी से कोई विशेष आदमी होने से नहीं नफरत करते। बल्कि उसके काम की वजह से नफरत करते हैं। जमींदारी का विनाश किया गया लेकिन उसके बाद जो काग़ज तैयार करने को सरकार ने कहा है यदि उस पर ग़ौर किया जाय तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि यह देखा जाय कि बिना पटवारियों के काम चल सकता है? हरगिज नहीं चल सकता है और इन सब काग़ज़ात के जाल में हम इस क़दर फंसे हुये हैं कि २,३,४, महीने के बाद यह मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा कहां रह जाती है। पहले सरकार के माननीय माल मंत्री जी ने यह कहा कि इस्तीफा देने वाले पटवारियों से कोई बात नहीं की जायगी और इस्तीफा देने वालों को कोई माफी भी नहीं मिलेगी लेकिन उसके बाद दूसरा यह आदेश दिया गया है कि जो इस्तीफा वापिस लेना चाहें वे ले सकते हैं। (एक आवाज—ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया) बिलकुल इसी तरह का आदेश दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि शब्दों का हेर फेर जरूर है लेकिन बात इसी तरह की है। अंग्रेजी भाषा मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाता हूं, आप समझें या यह भवन समझे, लेकिन यह केवल भ्रम है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे पटवारी कितने ही पापी क्यों न हों लेकिन अगर आप उस २८ हजार से पूरा पूरा काम लेना चाहते हैं तो उनको इतना कीजिये कि वह अपना गुजारा कर सकें, और रिश्वत लेने से इन्कार करें। कभी-कभी कहा गया कि इतनी तनख्वाह में उनका काम चल जायगा क्योंकि वे गांवों में रहते हैं। तो क्या उस पाप के करने में हाथ ऐसा कहने वाली सरकार का नहीं है जो पटवारियों को पापी कहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर यह कहना चाहता हूं कि भूमि के बटवारे के सिलसिले में निश्चित क़दम उठाये बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय ज्वाला प्रसाद सिन्हा जी ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। कुछ बोलने से पहले मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि हालांकि माननीय ज्वाला प्रसाद जी ने यह साफ करने की कोशिश की थी उनका दलबंदी से, किसी एक संस्था से या किसी दल विशेष से कोई संबंध नहीं है किन्तु ये शब्द एक जनरल बेसिस में नहीं लिये गये। दलबंदी राजनैतिक पार्टियों की हो सकती है, और भी विभिन्न प्रकार की दलबंदियां हो सकती हैं जैसा कि हमारे भारतवर्ष में एक प्रकार की दलबंदी कास्ट सिस्टम की थी, वह भी एक क़िस्म की दलबंदी कही जा सकती है जिसको कि अब भारतवर्ष से दूर कर दिया गया है। कास्ट सिस्टम के अलावा एक दूसरे क़िस्म की दल बंदी है जो कि "हैव्ज" और 'हैव नौट्स' के नाम से मशहूर है। इस प्रकार की दलबंदी को दूर करने की कोशिश में हम सब लोग लगे हुये हैं। कहने का मतलब यह है कि मेरा विश्वास है कि ज्वाला प्रसाद जी का भी यही मतलब रहा होगा कि वह किसी एक दल के सदस्य या किसी एक संस्था के सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं और उसका समर्थन इस विषय में मैं भी करता हूं। दलबंदी 'ऐज

सच' बड़ी खतरनाक चीज है। यदि हम दलबंदी के सिलसिले में अपनी और बातों को भूल जायं, जैसा कि अक्सर होता है, तो उससे देश का कल्याण नहीं हो सकता। उससे देश को बहुत चोट पहुंचने का अंदेशा है। दलबंदी का जो खतरा है कुछ हद तक माननीय ज्वाला प्रसाद जी ने उसको सदन के सम्मुख उपस्थित किया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि दल-बंदी चाहे जिस रूप में हो उसको देश के लोगों के बीच रखना उचित नहीं है। पिछले दिनों जब तक इस देश में राजे और महराजे राज्य करते थे, वह भी एक क़िस्म की दलबंदी थी। राजे और महराजे एक तरफ और प्रजा दूसरी तरफ थी। इस दलबंदी को दूर कर दिया गया है मगर अध्यक्ष महोदय, हमसे जो यह कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में राजनैतिक संस्थायें हैं किन्तु इनमें किसी प्रकार की दलबंदी अब नहीं है, यह कहना उचित नहीं है। जब कि राजा और महा-राजा के ख़िलाफ़ प्रजा ने आवाज उठायी तो यह किसी का कहना न था कि वह आवाज किसी एक राजा या महाराजा के विरुद्ध रही बल्कि वह आवाज राजा या महाराजा के हाथ में राज्य सत्ता के विरुद्ध रही। जब कि देश भर में अंग्रेजों के ख़िलाफ आवाज उठायी गयी तो वह बाक़ी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज नहीं थी बल्कि वह देश की अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज थी। इस तरह की देश में जो आज दलबंदी है वह केवल इस देश में नहीं है किन्तु सारी दुनिया में पायी जायगी और हमेशा पायी जायगी "Ruler और Ruled" में जो परस्पर दलबंदी है उसका हटना असंभव है। इसलिये मेरा यह विश्वास है और मैं यह चाहता था कि यदि माननीय श्री राज्य-पाल अपने संबोधन में इस बात का कुछ जिक्र कर देते कि जिन व्यक्तियों के हाथ में या जिन संस्था के हाथ में इस समय जनता के इच्छानुसार राज सत्ता है उनको सावधानी के साथ और सहानुभूति के साथ अपना कार्य पालन करना चाहिये। मैं उनकी ग़लतियां नहीं निकालने आया हूं किन्तु यदि कोई ऐसा कहता है या कोई ऐसा कहे कि हमारी सरकार हमेशा सहानु-भूति और बुद्धिमत्ता के साथ पेश आती है तो यह एक बहुत जेनरल क्वालिफिकेशन हो जायगा। जिसके साथ मैं हमेशा सहमत नहीं हो सकता।

सरकार एक व्यक्ति के हाथ में आज नहीं है। यहां एक मंत्रिमंडल है जिसमें १२, १३ पुरुष हैं। इसलिये मैं यह मान सकता हूं कि मंत्रिमंडल के मुख्य पुरुष सदैव जो ऊंचे सिद्धांत हैं उनको ख्याल में रखते हैं किन्तु यह भी सम्भव है कि और यह मानना पड़ेगा केवल मंत्री के ही हाथ में राज्य सत्ता हो। हर ज़िले में किसी न किसी रूप में कुछ हद तक राज्यसत्ता एक संस्था या दूसरी संस्था के व्यक्तियों के हाथ में अवश्य है। यदि वे व्यक्ति इस राज्य सत्ता का, चाहे कम ही क्यों न हो किसी ग़लत तौर पर इस्तेमाल करते हैं या उनके हाथ थोड़ा ही अख्तियार क्यों न हो उसका ग़लत उपयोग करते हैं तो उसका धक्का रूलिंग दल पर अवश्य पहुंचेगा। अधिक न कह कर केवल यही एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि यदि कोई उच्च व्यक्ति जिसके हाथ में राज्य सत्ता हो, यदि ऐसा एक व्यक्ति किसी ज़िले में उस व्यक्ति के पास अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने आता है यदि ऐसा व्यक्ति उस ज़िले के निवासियों से कहे तुम कि लोग जो दुःख भुगत रहे हो वह एक प्रकार से तुम्हारी ही करनी है। तो मैं समझता हूं कि यह एक बड़े और उच्च व्यक्ति तथा जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्दों का निकालना बहुत अनुचित है। इसीलिये मैं अन्त में फिर यही दोहराता हुं कि श्री राज्यपाल को सरकार के प्रतिनिधियों और जिन व्यक्तियों के हाथ में राज्य शासन है उनको एक प्रकार की चेतावनी, एक प्रकार की राय देनी चाहिये थी कि इन व्यक्तियों को अपने राज्य सत्ता सही प्रकार से प्रयोग में लानी चाहिये क्योंकि यह दलबंदी, (Rulers and the Ruled) दलबंदी सदैव चलती रहेगी। आज हमारी सरकार जनता की सरकार कही जाती है किन्तु फिर भी सरकार को यह समझना चाहिये क्योंकि जनता ने ही उसे यहां भेजा, इसीलिये उसे हर वक्त जनता का ही विचार रहता है, होना तो ऐसा ही चाहिये लेकिन दुःख के साथ यह मानना पड़ता है कि हमेशा ऐसा नहीं पाया जाता।

श्री पद्मनाथ सिंह (ज़िला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं जो माननीय राज्यपाल के धन्यवाद के संबंध में यहां

[श्री पद्मनाथ सिंह]

पर देश किया गया है। माननीय राज्यपाल का जो सम्बोधन हुआ है वह निश्चय ही उसके लिये धन्यवाद देने के योग्य हैं। गत वर्षों में इस शासन ने जो उन्नति और व्यवस्था की है उसके संबंध में सरसरी तौर पर विवरण राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में दिया है। वह न केवल विचारने योग्य है बल्कि सिद्धांतरूप से यह विचार करने के योग्य है। इसमें सन्देह नहीं कि जब हम शासन की उन व्यवस्थाओं पर विचार करते हैं तो हमको कुछ दृष्टिकोण अपने सामने रखने पड़ते हैं। हमारे इस देश में जो शासन प्रणाली स्वीकार की गयी है उसमें किसी क्लास की स्ट्रगिल का प्रश्न नहीं है बल्कि क्लास कोलबोरेशन का प्रश्न है। इसलिये जब हम उन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो जो व्यवस्था हुई है तो उसमें जो प्रश्न हमारे विरोधी दल के नेता माननीय श्री राजनारायण जी ने प्रश्न उठाया कि यहां पर भय, अभाव और अत्याचार से कोई मुक्त नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं कि अभाव, भय, आतंक आदि से कौन मुक्त है। आज वर्तमान संसार में और भारत के अन्य प्रदेशों में जहां भय, आतंक और अत्याचार आदि का वातावरण उपस्थित है वहां यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इस उत्तर प्रदेश में भय और आतंक से यह प्रदेश मुक्त है। यह भी सही है कि विरोधी पक्ष की ओर से जो भाषण हुये हैं उनसे भी यह विदित है कि मौलिक रूप से उनका कोई मतभेद नहीं है। जो बातें शासन की ओर से कही गयी है उनमें संभवतः वह तेजी चाहते हैं। जमींदारी का विनाश करने के लिये और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये और खेती का काम बढ़ाने के लिये वह तेजी चाहते हैं और तीव्रता चाहते हैं। तीव्रता उनको कम दिखाई पड़ती है। जब यहां पर जमींदारी तोड़ी गयी तो हमको वह विभीषिका यहां पर दिखाई नहीं दी जो रूस के अन्दर दिखाई दी। यहां पर जमींदारी को तोड़ा गया लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं चला। अब कुछ दिनों के अन्दर ही चकबन्दी होने वाली है और जनता उसके लिये प्रतीक्षा कर रही है और वह बहुत उत्सुक है कि वह जल्दी से जारी हो। इसलिये मैंने जो निवेदन किया वह यही है कि शासन की प्रगति के लिये यह अवश्यक है कि क्लास का कोलबोरेशन किया जाय वह हो रहा है और वह तेजी से दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही कुछ हमारे सामने उसके परिणाम भी दिखायी पड़ते हैं। जब क्लास के कोलबोरेशन की बात होती है तो तब विशेष बात हो जाती है और उसके परिणाम दिखायी पड़ते हैं। इन सब बातों की जब हम यहां पर विवेचना करते हैं तो राज्यपाल महोदय ने जो अपने संबोधन में कहा है वह प्रत्येक दिशा में सही मालूम होता है और हमारे प्रदेश में कुछ अंश में उन्नति हुई है। वह केवल उन्नति ही नहीं हुई है बल्कि उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि जहां पर हम यह कह सकते हैं कि हमको कुछ परिणाम दिखाई पड़ते हैं। इस वर्ष हमारे सामने ऐसे परिणाम आये हैं जिनके आधार पर हम यह आशा कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हमारे सामने एक रास्ता है और उस पर चल कर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उसके परिणाम हम देख रहे हैं। आज देश में निश्चयरूप से यह स्थिति है और हम उस पर चल कर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। आज हम यह कह सकते हैं कि हम कहां पर हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो विवरण राज्यपाल महोदय के संबोधन में है उससे इतना कहा जा सकता है कि हम आज जिस स्थिति में हैं वह पहले से बहुत अच्छी है और अन्य देशों के मुक़ाबले में भी कोई खास पीछे नहीं हैं। अभी २६ जनवरी को जो श्रम दान की व्यवस्था की गयी थी उससे यह भी निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि जनता कितनी हमारे साथ है, कितनी सहयोग की भावना उसमें है। यदि हमसे वह असन्तुष्ट होती, राज्य के शासन में वह सहयोग नहीं करना चाहती या उसे जो लाभ मिलना चाहिये वह न मिलता तो निश्चितरूप से हमें वह सहयोग प्राप्त नहीं होता। आज हम उस स्थिति पर पहुंच गये हैं जहां समन्वय है और उन्नति का निश्चितरूप से संकेत है। जो उन्नति हो रही है उसके संबंध में हाउस के सभी माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं। हमारी आकांक्षा ऊंची है और हम संसार में सब से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से कमी अवश्य है और हम जो यहां बैठे हुये हैं, चाहे जिस विचार के हों, बड़ी तेजी से उन्नति करना चाहते हैं। राज्यपाल के भाषण में इस प्रकार की एक प्रार्थना है कि हम सब मिल कर जुट जायं और उन्नति

करें। परसाल के भाषण में भी और इस साल के भाषण में भी राज्यपाल महोदय के भाषण में पूर्वी जिलों और पिछड़े जिलों की चर्चा की गयी है। मैं उस संबंध में नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश का जो पिछड़ा हुआ भाग है, विशेष रूप से पूर्वी जिले के बारे में सरकार की ओर से उन्नति के लिये ध्यान दिया गया है और बहुत सी बातें की गयी हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी वह प्रयत्न काफ़ी नहीं है। वास्तव में पूर्वी जिलों में, विशेषरूप से आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती में जो कार्य हो रहा है वह मौलिक रूप से कम है। वहां दान के रूप में, भीख के रूप में कुछ ग़ल्ला दिया गया है, कुछ बांध बंधवा दिये गये हैं, कुछ ताल खुदवा दिये गये हैं, कुछ कुयें खुदवा दिये गये हैं लेकिन ये सब कार्य मौलिक प्रश्न को हल नहीं करते हैं, वहां की ग़रीबी को मौलिक रूप से नष्ट नहीं करते हैं। यह जो कार्य हो रहा है बहुत क्षणिक साबित होता है। वास्तव में पूर्वी जिलों की स्थिति बड़ी दयनीय है। पूर्वी जिले प्रकृति के हिसाब से पिछड़े हुये नहीं हैं। गंगा और घाघरा के बीच में जो प्रदेश बसता है वह ग़रीब नहीं हो सकता। वहां घाघरा की वजह से बाढ़ आती है और गंगा के किनारे की ज़मीन कट जाने से पांच महीने वह हिस्सा पानी में डूबा रहता है। बाढ़ से खेती बह जाती है और सूखे से समाप्त हो जाती है। इससे बचने के लिये घाघरा वैली प्रोजेक्ट का सुझाव सरकार के सामने रखा गया था। यदि इस सुझाव पर सरकार कार्य करती तो मौलिक रूप से पूर्वी जिलों की स्थिति सुधर जाती बल्कि पूर्वी जिलों का एक सुनहरा उपवन बन जाता और वह प्रदेश जो आज ग़रीबी में जकड़ा हुआ है वह हरा भरा प्रदेश हो जाता। परन्तु खाद्य समस्या के अलावा पूर्वी जिलों की एक और समस्या है और वह है वहां की बढ़ती हुई जन संख्या। वहां की जन संख्या इतनी ज्यादा है कि यदि हमारे माननीय सदस्य गेंदा सिंह जी की बात मान भी ली जाय और भूमि का वितरण भी कर दिया जाय तो वह भी समस्या हल नहीं होती जब तक उस प्रदेश में इंडस्ट्री की व्यवस्था नहीं की जाती है। केवल ज़मीन से ही गुज़ारा नहीं हो सकता है। इसीलिये मैंने इंडस्ट्री के मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि वहां पर काटेज इंडस्ट्रीज या जो भी इंडस्ट्रीज उचित हों खोली जायं, इसलिये भूमि वितरण से भी यहां का प्रश्न हल नहीं होता। अगर भूमि वितरण ऐसा हो कि होल्डिंग अनएकोनामिक हो जाय तो भूमि वितरण बेकार हो जायगा। अच्छा यह है कि देश की एक छोटी जन-संख्या खेती में लगे और बड़ी जन संख्या इंडस्ट्रीज और दूसरे कामों में लगे। अगर हमारा ध्यान केवल खेती की ओर गया तो हम दूसरे कामों की ओर विमुख हो जायंगे। इसलिये भूमि वितरण जो हमारे देश की समस्या नहीं सुलझायी जा सकती है।

घाघरा वैली प्रोजेक्ट की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर उस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो करोड़ों रुपया व्यय हो जायगा और मौलिक प्रश्न अपने स्थान पर ही रह जायगा। मैं समझता हूं कि सरकार इन बातों को करने का इरादा भी रखती है और इस ओर अग्रसर भी है। मैं केवल सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार बड़ी तत्परता से बिजली के कुयें बना रही है, बांध बना रही है और सरकार इन कामों को करना चाहती है जिससे पिछड़े हुये और पूर्वी जिले उन्नति कर सकें। मैं आशा करता हूं कि वह इस ओर भी ध्यान देगी कि पूर्वी और पिछड़े जिलों में आदमियों के बनाये हुये भी वाटर रिजर्वायर्स हैं। और कुछ प्रकृति के बनाये हुये भी तालाब हैं लेकिन पिछले २५ वर्षों में अंग्रेजी राज्य के ज़माने में आदमी शिथिल पड़ गये हैं और यह दोनों प्रकार के रिजर्वायर्स चौपट हो गये हैं। बांधों को तोड़ कर खेत लोगों ने बना लिये हैं। हम लोगों ने पिछले बार कहा था कि ऐसे रिजर्वोयर्स को क़ानून द्वारा या जैसी भी सुविधा हो इनको खेती से अलग कर दिया। अभी तक राज्य सरकार इस संबंध में कोई ठोस क़दम नहीं उठा सकी है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में विशेष क़दम उठायेगी। हमारा प्रदेश उन्नति की ओर अग्रशील है। जनता उसमें पूर्णरूप से सहयोग दे रही है। अगर हमें अपनी पंचवर्षीय योजना में सफलता प्राप्त होती है तो इसमें संदेह नहीं होगा कि रूस और चीन जिनकी बार-बार चर्चा की जाती है उनसे आगे हमारा देश बढ़ जायगा।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

भारत का निर्माण हो रहा है। वह आगे बढ़ रहा है। और बढ़ेगा।

मैं राज्यपाल महोदय के संबोधन के अनुमोदन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आज मैं सदन के समक्ष माननीय राज्यपाल की जो स्पीच है उसकी ताईद करता हूं। कहा है 'सत्यम् बूयात् प्रियं ब्रूयात् न बूयात् सत्यमप्रियम्'। जैसा कि हमारे माननीय ज्वाला प्रसाद जी ने कहा इस सदन के प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य है कि आज हमारे राज्य की जो दशा है उसका असली चित्र यहां रखना चाहिये।

माननीय राज्यपाल जी ने जो स्पीच सदन के अन्दर दी है उन्होंने वास्तव में सब्सटेन्स हमारे सामने रखा है। उन्होंने किसी चीज को उधड़ा नहीं उसका तत्व खींच कर रख दिया। प्रत्येक माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है कि एक एक शब्द पर विचार करे। उन्होंने हर विभाग पर प्रकाश डाला है। शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन हर विभाग की ओर प्रकाश डाला है और सदन को बताया कि उनका क्या लक्ष्य है।

माननीय राज्यपाल हमारे उन सिपाहियों में रहें जो हमारे फ्रीडम के स्ट्रगिल में हमारे साथ मार्च किये हैं। वह कोई अंग्रेज नहीं हैं। हमारे राज्यपाल वह सेनानी रहे हैं जो मैदानेजंग में हमारे साथ लड़े हैं।

एक सदस्य---आजकल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं।

श्री शिवनारायण---आपको पढ़ा रहा हूं, सुनिये।

सबसे पहले उन्होंने फाइव ईयरर्स प्लान का जो नक्शा हमारे सामने है कि हमारी स्टेट को पांच साल के अन्दर कामयाब और सक्सेसफुल बनाया जाय उसका प्रत्यक्ष नक्शा हमको देखने को मिला। हमारे जिले में भी और अन्य सदस्यों ने बतलाया कि दूसरे जिलों में भी किस तरह से विद्यार्थियों ने अपने सरों पर मिट्टी उठा उठा कर फेंकी है। अध्यापकों और अफसरों ने, जहां जहां जिसकी ड्यूटी थी उसने उसको अंजाम दिया। पूर्वी जिलों का जिक्र हुआ वहां भी हम जी जान से फाइव ईयर प्लान को कामयाब बनाने के लिये जी जान से कोशिश कर रहे हैं, नक्कू बनने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार ने रियालाइज किया कि मेन पावर हमारे पास है, हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे और मकसद में कामयाब होंगे। सन् १९५२ में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा, क्विट इंडिया। और कांग्रेस ने उनके बताये हुये रास्ते पर अमल किया। सब बड़े बड़े लीडर जेल में बन्द कर दिये गये। पर देश में काम जारी रहा। तोड़ फोड़ का आंदोलन चलता रहा, तार काटे गये, रेल काटी गयी और हिन्दोस्तान का नक्शा बदल गया। अंग्रेज चले गये। अब कहीं जिबा हुआ पटवारियों का। मैं आपसे कहता हूं कि यहां से अंग्रेज गये। जमींदार गये। अब उनके साथ पटवारी भी जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने औरों का स्टेप उनके साथ नहीं लिया। जो नोकरी नहीं करना चाहता उसको नहीं रखना चाहिये। हमने उनको बरख्वास्त नहीं किया, मुअत्तिल नहीं किया, उन पर कोई जुर्माना नहीं किया, यह रिकार्ड रहेंगे। पटवारी ने स्वयं इस्तीफा दिया है। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपकी बातों पर विचार कर रहे हैं। अगर आप हमको विचार करने का अवसर न दें, हमको इस सदन के अन्दर बैठकर सोचने का मौका न दें तो फिर क्या किया जा सकता है। हमने उनको इग्नोर नहीं किया उनको काफी रुपया दिया है जितना कि दिया जा सकता है। लेकिन जो आदमी काम करना नहीं चाहता उसको कब तक निभाया जा सकता है। आज कांग्रेस गवर्नमेंट है, कल सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ सकती है, लेकिन जो कलक्टर हैं, एस० पी० हैं, पटवारी हैं वह वैसे के वैसे रहेंगे। हमने किसी भी अफसर को चेंज नहीं किया। निकाला नहीं।

आप को मिसाल देता हूं कि जब इंग्लैन्ड में लेबर गवर्नमेंट हुई उस वक्त यहां वैविल वाइस राय थे। लेकिन उन्होंने आते ही वेविल को हटा दिया और अपने आदमी माउन्टबेटन को यहां भेज दिया। लेकिन हमने कोई चेंज सर्विसेज में नहीं किया। जो पुराने आदमी थे उन्हीं से काम लिया। यहां तक कि गिरजा शंकर बाजपेयी और दूसरे आई०सी०एस० लोग थे उन्हीं से काम लिया। हमारी इस गवर्नमेंट लीनियेंसी के साथ काम कर रही है। माननीय गोविन्द वल्लभ पंत जैसा त्यागी, संतोषी और दया करने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा। जो हमारे विरोधी भी हैं उनको भी आज हमने अपने साथ रखा निकाला नहीं। "क्षमा बड़ेन को चाहिये, छोटेन को उत्पात" तो यह चीजें हमारे सामने हैं। "कहता बहुत मिले, कर्त्ता मिले न कोय।"

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के उठने से पहले बोल रहा था और आपकी इजाजत से अपनी स्पीच को कंटिन्यू करता हूं। मेरे लायक दोस्त माननीय गेंदा सिंह जी ने अभी अपनी स्पीच में यह जिक्र किया था पटवारियों के विषय में कि पटवारी समाज के सड़े गले टुकड़े हैं। उन्होंने खुद क्रिटिसाइज किया। लेकिन मैंने बताया था कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई अनुचित स्टेप उनके खिलाफ नहीं लिया। न हमने उनको डिसिमिस किया, न मुअत्तल किया। उन्होंने खुद रेजिगनेशन हैंड ओवर किया। हमारे माननीय अपोजिट बेंच के मेम्बर ने स्वयं तस्लीम किया कि यह सड़ा गला समाज का टुकड़ा है। अगर ऐसे टुकड़े हमसे अलग होना चाहते हैं तो हम भी उनको रोकना नहीं चाहते हैं वह खुशी से जा सकते हैं। हम वेलकम करते हैं और गेंदा सिंह जी की सलाह को भी मानते हैं। हमने सदैव अपोजीशन बेंचों की बातों को माना है। किसी को इग्नोर नहीं किया। मैं सदैव इस बात की कोशिश करता हूं कि किसी को इग्नोर न किया जाय। जैसा मैंने बताया कि हमारी मौजूदा सरकार जो है वह समदर्शी है और सबके साथ एक सा व्यवहार कर रही है। हमने अभी बताया कि हमने अपने उन्हीं पुराने गवर्नमेंट सर्वेंट को रखा। हमने किसी को निकाला नहीं। जो रहना चाहते हैं रह सकते हैं और जो नहीं रहना चाहते खुशी से जा सकते हैं। मैं पुनः शिक्षा के ऊपर माननीय राज्यपाल महोदय ने जो प्रकाश डाला है उनकी स्पीच का जो सबस्टेंस है वह यही है कि वह इन्क्लाब चाहते हैं शिक्षा में, शिक्षा में एक परिवर्तन चाहते हैं। वह परिवर्तन अवश्य होगा जब कि वह उनके मद्दे नजर है हम इसके साथ साथ आपके जरिये से अपनी सरकार का भी ध्यान उन पिछड़े हुये अध्यापकों की तरफ दिलाना चाहते हैं जिनके बारे में प्रश्नोत्तर के समय यह जिक्र किया गया कि हड़ताल की नोटिस दी है या अनशन करने वाले हैं लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सरकार को कि सरकार ने जो आश्वासन उनको दिया है उस आश्वासन पर स्टेप लिया जाय, काम किया जाय, उनकी बातों पर विचार किया जाय, क्योंकि अध्यापक जो है वही हमारे नेशन बिल्डर्स हैं। अगर नेशन बिल्डर्स की चिन्ता नहीं करेंगे तो हम नुक्सान उठा सकते हैं। लेकिन हम उनके विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि उन्हें सुख पहुंचे, उन्हें खाना मिले, उनको अच्छा कपड़ा मिले और उनकी इज्जत रहे क्योंकि वही हैं जो हमारे लिये गांधी और जवारहरलाल पैदा कर सकते हैं। मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था और हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि उनकी जितनी भी मांगें हैं वे सब पूरी की जावें। हमने गुलामी झेली है और उसके बाद हम अपने देश को ऊपर लाना चाहते हैं। यदि अब हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे ? कहीं वार छिड़ गई तो हमें अपने नौजवानों को लड़ाई के मोर्चे पर भेजना होगा। हम शिक्षा में भी तब्दीली करने जा रहे हैं। मैं अपील करूगा कि जितने हमारे अपोजीशन बैंचेज के भाई हैं उनको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर देश का कार्य करना चाहिये। जैसा महाभारत में अर्जुन वगैरह ने कहा था और भीष्म पितामह ने कहा कि हम बाहर १०५ हैं, ५ नहीं हैं : इसी तरह हमें भी १०५ बनना चाहिये। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चल सकता है। हमें और आपको

[श्री शिवनारायण]

फाइवईयर प्लान को पूरा करना है। अपनी सड़कें और तालाबों को ठीक करना है। कोई मिनिस्टर हमारे गांवों में खेती करने या हल चलाने नहीं जायगा। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि पिछली ग्रेटवार के जमाने में जर्मनी में विद्यार्थियों ने एक-एक साय के प्याले पर सड़कें बनाईं। मैं सरकार से अनुरोध करूगा कि वह भी कुछ ऐसा ही इन्तजाम करें। मैं चाहता हूं कि पी० डब्लू० डी० में हमारा जितना रुपया खर्च होता है वह अगर न संस्थाओं को दे दिया जाय तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। पिछले दिनों में बहुत से विद्यार्थियों ने हमारी सड़कें बनाई। हमारे टीचरों और अफसरों ने भी बनाने में सहायता दी। हमारे अफसर भी हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। मैं अध्यापकों के बारे में कहूंगा कि वे हमारे पटवारियों का भी काम कर सकते हैं। रात्रि पाठशालाओं को चला सकते हैं और नन्हें-नन्हे विद्यार्थियों से काम ले सकते हैं। वे उनके अन्दर स्प्रिट फूंक सकते हैं। वह हमारी आने वाली संतान हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सी पार्टियां अपने नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। कोई जनसंघ बनाये बैठा है तो कोई सोशलिस्ट है। मैं चाहता हूं कि इन नन्हें-नन्हें छोटे कोमल बच्चों को चौपट न किया जाय। उनको पोलीटिक्स में न खींचा जाय। उनके एम०ए० पास कर लेने के बाद और उनके किसी सब्जैक्ट में मास्टर होने के बाद चाहे वे पोलिटिक्स में आ जावें। लेकिन यदि हमनें उन्हें बिगाड़ा तो वे बच्चे हमारे और आपके नाम पर क्या क्या कहेंगे ? यह इतिहास बतलायेगा।

मैं भूमिधरी के बारे में कहना चाहता हूं कि हमने जमींदारी अबालिशन किया। हमने किसी की जमीन जबरदस्ती नहीं छीनी है। जो खेत जिस को जोतेगा वह उसका मालिक होगा। लेकिन आज लोग हल्ला करते हैं। शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल काम करना है। ईमानदारी से जिनके नाम खेत है उनको दिया जाय। हम लोगों ने जिन्होंने जिन्दगी भर हरिजनों के लिये काम किया लेकिन एक बिस्वा भी हमारे नाम नहीं लिखा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज विचाराधीन है कि यह सिस्टम खत्म किया जाय क्योंकि इसने हरवाहे और जमींदार के बीच एक खाई बना दी। असामी और जमींदार के बीच बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे वे उनके पिछवाड़े रहते थे। हर्रैया में मैं गया था मैंने वहां रंगबहादुर सिंह से कहा था कि ये जो चमार तुम्हारे पिछवाड़े रहते हैं उन्होंने तुम्हारे लिये क्या काम किया है। उन्होंने राणा प्रताप के लिये हल्दीघाटी में उनके बाप दादों ने तलवार खींची थी इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से कहना चाहता हूं कि संगठन, मेल, भ्रातृभाव और देश के कल्याण को सोचते हुये हम लोगों को गले से गला जोड़कर काम करना है। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन यहां पर उपस्थित करता हूं।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं---

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने संबोधन में चरित्र निर्माण तथा शारीरिक उन्नति के संबंध में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा है।"

आज कल जो कुछ भी गड़बड़ी है वह सब चरित्र निर्माण की कमी से ही प्रतीत होती है। मैं इस बात का अनुभव कर चुका हूं और सरकार की ओर से भी इस बात के लिये प्रयत्न किया जा रहा है कि राष्ट्रनिर्माण हो और इसी के लिये पंचवर्षीय योजना भी है। इसमें संदेह नहीं है कि उससे देश का बहुत लाभ होगा परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि बिना चरित्र निर्माण के उसकी सफलता भी संभव नहीं है। चरित्र निर्माण हो जाने पर राष्ट्र निर्माण बड़ी दृढ़ता के साथ हो सकता है अन्यथा वह स्वप्नवत् होगा। और जो भव्य भवन राष्ट्र निर्माण का यहां पर तैयार किया जा रहा है यदि चरित्र निर्माण पर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो वह बालू की भीत पर होगा जो पहले तो तैयार नहीं हो सकेगा और अगर बन भी जाय तो क्षणभंगुर होगा। इस संबंध में कोई मतभेद नहीं है परन्तु देखने में यह आता है कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसका कारण यह है कि नाना प्रकार के धर्मों के मानने वाले लोग यहां हैं और किसी के प्रति पक्षपात करना अनुचित है। इसी प्रकार में

निवेदन करूंगा कि यहां पर चरित्र निर्माण के प्रति एक घोषणा होनी चाहिये और चरित्रवान् व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिये और चरित्रहीनों को प्रोत्साहित नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि धर्म निरपेक्ष के साथ वह चरित्र निरपेक्ष न बनें अपितु शासन में दल निरपेक्ष होने की भी घोषणा करे। यदि किसी दल विशेष का कोई व्यक्ति प्रोत्साहित होता है इसलिये कि वह अमुक दल का प्रधान है या कुछ और है और वह चरित्रवान् हो तो उसका जनता पर, समाज पर, दुष्प्रभाव पड़ता है। और जनता के दिल में इस बात से क्षोभ उत्पन्न होना स्वभाविक भी है। इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि चरित्र निर्माण सब के लिये सब प्रकार से जरूरी होना चाहिये और इसकी अत्यन्त आवश्यकता है, इसके लिये आदेश होने चाहिये। जो होना चाहिए चाहे कोई भी हो अगर चरित्रवान् नहीं है तो उसे प्रोत्साहन न दिया जाय और उसका आदर न किया जाय ताकि लोगों पर बुरा असर न पड़े। इसलिये चरित्र निर्माण के संबंध में दो शब्द कह कर अब मैं दूसरी बात पर आता हूं।

शारीरिक उन्नति की भी देश के लिये नितांत आवश्यकता है। शारीरिक उन्नति के बिना स्वस्थ शरीर नहीं हो सकता है और इसके लिये चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, सदाचार की आवश्यकता है, इसके लिये सात्विक भोजन, शुद्ध दूध और शुद्ध घी की महती आवश्यकता है। शारीरिक उन्नति होगी तो मनुष्य का मस्तिष्क भी उन्नत होगा। इस प्रकार से शारीरिक उन्नति के होने से लोग श्रमदान अधिक कर सकेंगे। श्रमदान की जो नई योजना हमारी सरकार की चल रही है, बड़ी अच्छी बात है, उसमें श्रम करने में स्वस्थ शरीर के होने पर हम अधिक सफल हो सकते हैं। अगर सरकार इधर ध्यान देगी तो जो योजना है तो वह शीघ्र सफलता को प्राप्त होगी। इस प्रकार से यह जो दो बातें महामान्य राज्यपाल के संबोधन में विशेष रूप से नहीं आई हैं मैं उनकी ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाने के लिये इतने शब्द कह रहा हूं।

मैं श्रीमन्, इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी दल विशेष के पक्ष में नहीं हूं और न मैं किसी दल विशेष से द्वेष ही रखता हूं। मैं चाहता हूं कि सब दलों के ऊपर हमारा देश रहे, देश ही सर्वोपरि है और जो दल अच्छा कार्य करे, चाहे वह कोई भी दल हो उसके लिये सहयोग देना चाहिये। इस तरह से किसी दल विशेष से संबंध न रखते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की उन्नति हो और सब लोगों का विश्वास हो जाय कि सरकार सबकी है और किसी दल विशेष की सरकार नहीं है और न पक्षपात की जरूरत है।

इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जितनी योजनायें आज बनाई जा रही हैं उनकी सफलता में सब प्रकार से वह सहायता मिलेगी। मैं इन शब्दों को कहते हुये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं कांग्रेस से द्रोह करता हूं और द्वेष करता हूं और क्योंकि मैं आज कांग्रेस में नहीं हूं, इसलिये यह कह रहा हूं। मैं तो निष्पक्ष होकर यह कह रहा हूं जो सबके लिए होना चाहिये। कांग्रेस से चाहे मेरा कुछ भी संबंध क्यों न रहा हो और कांग्रेस चाहे कैसा भी व्यवहार क्यों न करे। लेकिन मैं कोई भी बात हो निष्पक्ष भाव से कहता हूं। मैं इन बातों को मानता हूं कि--

अस्मानवेहिकल मान लमहतानी, येषां प्रचंड मुसलेखदासतैव।
स्नेहं विमुच्य सहसा खलतां पयान्ति, येस्वल्प पीड़न वशान्नवयं तिलास्ते।।

मैं इन शब्दों को इसलिये कह रहा हूं कि यहां पर कोई सज्जन यह न सोचे कि मैं कांग्रेस में न होने से यह कह रहा हूं और विरोध कर रहा हूं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो इस श्लोक का अर्थ है। कांग्रेस ने चाहे कोई भी व्यवहार मेरे साथ किया हो लेकिन मैं तो वह चावल हूं जिस पर बड़े बड़े मूसल पड़ते हैं और जितनी चोट उस पर लगती है, उतना ही वह स्वच्छ होता जाता है और मैं वह तिल नहीं हूं जो थोड़ी सी पीड़ा पर स्नेह छोड़ कर खलता प्राप्त कर ले इस प्रकार हमको सर्वोपरि देश को समझना चाहिये और देश के लिये ऐसे ऐसे उपाय सोचने चाहिये कि जिनसे उसकी उन्नति हो, उसके कष्ट दूर हों और दल विशेष का ध्यान रख कर ही कोई काम नहीं करना चाहिये। जो काम दल विशेष का ध्यान रख कर किये जा रहे हैं उनका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। योजनाओं पर विचार करते हुये कुछ लोग सोचते

[श्री रणंजय सिंह]

हैं कि योजना सरकारी हैं और सरकार किसी दल विशेष से संबंध रखने वाली है, मेरी प्रार्थना है कि हमें केवल निष्पक्ष होकर ही कार्य करना चाहिये। योजनायें जो भी बनें वे देश की उन्नति के लिये बनें और उनको हमें शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिये। हमारा देश बहुत दिनों तक परतंत्र रहा, अब स्वतंत्र हुआ है, अब हमें उसके मार्ग में कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये, उसकी उन्नति का मार्ग अब साफ हो जाना चाहिये। आज हमारे देश को ऐसे आदमियों की आवश्यकता है जो सच्चे हों, और निष्पक्ष हों, बलवान् और बुद्धिमान् हों ऐसे समय में हमारे उन्नति की ओर ध्यान देना है। उसके लिये हमें उपाय करना है। उसके लिये अच्छे भोजन का प्रबंध करना है। ऐसा नहीं कि कहीं चावल बनावटी बन रहा है, दूध कृत्रिम बन रहा है, और बनावटी घी के मारे तो नाक में दम है। ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। सरकार को और सब लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि लोगों की शारीरिक उन्नति हो। व्यायाम के लिये शुद्ध दूध और घी उसके लिये गोरक्षा की परम आवश्यकता है। गोबध बंद हो इसके संबंध में हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिये। मैं समझता हूं इससे जनता सुखी होगी, जनता बलवान् होगी और इस काम में जनता सरकार का हाथ बटायेगी। अब मैं सदन का और अधिक समय लेना नहीं चाहता और अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह सदैव निष्पक्ष होकर इस बात का सदैव प्रयत्न करती रहे। कोई सज्जन यह न समझें कि विरोध के भाव से मैं यह चीजें कह रहा हूं लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अन्त में मैं आशा ही नहीं करता वरन् मुझे विश्वास है कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी और ऐसा उपाय किया जायगा जिससे देश का निर्माण जल्द हो सके, जिससे राष्ट्र का सुदृढ़ निर्माण हो, जिसे हमारी शारीरिक उन्नति हो सके और जिससे हमारे देश के लिये विद्वान, बलवान, विचारावान्, धनवान और सेवावान व्यक्ति पैदा हो सकें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष जी, मैंने ध्यान से राज्यपाल महोदय के व्याख्यान को सुना। मुझसे पहले जो व्याख्यान हुये हैं उनको भी मैंने सुना और विचार करता रहा और इस वक्त मैं प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव बहुत अच्छा है इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हरएक आदमी जो कि पढ़ा लिखा और समझदार है वह इस बात को समझता है। इस सदन में ऐसे लोग भी हैं जो यह समझते हैं कि इस मौके पर इससे अच्छा व्याख्यान हो ही नहीं सकता लेकिन हमारा विरोधी दल इसको अच्छा समझते हुये भी, कहता नहीं है। मैं यह बात आक्षेप करने की नीयत से नहीं कह रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब कि बात को ठीक समझते हुये भी विरोध करने के लिये ही विरोध किया जाता है। इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, वहां जो बैठेगा विरोध करेगा। मैं इस अवसर पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, हमला नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उन भाइयों को ईमानदार मानता हूं, अच्छा मानता हूं कि वे भी हमारे मुल्क की भलाई चाहते हैं।

यह हमारी बदकिस्मती है कि उन्होंने लाल टोपी दे ली लेकिन मुझे उनकी नीयत पर कोई सुबहा नहीं है। वे समझते हैं कि मुल्क की भलाई उन्हीं के रास्ते पर चलने से है और उसी दृष्टिकोण से वे अपनी बातें भी कहते हैं। इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन इस बात की शिकायत मुझे जरूर है कि हमारे काबिल दोस्त जो कि विरोधी कुर्सियों पर बैठते हैं, जब यहां पर कोई व्याख्यान देते हैं तो चाहे प्रस्ताव भुखमरी का हो, चाहे पानी की कमी का हो या राज्यपाल के व्याख्यान पर हो या कोई ऐडजर्नमेंट मोशन भी लाते हैं तो उसमें भी यही कहते हैं कि साहब समाजवाद आना चाहिये, जमीन का फिर से बटवारा हो जाय, सरकारी अफ़सरों का वेतन ज्यादा से ज्यादा एक हजार रु० पे हो और कम से कम पे १०० रु० दे दिया जाय। लुब्बेलुबाब हर चीज का एक ही हुआ करता है। हमारे लायक दोस्त इस बात को भूल जाते हैं कि हम इस सदन में बोल चुके हैं। यहां पढ़े लिखे लोग हैं, कई बार कह चुके हैं, आगे क्या कहेंगे? आने वाली नस्लें, बच्चे क्या कहेंगे जब कि वे प्रोसीडिंग्स को उलट कर देखेंगे कि हर जगह एक ही बात दोहरायी गई है। मेरे लायक दोस्त श्री गेंदा सिंह जी अक्सर अपने भाषणों में चुटकुले कहते

हैं। मैं भी इस मौके पर एक चुटकुला सुनाना चाहता हूं।

एक रंगरेज था जिसके पास सिर्फ गुलाबी रंग था। जो कोई भी उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिये जाता था उससे कहता था कि बतलाइये किस रंग में रंग दूं? गुलाबी में रंग दूं या नीले में रंग दूं या सतरंजी में रंग दूं जिसमें आप कहें मैं रंग दूं लेकिन अच्छा गुलाबी ही रहेगा। यानी रंग तो पचासों गिना जाय लेकिन रंगने के लिये गुलाबी ही में कहे ठीक वही हालत इनकी है कि हर बात में वे समाजवाद की बात ही कहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि और भी प्वायंट्स कहे जायं जो समाजवाद के माफिक हों और सही भी हों और दूसरे पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जाय। मैं इस सदन में पहले भी व्याख्यान दे चुका हूं और इसका जवाब भी दे चुका हूं। आप भले ही न डरें लेकिन मैं डरता हूं कि आखिर कहूं तो क्या कहूं? क्योंकि इसका जवाब दिया जा चुका है। अगर फिर कहता हूं तो अपनी बात को ही दोहराता हूं। इसलिये जब आप से निवेदन करता हूं कि कोई बात कहें तो उसे अच्छी तरह से सोच समझ कर कहें ताकि उससे सदन का फायदा हो, पब्लिक का फायदा हो और आपका भी फायदा हो। मैं अर्ज करूंगा अपनी पार्टी से, अपने सदन से कि आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन का मौका दे दीजिये ताकि उनको अपनी बातों कहने का पूरा मौका मिल जाय लेकिन शर्त यह हो कि आयन्दा इसको फिर दोहराना नहीं होगा जिसमें हाउस का समय नष्ट न हो।

कहा यह जाता है कि कांग्रेस की रफ्तार कम है इसलिये हम उस रफ्तार में तेजी लाना चाहते हैं। गरीबी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, भुखमरी है इसलिये हम उसे तेज रफ्तार से मिटाना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी चीज है, अच्छे काम में तेजी करना अच्छा है। इसे कोई भी बुरा काम नहीं कह सकता है लेकिन हुजूरवाला, तेज उसको किया जाता है जो दोस्त सुस्त चलता है लेकिन जो तेज चलता रहा है उसको क्या तेज किया जायगा? तेज चलने के लिये बैलगाड़ी छोड़ कर ट्रेन में बैठा जाता है और ट्रेन छोड़ कर हवाई जहाज में बैठा जाता है लेकिन अगर हवाई जहाज को भी तेज किया जायगा तो हवाई जहाज का इंजन फट जायगा। चीनी में चीनी डालने से उसमें और मिठास नहीं बढ़ती। उसका वजन भले ही बढ़ जाय लेकिन चीनी वैसे ही रहेगी। जो स्वार्थी होता है उसको परमार्थ करने के लिये कहा जा सकता है लेकिन जो परमार्थी है ही, जो दूसरों की खिदमत करने में ही जो अपनी इज्जत समझता है, जो इम्तहान पास कर चुका है, जिन्होंने मुल्क के लिये अपनी जान पर खेली है उनके लिये यह कहना कि वे जल्दी नहीं करते और तेजी करने की जरूरत है ठीक नहीं मालूम होता। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वे सदन का समय नष्ट न करें। कहा जाता है कि पटवारियों की तनख्वाह कम है। हम भी कहते हैं कि आज के महंगाई के जमाने को देखते हुये उनकी तनख्वाह कम है। मगर उनको कहां से दिया जाय इसका रास्ता भी तो बताइये। अगर बजट में पैसा नहीं है तो कहां से दिया जाय। आप कहेंगे कि पूंजीपतियों पर टैक्स लगा दिया जाय। पूंजीपतियों पर तो पहले से ही इतना टैक्स लगा हुआ है कि उससे वह बहुत परेशान हैं। तो फिर आप बताइये कि पैसा कहां से लाया जाय। जमींदार भी खुद परेशान हैं। मुल्क की भलाई करने के लिये उनकी जमींदारियों को ले लिया गया है। और कौन सी क्लास रह जाती है जिस पर टैक्स लगाया जाय। उधर पूंजीपति शिकायत करते हैं कि हम टैक्स से दबे जा रहे हैं और इधर आप शिकायत करते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है पैसा छोटे कर्मचारियों को कम दिया जा रहा है तो फिर क्या किया जावे और क्या तरकीब की जाय। हम तो उनकी शिकायत सुनने को तैयार हैं और उनकी बातों को सुना जायगा लेकिन जब उसका समय आयेगा तभी कुछ किया जा सकता है। हम भी हमारी सरकार और भी चाहती है कि उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाय लेकिन हम मजबूर हैं और उस मजबूरी की वजह से ही हमको अपनी इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ता है। जैसे हर एक घर का मालिक चाहता है कि उसके

[श्री सीताराम शुक्ल]

पास एक मकान भी हो, सामान भी हो और वह अच्छी तरह से रहे लेकिन परिस्थिति वश उसको वैसा ही रहना पड़ता है। बहुत उद्योग करने पर भी आदमी अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है और उसके बच्चे एक एक चीज से मुहताज रह जाते हैं हालांकि वह बहुत मेहनत से काम करता है। आदमी कर्जा लेकर भी काम करता है और सरकार ने कर्जा भी लिया है लेकिन उसके बाद भी आवश्यकता बनी रह जाती है। मैं समझता हूं बहुत होशियार आदमी भी कभी कभी धोखा खा जाता है। पटवारी बहुत होशियार आदमी हैं लेकिन फिर भी वह आप लोगों के धोखे में आ गये। इसलिये आप ऐसा प्रचार न करें जिससे लोगों का नुक़सान हो। मिडिल क्लास पहले से ही परेशान है आप अपना प्रचार करके उनको और परेशान न कीजिये। ग़रीब आदमी तो अपनी गुजर करने के लिये अपनी मेहनत करता रहता है उसको दूसरी बातों के लिये फुरसत ही नहीं रहती है। इसलिये आप कम से कम उन लोगों का तो नुक्सान न कीजिये वरना उनकी हालत भी ख़राब हो जायगी और वे लोग अपना गुजर भी नहीं कर पायेंगे।

आप बराबर जमीन के बटवारे का सवाल उठाते हैं। बटवारे से बहुत सी समस्यायें पैदा हो जायगी। आप किस तरह से उसका बांट करेंगे। अगर किसी के ४ लड़के हैं। एक २ साल का एक १ साल का, और एक १० साल का। तो एक बार बंटवारा करने के बाद आप फिर उस सवाल को उठायेंगे और बटवारा करना होगा क्योंकि बांटना तो जरूरी है। इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी आदमी मेहनत नहीं करेगा और उन्नति नहीं हो सकेगी। आप जनता को आराम देना चाहते हैं किन्तु बदले में नुक्सान हो जायगा। इसलिये जो चीज यहां पर है अगर जमीन परती होती या बेकार होती तब कुछ बात समझ में आ सकती थी लेकिन किसी से छुड़वाकर उसका बंटवारा करना उचित नहीं मालूम होता है अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है तो उसके पास से टैक्स लगा कर ले सकते हैं। इस कारण आप इस तरह से लोगों को न बहकाइये इससे उनका नुक्सान हो जायगा अगर आपने ग़रीबी बढ़ा दी तो जो पब्लिक सेवा करने की बात आप कहते हैं वह नहीं हो पायेगी। श्रमदान की जो बात है तो उसमें वही लोग जाते हैं जो मिडिल क्लास के हैं, मजदूर नहीं जाता है। वह जाय तो खाय क्या? अगर सब ग़रीब हो जायंगे तो आप को भी पैसा नहीं मिलेगा, आप प्रोपेगेंडा नहीं कर पायेंगे। यह तो पैसे वाले हैं जो अपने राजनीतिक मुख़ालिफ को भी पैसा दे देते हैं। हम जानते हैं कि पूंजीपतियों के पास कम्यूनिस्ट जाते हैं। भूतपूर्व जमींदारों के पास आज भी, जमींदारी खत्म होने के बाद, सोशलिस्ट जाते हैं। लेकिन

मंगन लहहिं न जिनके नाहीं,
ते नरवर थोड़े जगमाहीं।

उनका आदर्श है, इसलिये हुजूरवाला अपने प्वाइंट आफ़ व्यू से भी अगर आप देखें तो ग़लत प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिये। अब लाल रोशनी हो गयी मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा समय लूं। इसलिये मैं आप से अर्ज करता हूं कि सोच कर, समझ कर आप प्रचार कीजिये, ताकि ग़रीबों का नुक्सान न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आर्थर ग्राइस (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)—मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गवर्नर को उनकी स्पीच के लिये और आप की इजाजत से एक दो प्वाइंट्स उठाना चाहता हूं। उन्होंने अपनी स्पीच में रेफ़रेंस दिया है—

"The labouer situation is stated to have improved Considerably and promoting harmonious relations. The year is marked by tripartite deliberations between representatives of employers and workerse.

यह जो नैनीताल में एक एम्पलायर्स और लेबर की ट्रिपार्टाइट मीटिंग हुई थी और उसके बाद

सरकार ने और भी लेबर की इन्क्वायरी की। हम सवेरे से देख रहे हैं कि सिवाय जमींदारी और वे किसान के किसी ने यह नहीं सोचा कि इंडस्ट्रियल लेबर का क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियल लेबर की हालत सचमुच बिगड़ी हुई है और हमारे लीडर्स जो हैं वे पार्टी लीडर बने हुये हैं। कोई कांग्रेस में चला आया, कोई सोशलिस्ट में चला आया, कोई किसी पार्टी में चला आया और उसको पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, सच्चा लेबर आर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हैं। इसकी वजह से मिलों की हालत बड़ी खराब हो रही है। हम जानते हैं कि हमारे भाई कहेंगे कि यह तो मिल का पेड सर्वेंट है, यह तो जरूर मिल मालिकों के गुण गायेगा। पर मेरी पोजीशन यूनिक है। मैं मुलाजिम हूं पर इंडिपेंडेंट हूं, ऐबसोल्यूटली इंडिपेंडेंट। हम इंजीनियर हैं और हम दोनों तरफ से देख सकते हैं और मैं यही प्रार्थना इस हाउस के सामने करता हूं कि हमें लेबर सिचुएशन को ठीक से समझना चाहिये। हमारी सरकार ने सब लेबर इंक्वायरी कमेटी वगैरह छोड़ दी है और एक शख्स से इन्क्वायरी करा रही है। लेबर ट्रिपार्टाइट इन्क्वायरी मांगती है। सरकार उस एक शख्स की इन्क्वायरी में काफी रुपया भी खर्च कर रही है। वंशीधर अपनी रिपोर्ट साल, दो साल या छः महीने में दें और बाद में लेबर कहे कि हम इसको नहीं मानते हैं तो आखिर यह क्या हो रहा है। हमारे हाउस मिनिमम वेजेज ऐक्ट पास किया था। मजदूर का मिनिमम वेजज ३० रुपया कर दिया। हमारी सरकार ने यह नहीं सोचा कि हमारा स्किल्ड लेबर जो है जो ३०,३५,३२,३३ या ३४ रुपया पाता था और जो ८ आना मजदूर पाता था अब वह भी १ रु० ४ आ० या १ रु० ६ आने पाता है और सेमी स्किल्ड लेबर भी १ रु० ३ आने पा रहा है। सेमी स्किल्ड लेबर कहता है कि मैं क्यों खास काम करूं जब कि मजदूर को सवा रुपया मिल रहा है। महंगाई उसको मिल रही है। महंगायी हमें मिल रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात को ध्यान रखे। मैं पिछले साल जब मई में आया तो सम्पूर्णानन्द जी को एक स्कीम भेजा था कि जो लड़के स्कूल से निकल कर आ रहे हैं उनके अपरेंटिसशिप का कोई इंतजाम होना चाहिये। वह नापास हुआ। अगर कोई टेक्सटाइल स्कूल है तो लड़के आकर सीख लेते हैं। पर कोई यह नहीं है कि जो शुरू से कोई मिस्त्री हो वह लिखा पढ़ा लड़का रहे। नाइट स्कूल अगर हो तो लड़का जा सकता है। विलायत, अमेरिका, कैनाडा, न्यूलैंड में यही हो रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं बनायी है जिससे स्कूल में अपरेंटिसशिप हो सके। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को कभी पहुंच नहीं सकते हैं जब तक हम अपने लड़कों को अपरेंटिसशिप न दें। फिर मैं प्रार्थना करता हूं कि सेमी स्किल्ड लेबर के लिये सरकार सोचे। हम जानते हैं कि यहां भी बहुत सोच हो रहा है। पर ऐसी स्किल्ड लेबर के ऊपर कुछ करना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। स्टेट इंश्योरेंस के लिये मैं गवर्नमेंट को कांग्रैटुलेशंस देता हूं। यह बहुत अच्छी चीज है। पर उसमें एक फर्क है और खास यह फर्क है कि आइडेंटीफिकेशन आफ लेबर नहीं होता। हजारों मजदूर हैं। एकनाम के कई-कई मजदूर हैं। एक अब्दुलगनी डाक्टर के पास पहुंच गया। उसने कहा कि छट्टी लिख दो। एक अब्दुल गनी गांव में बैठा हुआ है और एक को छुट्टी मिल गयी। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आइडेंटिफिकेशन हो जाय। फोटो लगाया जाय। कुछ भी हो जाय।

अब मैं एजूकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। राज्यपाल जी ने कहा है, "माई गवर्नमेंट इज गिविंग ड्यु कंसीडरेशन टु दि रिफ्रोरिएंटेशन आफ दि प्रेजेंट सिस्टम आफ़ एजूकेशन' रिफ्रोरिएंटेशन का मतलब यह है कि मेकिंग फ्राम वेस्टर्न टुइंडियन। लेकिन जितनी लर्निंग है, साइंस है सब वेस्ट का है। मैं खूब समझता हूं कि हिन्दुस्तान को हिन्दी सीखनी जरूरी है। हम लोगों को हिन्दी पढ़ना लिखना सीखना जरूरी है। पर इतना भागने से, इतनी जोर से घोड़ा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रिफ्रोरिएंटेशन के मानी हैं एक ईंट को उखाड़ कर दूसरी जमाना।

हमारे राज्यपाल जी ने अस्पताल के लिये कुछ नहीं कहा। पिछले साल गुप्ता जी ने यह कहा था कि हमारे स्कूल में नर्सेज नहीं हैं तो मैंने अप्लीकेशन दिया था कि उनका एजूकेशन स्टैंडर्ड बहुत भारी है उसको रेड्यूस कर दिया जाय। ऐंग्लो इंडियन स्कूल की लड़कियां चाहे वह हिन्दू हों, मुसलमान हों, इंडियन क्रिश्चियन या ऐंग्लो इंडियन, मैं दावा करता हूं कि सातवीं

[श्री आर्थर ग्राइस]

स्टैंडर्स की लड़कियों का स्टैंडर्स इंडियन स्कूल्स की लड़कियों से ऊंचा है और मैं यह दावे से कह सकता हूं और एग्जामिनेशन करके भी पता चल सकता है कि हास्पिटल्स में जो नर्सेज की कमी है वह दूर हो सकती है। लड़कियां बहुत हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

एक और बात है। इन इंस्टीट्यूशंस में खाने की बहुत खराबी है। खाना महा रद्दी है और उनकी वर्किंग कंडीशन महा रद्दी है। मुझे अफसोस है कि मेरी सरकार इतनी एलैबोरेट दूर दूर की स्कीम सोचती रहती है पर जो स्कीम्स उनकी आंख के नीचे हैं वह नहीं दिखायी देती हैं। हर जगह मैं देखता हूं कि सी० आई० डी० लगी रहती हैं। वहां भी एक दो सी० आई० डी० लगा दीजिये यह मालूम करने के लिये कि वहां की वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, वर्किंग टाइम, सर्विसेज के बारे में और चीजें, जैसे ट्रांस्फर्स इन सब के बारे में जानकारी करनी चाहिये।

मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन बातों की तरफ ध्यान देंगे। थैंक यू।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने—

(क) अपने संम्बोधन में २८ हजार पटवारियों के त्यागपत्र के संबंध में चर्चा नहीं की।

(ख) प्रान्तव्यापी मेहतरों की हड़ताल के संबंध में चर्चा नहीं की।

(ग) गन्ना उत्पादकों का मूल्य अब तक मिल मालिकों के यहां पड़ा हुआ है। उसके संबंध में चर्चा नहीं की।

(घ) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में मजबूती एवं सक्रियता लाने के लिये धर्तों के बटवारे की चर्चा नहीं की।

(ङ) गत अकाल के समय बनायी गयी सड़कों, बन्धों आदि को स्थिर बनाये रखने के लिये किसी योजना का संकेत नहीं किया।

(च) अभाव-ग्रस्त पूर्वी जिलों में सिंचाई का प्रबंध शीघ्र कराने की व्यवस्था नहीं की।

(छ) छोटे-छोटे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के संबंध में चर्चा नहीं की।

(ज) अभाव ग्रस्त पूर्वी जिलों की जिला बोर्डों और शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में चर्चा नहीं की।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी के भाषण के संबंध में जो धन्ववाद के प्रस्ताव माननीय सदस्यों की ओर से लाये गये हैं और उन पर जिन सदस्यों के भाषण हुये हैं उन सबको सुनने और विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि सदन की एक परिपाटी सी है और वह पुरानी परिपाटी है। राज्यपाल का भाषण होता है और उसमें वही बातें कही जाती हैं जो सरकार करने में या कहने में प्रयोग करती है। सरकार को जो काम करना चाहिये और जिनसे इस प्रान्त की दशा सुधारी जा सकती है उन कामों को किया कम जाता है, कहा अधिक जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन में पटवारियों के त्याग–पत्र के संबंध में जो सरकारी सदस्यों की ओर से करतल ध्वनि होती थी तो मुझे स्तम्भित होना पड़ा था। कल एक बहुत अच्छे सचिवालय के अधिकारी ने कहा कि आज पहला अवसर है सदन में कि किस तरह से थपोड़ियां पीटी जाती हैं किसी कर्मचारी के त्याग पत्र देने पर। मैं मानता हूं और सदन का हर सदस्य मानता है और हर एक ईमानदार पटवारी समझता है कि हमने

गलतियों के साथ-साथ अच्छाइयां भी सरकारी दृष्टिकोण से की जैसे दसगुना आदि की वसूली, यदि यह वर्ग न होता तो दसगुना बिल्कुल न वसूल होता, न्याय नहीं किया गलत इन्दराज किया, जिस कारण प्रदेश में बहुत खुराफातें हुईं। यहां माननीय सम्पूर्णानन्द जी और माननीय गुप्ता जी बैठे हुये हैं जिन्होंने बहुत से लोगों के कार्यों और कृत्यों पर क्षमा प्रदान की है। और श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कहना चाहता हूं और हमारी पार्टी सदा यह नारा देती रही है कि सन् १८५७ के गदर में जिन देश के बड़े बड़े लोगों ने अंग्रेजों को अपनी गोद में रखा और अंग्रेजों को गोद में रखने के कारण जिनको इतनी बड़ी-बड़ी रियासतें पुरस्कार में मिली थीं उन राजा महाराओं को १० गुना मुआवजा दे दिया गया। उस वक्त सरकारी मंत्रिमंडल के सदस्य कहा करते थे कि हमारी यह परम्परा नहीं है, हमारे देश की परम्परा नहीं है और हम तो यह समझते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी तो यह कहा करते हैं कि हमने क्षमा दान किया है और हम हर एक कड़ी को अच्छी तरह से संगठित करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जब ऐसे-ऐसे राजा महाराजाओं, जिन्होंने अंग्रेजी राज्य की मदद की, उनको क्षमा किया जाता है तो मैं यह नहीं समझता हूं कि बार-बार पटवारियों की बात क्यों दुहरायी जाती है। जब बार-बार पटवारियों की बात दुहरायी जाती है तो मैं समझता हूं कि मंत्रि-मंडल के सम्मानित सदस्यों के लिये यह अपमानजनक बात है। बार बार वह चीज दोहराई न जानी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सरकारी सदस्य यह चाहते हैं कि इस प्रदेश का जो मेहतर है, अर्दली है, चपरासी है, अध्यक्षपक है, पटवारी है, कांस्टेबिल है, जो छोटे-छोटे घरानों में पैदा हुये हैं और किसी तरह से पढ़ाई लिखाई कर के अपनी नौकरी चाकरी में लगे हुये हैं, यह सरकार का इरादा हरगिज नहीं है कि उन छोटे छोटे कर्मचारियों को भी आगे बढ़ने के लिये, उन्हें अच्छा नागरिक बनने के लिये तथाउनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ने के लिये समान अवसर मिले, इन सुख सुविधाओं को इन्हें दें। मेरा यह निश्चत मत है कि पटवारियों के संबंध में, मेहतरों के संबंध में, अर्दलियों के संबंध में चपरासियों के संबंध में सरकार का जो रुख है वह बताता है कि यह सरकार जो कल्याण कारी राज्य का सपना देख रही है वह कमी पूरा होने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक तरफ जब देखता हूं कि जमींदारी खत्म होने के बाद मालगुजारी की वसूली अमीनों और चपरासयों द्वारा बड़ी तेजी के साथ होती है, दूसरी तरफ देखता हूं कि सरकार ने ही इस सदन में और माननीय उद्योग मंत्री ने बीसों बार स्वीकार किया है कि पुराने जमाने का, पिछले साल के गन्ना उत्पादकों का मूल्य भी अभी नहीं दिया गया है और जब मांगा जाता है तो सरकार के लोग किसानों की सहायता करने वाले लोगों को जेलखाने में भेजना पसन्द करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीत मिल मालिकों के लिये है गन्ना-उत्पादकों के लिये नहीं है, गरीबों के लिये नहीं है। ईमानदारी की बात यह है कि मिल मालिकों ने गन्ना लेकर के चीनी पैदा करके करोड़ों रुपया नफा कमाया लेकिन जब गन्ना उत्पादक अपनी पुरानी गन्ने की क़ीमत मांगते हैं तो उनको जेलखाने में भेजने की कोशिश की जा रही है। मैं यह समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने सरकार की ओर से जो भाषण दिया है वह मिल मालिकों के पक्ष का समर्थन किया है। इसके अलावा मैं यह देखता हूं कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के संबंध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय धरती के बटवारे के संबंध में बड़ी आलोचना होती है और माननीय शुक्ल जी ने तो कहा कि कैसे हो सकता है। मैं इस विषय पर ज्यादा विवाद करना नहीं चाहता लेकिन केवल एक बात कहना अवश्य चाहता हूं कि अगर इस देश से, इस प्रदेश में, माननीय खाद्य मंत्री जी गल्ले की समस्या को हल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों को बन्दूकों के बल से घरों से गल्ला न निकालना पड़े और चाहते हैं कि भुखमरी, अकाल जो हर साल आया करता है न आये तो उसको एक ही दावा है कि प्रान्त में, इस प्रदेश में धरती का बटवारा हो। उन लोगों से धरती छीन ली जाय जो सही मानों में खेती नहीं करते हैं और उन्हीं को धरती मिलनी चाहिये जो हल बैल चला कर खेती करते हैं। जो लोग खेती नहीं करते हैं उनके हाथ में जमीन नहीं रहनी चाहिये। यही इसका हल हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से, अखबारों में जो मैंने पढ़ा है, कि प्रदेश में एशिया का बड़ा एवं बढ़िया कृषि फार्म किछा, भावलपुर में है। लेकिन वहां जितना पैसा सरकार खर्च करती है उससे कम पैदावार होती है। गल्ले की पैदावार उस किछा की जमीन में कम होती जाती है और खर्चा बढ़ता जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे फार्म

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

खोल कर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिये बल्कि गल्ला उपजाओ आन्दोलन को मजबूत करने के लिये धरती का बटवारा ही होना चाहिये । हमने देखा है कि अभावग्रस्त जिलों में जो सरकार बांध की ओर से टैस्ट वर्क चालू करने की घोषणा हुई और तदनुसार कार्य किये गये उसका पैसा बेकार जा रहा है । वहां सड़कें और बांध बनाये गये पर अब बरसात में मिट्टी बह कर सब काम खराब हो रहा है। इस तरह की चीजों को स्थायी बनाना चाहिये ।

अब मैं श्रमदान सप्ताह के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जनता हमारे साथ है । मैं इस बात को मानता हूं कि परम्परा नहीं रही है और जीवों में भी सहयोग की भावना है । २६ से ३० जनवरी तक जो सप्ताह मनाया गया है उसमें जनता की ओर से बहुत काम हुआ है, यह मैं मानता हूं । किन्तु सुल्तानपुर की घटना पढ़कर मैं स्तम्भित हो गया जो एक निष्पक्ष आज अखबार में छपी है । उसमें कहा गया है कि वहां माननीय गोविन्द वल्लभ पंत जी के नाम से जो सड़क बनायी गयी है उसके लिये १०,००० लोगों को जबरदस्ती पुलिस उनके घरों से निकाल कर लायी और उस सड़क के बनाने में लगाया गया। सरकार की ओर से इस खबर का कोई खंडन नहीं किया गया, इससे मैं समझता हूं कि वह खबर सही है। इस संबंध में केवल एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि श्रमदान की आवश्यकता हमारे देश और प्रदेश में है । हर आदमी जानता है कि सरकार के भरोसे पर ही काम नहीं होने वाला है । लोगों के अन्दर उत्साह होना चाहिये और तभी हो सकता है जब कि वे अपना घर और खेत समझें । आज क्यों कोई गांव वाला बांध या सड़क बनाये ? क्या वह शहर के लोगों के लिये और बड़े बड़े जमींदारों के लिये सड़क बनावें ? यह वह नहीं कर सकते हैं । एक ही बात हो सकती है कि आप ऐसे लोगों को जमीन दें जो देश के निर्माण का काम कर सकें उत्साह के साथ, इसलिये आप जमीन का बटवारा करें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सुनता हूं और सरकार कहती है कि पूर्वी जिलों में सिंचाई का प्रबंध बहुत जोरों के साथ किया जा रहा है । मैं आजमगढ़ की बात कहता हूं पिछले बजट में सरकार ने १७ लाख रुपया मऊ में विद्युत शक्ति पैदा करने के लिये रखा था । सरकार तो अब भी कहती है कि वहां इन्तजाम हो रहा है । लेकिन वहां अभी तक जमीन भी सरकार को नहीं मिल सकी है । पुराने कुओं की भी मरम्मत होनी जरूरी है जिनसे सिंचाई होती है । सरकार को बहुत मुस्तैदी से इस बार क़दम उठाना चाहिये और जो बजट मंजूर हो उस पर सरकार को मुस्तैदी से काम करना चाहिये ।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल जी के सम्बोधन के लिये बधाई का जो प्रस्ताव है उसके समर्थन के लिये उपस्थित हुआ हूं और साथ ही जो विरोधीदल के कुछ सज्जनों ने संशोधन पेश किये हैं उनका विरोध भी करता हूं श्री सिर्फ ज्वाला प्रसाद जी के संशोधन को छोड़कर। उसमें मैं इतना चाहूंगा कि वे जो ५ प्रतिशत झूठ बोलते हैं अगले वर्ष तक वह भी खत्म कर दें तब वह शतप्रतिशत सच बोलने वाले गिने जायंगे। जहां तक संशोधनों पर विचार व्यक्त किये गये उनमें परोक्ष रूप से विरोधी दल ने भी यह माना है कि वे भी संबोधन का समर्थन ही करते हैं फिर वह परिपक्व और सम्पूर्ण है। उसमें बधाई देने के अतिरिक्त दूसरी कोई राय हो नहीं सकती संशोधनों में जो बातें कही गई हैं उनमें कोई न भाव में न भाषा में ऐसी चीज है जिनका समावेश राज्यपाल जी के लिये अपने संशोधन में करना आवश्यक हो। क्योंकि ऐसे अवसर पर श्री राज्यपाल जी अपने अगले वर्ष के लिये कुछ विशेष नीतियों का संकेत देते हैं और उसमें कुछ व्यक्तिगत बातों को नहीं रखा जा सकता है जैसे कि मेहतरों की हड़ताल, या पटवारियो की हड़ताल। इनको रखकर सम्बोधन के महत्व को घटाना है। हमारे विरोधी दल के नेता ने कुछ आंकड़े दिये हैं लेकिन मुझे दुख है कि उन जैसे योग्य व्यक्ति ने क्यों ऐसे स्फुट आंकड़े रख कर सदन का समय नष्ट किया। उन्होंने बताया कि गेहूं, ज्वार, चना इन की उपज में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है लेकिन वह इस बात को भूल गये कि पिछले तीन या चार

वर्षों में हमारे उत्तर प्रदेश कपास, जूट और दूसरी औद्योगिक चीजों में कितनी वृद्धि हुई है। खास कर चीनी की बड़ी शिकायत थी। गन्ने को ही लीजिये। हमारे प्रदेश में एक समय था जब चीनी की बहुत कमी थी। आज यह स्थिति है कि हम इतना ज्यादा गन्ना पैदा कर रहे हैं कि उसके पेरने के लिये हमारे पास पर्याप्त कारखाने नहीं हैं, पांडेय जी को गन्ने के संबंध में बड़ी शिकायत है जिसकी वजह से बड़े से बड़े काश्तकारों को भी बड़ी दिक्कत हो गई है। मैं भी मानता हूं कि किसान को बड़ी दिक्कत हो गई लेकिन कसूर सरकार का इतना नहीं है। इसमें हमारे काश्तकारों की नासमझी है। अनपढ़ होने से उन्होंने यह समझा कि गन्ने में लाभ ज्यादा होता है और सबने गन्ना बोना शुरू कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि जितने कारखाने गन्ना पेरने के थे वे उसको खरीद नहीं सके । पिछले वर्ष के आंकड़े तो मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन सरकार के प्रयत्नों से जहां तक मेरा ख्याल है कि ५ करोड़ मन ज्यादा गन्ना पिछले वर्ष पेरा गया था और यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार कितनी सतर्क है। (एक आवाज---६ करोड़ मन) मेरे एक साथी कह रहे हैं कि ६ करोड़ मन। खैर, सरकार से इतनी शिकायत की बात नहीं है और यहां पर यह शिकायत करने से ही काम चल सकता है। जब गांवों में हम जाते हैं तब हमें काश्तकारों को समझाना चाहिये कि यह क्या कर रहे हो, जब तुम्हारा गन्ना नहीं बिकता है तब तुम्हें गन्ना कम पैदा करना चाहिये। गन्ना तो मार्च तक पेरा गया तो पेरा गया नहीं तो उसकी अप्रैल में कोई कीमत नहीं रहती और उसमें आग लगानी पड़ती है। इसलिये सरकार की ओर से तो जो प्रयत्न किये गये हैं उसके लिये तो विरोधी दल को भी धन्यवाद देना चाहिये कि उसने किसानों को इतना लाभ पहुंचाया है ।

पटवारियों के सवाल पर यहां बहुत बहस हुई। मेरा खयाल है कि हर वक्ता ने कुछ न कुछ पटवारियों का जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, कोई भी नहीं चाहता कि इस किस्म की हड़तालें हों, कोई नहीं चाहता कि पटवारी लोग बरख्वास्त हों और उनके बच्चे भूखों मरें। लेकिन कभी कभी हमें इस बात को मानना चाहिये कि हमारा मुकद्दमा या हमारा मामला कितना अच्छा या बुरा है, यह इतनी मौजूं चीज नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। कभी कभी हम अपने मामले को किस तरह से रखते हैं यह भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है।

मैं यह नहीं कहता कि पटवारियों की मांग जायज थी या नाजायज थी, वह सही थी या ग़लत लेकिन जो उनका रास्ता था इसको तो सब मानते हैं कि वह गलत था और इस तरह से उनको कभी भी फायदा नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि उनका दुर्भाग्य है कि वह कुछ राजनीतिक दलों के हाथ में आये जिसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है और मैं उनसे कहूंगा कि वह जल्द से जल्द सही रास्ते पर आयें और मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इनकी उचित मांगों पर सरकार ध्यान देने की कृपा करे ।

कुछ भाइयों ने तो पटवारियों और जमींदारों को एक साथ मिलाया । वह भूल गये, चाहे हम इस नियम को मानें या न मानें कि जब तक प्रायवेट प्रापर्टी का अधिकार है जमींदार अपनी जमींदारी का मालिक था लेकिन पटवारी की यह पटवारगीरी कोई उसकी बपौती नहीं है और वह सरकारी नौकर है। इसलिये इन दोनों को एक सीढ़ी में रखना मेरी समझ में नहीं आती है कि यह कहां तक उपयुक्त होगा। मजदूर संगठन की तरह पटवारियों ने अपना संगठन बनाया और धमकी का रास्ता अपनाया। कोई भी सरकार इसको बरदाश्त नहीं कर सकती है और मजे की बात तो यह है कि उन्होंने इस्तीफे दे दिये। अगर वह मंजूर नहीं किये जाते तो इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि सरकार कितनी अन्यायी है कि वह न तो इस्तीफे मंजूर करती है और न तनख्वाह ही बढ़ाती है इस प्रकार जो राय उनको मिली वह गलत राय थी और इससे कभी भी उन्हें फायदा नहीं हो सकता है।

[श्री भूपालसिंह खाती]

अखबारों में समाचार है कि अध्यापक भी इसी तरह की बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी अवस्था न पैदा की जाय क्योंकि ग्रामीण शिक्षा का सवाल हमारे लिये बड़े महत्व का है वह दृष्टि से अलग नहीं हो सकता है और उसमें अगर हड़ताल वगैरह या भूख हड़ताल हुई तो बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हमारी ग्रामीण शिक्षा बड़ी कमजोर है और उसका अच्छा प्रबंध नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ठीक तरह से उसका संचालन नहीं कर रहें हैं पहली हड़ताल का मुझे अनुभव है जो थोड़े दिन चली थी। मैं भी एक जिला बोर्ड का अध्यक्ष था। मैंने देखा कि हड़ताल के बाद कितनी शिक्षा चौपट हो जाती है।

मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर यह स्थिति टाली जा सके तो अच्छा है। वह भी कहीं पटवारियों की तरह से गलत नेताओं के चक्कर में न आयें। यह चीज हटाई जा सकती है और भाई चारे की नीति से इस चीज को हल किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि अब कभी कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का प्रबंध ठीक नहीं होता और मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ऐसी स्थिति आ गई है कि और यह हमारे प्रदेश के हक में उपयुक्त होगा कि ग्रामीण शिक्षा को सरकार अपने हाथ में ले ले और जो अध्यापकों की शिकायतें होती हैं कि उनको ७–७ महीने से और साल साल भर से तनख्वाह नहीं मिलती है वह न रहे। अगर उनको वक्त पर तनख्वाह मिले तो शायद यह बातें सामने न आयें।

एक बात मेरे मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने कही और कुमायूं डिवीजन का भी जिक्र किया। उनका नारा है कि जमीन का फिर से बंटवारा किया जाय। मैं नहीं समझता कि यह नारा क्या केवल कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिये है या वास्तविक रूप में वह किसी आर्थिक सुधार के आधार पर निर्धारित है। जहां तक उत्तर प्रदेश के कृषि आंकड़े हैं उनसे मैं कह सकता हूं कि कोई भी अर्थ शास्त्र का जानने वाला इस बात की सलाह नहीं देगा कि जो भी हमारे पास जमीन है वह ज्यादा लोगों में बांट दी जाय। इससे देश का कोई उपकार नहीं हो सकता है। एक मोह की तरह जिस तरह से बंदर अपने मरे हुये बच्चे के साथ लिपटा रहता है, इस तरह से कुछ लोगों को खेती में लगा सकते हैं लेकिन वास्तव में उनका कोई उपकार नहीं कर सकते हैं।

आपका मतलब था कि किसी को ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं मिलनी चाहिये। कुमायूं डिवीजन की जो जमीन है उसका अधिकांश भाग बेकार है। उसमें खेती नहीं हो सकती कुछ दिनों पूर्व मुझे इटावा के महेबा स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां। पर मैंने देखा कि ५० प्रतिशत लोग हैं जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है ३० प्रतिशत के पास केवल १ बीघा का औसत था, केवल २० प्रतिशत ऐसे लोग थे जिनके पास १५ बीघा से ज्यादा जमीन होगी। मुझे केवल एक ही काश्तकार ऐसा मिला जिसने यह कहा कि उसके पास १५० बीघा जमीन है। जब ऐसी हालत है तो आप किस प्रकार कहते हैं कि जमीन का बटवारा किसी आर्थिक आधार पर हो। मैं तो कहता हूं कि अब जमीन के बटवारे से हिन्दुस्तान की गरीबी दूर नहीं हो सकती। अगर किसी तरीके से हिन्दुस्तान की गरीबी दूर हो सकती है तो वह खेती के नये तरीकों को अख्तियार करने से हो सकती है। हम अपने खेतों में नयी प्रकार की खाद डालें, नये प्रकार का बीज डालें, अपने जानवरों की नस्लों को सुधारें इनसे तो हमारी उन्नति हो सकती है लेकिन जमीन के बटवारे से कोई उन्नति हमारे देश की नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त हमें अपनी बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये कुटीर और कैपिटल इन्डस्ट्रीज को ओर भी ध्यान देना होगा, यदि विरोधी दल के मित्र महामान्य राज्यपाल का भाषण ध्यान पर्वक देखें तो उसमें सरकार के कामों का साफ संकेत है जो उसने पिछले वर्षों में कुटीर उद्योग के संबंध में किया है। सरकार को इसमें सफलता भी मिली है। कितनी ही ऐसी चीजें कुटीर उद्योगों में पैदा की जाती हैं जिनका मान केवल इसी देश मे नहीं वरन् विदेशों में भी होता है।

इसके अतिरिक्त बड़े कल-कारखानों की स्थापना का प्रश्न भी हमारे सामने है। हमारे दुर्भाग्य से जब तक हमारे देश में कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं हैं तब तक देश को विदेशों पर अवलंबित रहना होगा और उसके लिये यह भी देखना होगा कि हमें कितने डालर विदेशों से सामान मंगाने के लिये मिलते हैं। अगर हम पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में लग जायं तो बेकारी की जो समस्या है उसको हल कर सकते हैं। यही एक रास्ता है जिससे हम अपने देश को आर्थिक उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि आज हम कितनी ही कोशिश करें पर जन-साधारण और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि रूस और अमरीका जिनका कि हवाला हम रोज देते हैं अगर उस स्तर का हम देश को बनाना चाहते हैं तो यह भी तभी संभव हो सकता है है जब कि हम अपनी आबादी की रफ्तार को कुछ कम कर दें। क्योंकि १० साल में जो देश अपने साधनों को जितना बढ़ाता है उसी अगले साल में फिर आबादी के बढ़ जाने से उसी स्थिति में वह हो जाता है। इसलिये सरकार और जनता का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वे जन-संख्या की रफ्तार को घटाने की कोशिश करें।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जो संबोधन इस भवन में दिया उसमें इस सदन में न केवल अपना आगे आने वाला जो भावी कार्यक्रम है, उसके बारे में बल्कि क्या प्राप्तियां और क्या सफलतायें सरकार ने प्राप्त कीं, उसके संबंध में भी अपने विचार प्रकट किये। इस दृष्टि से वह भाषण प्रशंसनीय है लेकिन जिन बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया है उसका मुख्य संबंध खेती से है। खेती हमारे देश का मुख्य धंधा है। आज स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उसमें पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से नलकूप की काफी योजनायें हैं जिनसे किसानों को काफी लाभ हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो योजनायें सरकार बनाती है उनको कार्यान्वित किस प्रकार किया जा रहा है। श्रीमन् जिस प्रकार से हम थानों में बिना कुछ दिये रपट नहीं लिखा पाते उसी प्रकार से किसानों को भी बिना शुकराना दिये पानी नहीं मिल पाता।

इस तरह से इन डेवलपमेंट की बात बहुत कही जाती है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट की बात कही जाती है, हमारे जिले में भी उसकी बात है। मैं अपने जिले की बात बतलाऊं कि वहां पर धान का बीज लोगों को दिया गया। सरकार का इरादा अच्छा था लेकिन वहां पर ढेर के ढेर पड़े रहे गये और कार्तिक महीने तक फलावरिंग नहीं हुई। कुवार में फूल आ गया और सबका सब धान नष्ट हो गया। इसी प्रकार से श्रीमान् कहीं पर जहां बीज दिया गया वहां पर ऐसे ही धान बो दिया गया। इस तरह से भी वे सब के सब धान नष्ट हो जायंगे। इसी तरह से सूखा पड़ने पर सरकार ने लोगों को बीज दिया क्योंकि उनके पास अनाज नहीं था। सरकार ने यह मेहरबानी तो जरूर की कि उनसे पनालटी नहीं लिया लेकिन बीज का उन लोगों से सवाया सूद लिया है। जब गांव में कोई सवाया सूद लेता है तो गांव वाले उस बनिये को बड़े खराब नाम से संबोधित करते हैं कि यह आदमी सवाया सूद खाने वाला है। लेकिन सरकार ने स्वयं सवाया सूद लिया है। सवाया सूद बहुत ज्यादा होता है। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को सिद्धांत के रूप में उस तरफ ध्यान जाना चाहिये कि उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है।

इसी तरह से हमारे यहां के गन्ने के बारे में भी बात कही गयी। गन्ने की समस्या हमारे जिले में पूर्वी जिलों में मुख्यतः है। देवरिया का नाम मैं इसलिये ले रहा हूं कि वहां की आबादी प्रति वर्ग मील एक हजार से ज्यादा है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। इस तरह से वहां जो कोआपरेटिव केन डेवलपमेंट सोसायटीज हैं वहां के अफसरान ऐसे हैं कि जैसे शराब की बोतलों पर दूध के चिट लगे हुये हैं। वे बिलकुल अफसराना ढंग से वहां शासन करते हैं उनकी उपयोगिता ह्वाइट एलीफ़ेण्ट जैसी है। वहां की कोआपरेटिव

[श्री रामजी सहाय]

केन डेवलपमेंट सोसाइटीज में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। एक तरह से वे सिर्फ फर्जी गन्ने का बीज बांटते हैं बिचौलिया और कमीशन एजेंट का काम करते हैं। मेरे ख्याल में अगर सप्लाई का काम उनसे हटा दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। जिस समय वे हमारे यहां स्थापित हुई थीं उस समय हमारे यहां उपज सम्भवतः तीन सौ मन की एकड़ थी मगर आज दो सौ मन की एक उपज ही रह गयी है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो यही बात है। पूछने पर बतलाया गया कि किसानों ने आवश्यकता से अधिक गन्ना बो दिया जिसका यह परिणाम है। मैं कहता हूं कि किसानों ने मजबूर हो कर जब कि उनके पास और किसी फसल के लिये कोई गारन्टी नहीं थी तब गन्ना बोया। मेरा कहना यह है कि जो सरकारी अमले थे उन्होंने किसानों को ऐसा करने से क्यों मना नहीं किया? उनका कर्त्तव्य था कि वे किसानों को बतलाते कि इतना गन्ना न बोओ। इस तरह से श्रीमान् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल ने जहां भ्रष्टाचार की तरफ संकेत किया है वहां माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की तरफ भी संकेत किया है। मैं समझता हूं कि यह हमारे लोक कल्याणकारी राज्य होने का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिये कि हमारे यहां से भ्रष्टाचार नष्ट हो जाय। लेकिन मैं दुख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग आज इस स्थिति में नहीं हैं कि हम कह सकें कि हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं है। इसके लिये मैं समझता हूं कि जो समिति होगी वह देहातों को भी स्पर्श करेगी। वहां लोगों को यह अनुभव होने लगेगा कि आज हमको मुक्ति मिली है। आज सचमुच में एक लोक कल्याणकारी सरकार हमारे बीच में है। इस तरह से श्रीमान्, श्रमदान के बारे में भी हमारे यहां काफी काम हुआ है और सरकार को इसमें काफी सफलता मिली है इसलिये कि यह कार्य समिति था और वह गांव की सीमा के भीतर था। उसमें सब शामिल थे चाहे किसी के पास कुछ है या नहीं। उसमें सब लोग यह समझते थे कि यह सब का स्वार्थ का काम है। लेकिन अगर उस कार्य को जो किया गया कायम नहीं रखा गया तो वह व्यर्थ चला जायगा। कहीं पर नाली बननी है, कहीं पर सड़क बननी है और कहीं पर कुछ काम होना है उसको करना जरूरी है और नहीं तो वह आगे चलकर नष्ट हो जायगा।

आज हमारे यहां सबसे बड़ा सवाल बढ़ती हुई आबादी का है। अगर हम भूमि के बटवारे का सहारा नहीं लेते हैं तो हमको ग्राम उद्योग का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत से भाइयों ने चीन का उदाहरण दिया। उनके आंकड़े सही नहीं है वहां भूमि पर कैपिटा–आधा एकड़ है। पर उत्पादन बढ़ा है। आज भी हमारे मुल्क की दशा कुछ वैसी ही है। आज वहां पर इस तरह का कार्यक्रम अपनाने की की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़े। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो काम हो रहा है मैं नहीं जानता कि उससे आर्थिक प्रश्न को लाभ होगा या नहीं लेकिन यह बात जरूर है कि वे लोग यह समझ रहे हैं कि यह काम हमारे लिये हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप गृह-उद्योग को अनिवार्य कर दें तो कुछ सम्भावना है कि तकलीफ दूर हो जाय। यह बात जरूर है कि गृह-उद्योग के सामान का भाव आज गिरा हुआ है किन्तु उसके लिये कुछ काम किया जा सकता है। सरकार ही अपने लिये खादी की खरीद अनिवार्य कर सकती है। एक बात जरूर खुशी की है कि अब जल्दी चकबंदी होने जा रही है। उस चकबंदी से बहुत लाभ होगा और मुकदमेंबाजी घटेगी। निगरानी में बहुत सी फसल नष्ट हो जाती है वह भी बच जायगी। इस तरह से आने वाले समय में उससे बहुत फायदा होगा। इसलिये जिन लोगों के पास जमीन नहीं है या जिन किसानों की जमीन बेकार पड़ी हुई थी पानी नहीं मिलता था वह मजबूरन दूसरे को देते थे और दूसरे जोतते थे वह जमीन भी चकबंदी में आ जायगी तो लैन्डलेस को जीतने को न मिलेगी, जिसके कारण दो वर्ग (haves) और (havenots) दो खेमों में आ जायेंगे। फिर असंतोष बढ़ेगा। और जमीन का बटवारा सामने आयेगा। इसलिये श्रीमन्, जैसा कि कहा गया है

पूर्वी जिलों की आबादी बढ़ने की बड़ी भारी समस्या है और उसके कारण वहां की भयंकर स्थिति है। गोरखपुर तो इस चीज का सेंटर है कि हिन्दुस्तान भर के लिये मजदूर भेजे। तमाम जगह वहां से मजदूर जाते हैं। आज वहां पर यही समस्या है कि उन लोगों की हालत को कैसे खुशहाल बनाया जाय। वहां पर एक एक दो दो समय तक खाना नसीब नहीं होता है। आज भी उनकी समस्या सरकार के लिये एक सिरदर्द बनी हुई है कि क्या उनके लिये योजना बनाई जाय जिससे वहां की हालत सुधरे। इस संबंध में हमारी सरकार ने अवश्य प्रयत्न किया है और उसने ध्यान दिया है। सरकार आज भी वहां पर काफी काम लोक कल्याण के कर रही है और इस तमाम सूबे में लोक कल्याण के काम उसने किये हैं और वह कर रही है। पिछले वर्षों में जो यहां का स्टैन्डर्ड आफ लीविंग था वह आबादी के बढ़ने पर भी ऊंचा हुआ है। लेकिन सरकार का जो भी काम है वह उसके कर्मचारियों पर आधारित है। उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और सख्ती से उस संबंध में काम करने की आवश्यकता है तभी आगे बढ़ सकते हैं और हमारा देश समुन्नत हो सकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने राज्य की दिन ब दिन गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिये गम्भीर योजना नहीं बनाई है, और विशेष रूप से बेकारी की भयंकर समस्या को हल करने के लिये ठोस क़दम उठाने का उल्लेख नहीं किया।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस विषय पर कुछ बोलूं मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जहां तक पंच वर्षीय योजना का संबंध है उसके बहुत से हिस्सों से मतभेद रखते हुये भी कि वह ठीक नहीं बनी है और उससे देश की समस्या हल नहीं हो सकती है फिर भी हम लोग जहां पर ऐसे काम होंगे जिनमें जनता का हाथ होग जिनमें जनता से प्रेरित हो कर बड़े बड़े काम उठाये जायंगे उनमें हम साथ देंगे। जो श्रम-धन की बात आज इस सदन के सामने कही गयी मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि श्र -म धन की बात तो सबसे पहले हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने शुरू ही किया था। हम लोगों ने इसके पहले कि स्वतंत्रता दिवस के रोज इस साल यह योजना बनायी गयी, हमने बिहार में बहुत सी नहरे बनाईं और हमारे नैनीताल जिले के अन्दर हमने बहुत सी मोटर सड़कें जनता के श्रम धन बनायी हैं जिसमें सरकार ने हमें एक पैसा भी नहीं दिया है। जहां तक श्रम-धन की तारीफ़ है मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छी बात है और हम उसमें चाहे सरकार उस काम को उठायें चाहे जनता उस काम को उठाये हमेशा ऐसे कामों में साथ रहेंगे और इसजीदेश के उत्थान में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। पर अफ़सोस इस बात का है कि राज्यप ने जो भाषण इस सदन में दिया उसमें बहुत सी बातें वह छोड़ गये। वैसे यह तो मैं ालहीं चाहता हूं, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि हर एक बात तो उसमें नहीं अन सकती थी, पर एक ऐसी बहुत जरूरी बात जो बेकारी को है उसके बारे में में कुछ बात होना इस भाषण में आवश्यक था।

हमारे इस प्रान्त के अन्दर आज बहुत जोरों से बेकारी बढ़ ज है। स्कूल्स और कालेजेज से जो लखों विद्यार्थी आज पढ़ कर बाहर निकल रहे हैं उन्हें आरह नौकरियां नहीं मिल रही हैं और बाहुत से ऐसे नौजवान हैं जो खुदकशी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था कि कानपुर के अन्दर एक रमजानी को जब चोरी करने के लिये अदालत में सजा ई ती उसने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ, बाहर मेरे पास कोई खाने का सध न नहीं था और मैं समझता हूं कि दो साल में जो मुझे सजा हुई है उससे कम से कम दो ासलतक मेरे सामने खाने का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। यह बेकारी का प्रश्न हमारी जो पंच वर्षीय योजना है उसमें भी इस के लिये कोई खास योजना नहीं बनायी गयी है। आज हमारे यहां ब हुत क़िस्म के अनएम्पलायमेंट्स हैं। बहुत से हमारे पटवारी भाई इस्तीफा दे कर बेकार हो गये हैं, बहुत से हमारे स्वीपर्स हैं जो बेकार हो गये हैं। तो और नयी बेकारी बढ़ती जा रही है। लेकिन और भी बेकार

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

जो हमारे देश में बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी उसके लिये भी पंचवर्षीय योजना में कोई चीज नहीं रखी गयी है। वह खुद कहते हैं कि इसमें बेकारी की समस्या हल होना नहीं है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों का जो असर और हमारी सरकार की दूरदर्शिता न होने की वजह से जो असर जनता पर पड़ रहा है वह बहुत बुरा है। एक फ़ैमिली प्लानिंग की बात प्लानिंग कमीशन ने कही है। आबादी भी अगर बढ़ती गयी तब भी अनएम्पलायमेंट की समस्या बढ़ती जायगी और इसका असर तो इतना ज्यादा पड़ रहा है कि हमारे महामान्य राज्यपाल जी ने जो हाल ही में यहा पर एक मारल ऐंड सोशल हाईजीन कान्फ्रेंस हुई थी उसमें यह यह शंका जाहिर की कि आया वर्थ कंट्रोल की बात यहां लागू हो सकती है या नहीं और उसमें सफलता मिलेगी या नहीं हमारे माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जब म्युनिसिपैलिटीज बिल पेश किया था तो माननीय नारायण दत्त जी ने बर्थ कंट्रोल पर जोर दिया था। लेकिन माननीय स्वाशन मंत्री जी ने नहीं माना। नारायण दत्त जी उम्मीद कर रहे थे कि हमारे राज्यपाल सोशल हाईजीन कान्फ्रेंस में बर्थ कंट्रोल बोलकर समर्थन करेंगे लेकिन वहां भी उनको निराशा हुई। इसलिये अब उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने मेडिकल कालेज की एक लड़की शादी करने के लिये छांट लिया है और शायद बहुत जल्दी होने वाली है। हमारे माननीय जगन्नाथ मल्ल जी थे। उन्होंने शादी वगैरह नहीं की। वह जेल खाने में बन्द कर दिये गये हैं। मैं इसलिये कहता था कि बेकारी का प्रश्न इस देश के अन्दर बढ़ रहा है। लेकिन जब नारायण दत्त जी ने यह समझ लिया कि पांच साल तक तो कुछ होने वाला नहीं है तो फिर फायदा ही क्या है शादी न करने से। तो बेकारी की समस्या को हल करने के लिये हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मैं आशा करता था कि इसकी चर्चा माननीय राज्यपाल के भाषण में आयेगी। लेकिन नहीं आयी। मैं सोचता रहा कि क्या कारण है। वह मुझे आज पता लगा। सरकार को अपनी पालिसी बनाने में माननीय शिवनारायण जी का हाथ नहीं मिल सका, क्योंकि वह बी० ए० के इम्तहान की तैयारी में मशगूल थे। सरकार को अगर वह राय दे देते तो शायद कुछ समस्या हल हो ही जाती और माननीय भूपाल सिंह खाती ने बड़ी लम्बी चौड़ी बात कह डाली। न उनके यहां गन्ना पैदा होता है न बोया जाता है। वह कहते हैं कि किसान अपनी सारी शक्ति गन्ना पैदा करने में लगाता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट क्यों ऐसी हिमाकत कर रही है जो इतने बड़े फार्म में गन्ना बोया गया है। वहां धान क्यों नहीं बोती। उन्होंने रीडिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड का भी जिक्र किया। मेरा खयाल है कि वह पढ़ते नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी फैसला किया है कि रिडिस्ट्रीब्युशन होगा। सीलिंग रखी जायगी। प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यह नहीं बताया है कि किसको कितनी जमीन दी जायगी लेकिन जो वह कह रहे हैं अपनी समझ के मुताबिक तो ठीक कह रहे हैं।

अगर आज हमारे देश की समस्या हल हो सकती है तो देश की बेकारी दूर करने से ही हो सकती है। जैसा कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा मजदूर सोचता है कि हम कम्युनिटी प्राजेक्ट में काम करने क्यों जायं। अगर सिचाई बढ़ेगी तो उसको लाभ होगा जिसके पास जमीन है या जब उसके पास कोई लेने या ले जाने के लिये चीज नहीं है तो क्यों सड़क बनाये।

दो हजार करोड़ में से १५ करोड़ रुपया काटेज इंडस्ट्रीज के लिये रखा गया है यानी.७५ भाग काटेज इंडस्ट्रीज के लिये रखा गया है जिससे वह समझते हैं कि बेकारी दूर हो जायगी। इससे हमारे देहातों में कितने लोगों की बेकारी दूर हो जायगी वह यह है---विलेज आयल इंडस्ट्री में एक लाख आदमी, नीम सोप मेकिंग ३०० आदमी, पैडी हस्किंग में ४०,००० आदमी, आम गुड़ में ६०,००० आदमी और खडसारो में १,२०० पूरे समय काम करने वाले, ३,८०० थोड़े समय काम करने वाले, लेदर इंडस्ट्री में ९०० टेनर्स, और दो लाख थोड़े समय काम करने वाले, वाले आदमी, ऊलेन में २०० ट्रेडर्स और ४,००० स्पिनर्स और २०० वीकर्स, हैंडमेंड पेपर में १,००० आदमी, बी कीपिंग में १५० आदमी, काटेज मैच इंडस्ट्री में ६,००० मजदूर, ,००० थोड़े समय के विद्यार्थी।

इतने आदमी काटेज इंडस्ट्री में पंचवर्षीय योजना में खपा सकते हैं। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज में कितने खपेंगे मैं नहीं कह सकता लेकिन काटेज इंडस्ट्री जिससे बेकारी की समस्या दूर होगी उससे इतना ही होने वाला है ऐसा कमीशन ने कहा है।

अब इस वक्त जो हमारे स्कूल चल रहे हैं उनमें जितने लड़के पढ़ रहे हैं सब क्लैरिकल जाब्स पर दौड़ेंगे इतने क्लैरिकल जाब्स नहीं है। वह लड़के कहां जायंगे पढ़ करके, इसका कोई नमूना या संकेत हमारी सरकार ने नहीं रखा है कि कहां पर उनको काम में लगाया जायगा।

अब हमारी जो योजना बनायी गयी वह आखिर कहां से चलेगी। रुपये की जरूरत होगी। कुछ तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिये देगी, लेकिन जो टैक्सेज लगाये गये हैं प्रान्त में उसके बाद हम लोगों मे इतनी कैपैसिटी नहीं रह गयी है कि नये टैक्स दे सकें। सौराष्ट्र, बम्बई में देखिये। वहां टैक्सेज के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि वहां भी और यही हालत होगी कि कोई टैक्सेज नहीं लगाये जायंगे। फिर पहले हमारा सरप्लस एक्सपोर्ट था और वह इस वजह से था कि कोरिया की लड़ाई की वजह से सरप्लस एक्सपोर्ट वह भी अब कम है वह कम हो गया है। अब रहा लोन्ज, जो फारेन एड मिलने वाली थी अमरीका से तो उस समय तो हमारे मैन साहब अमरीका का प्रेसीडेंट थे और अब हैं आईज अहावर साहब। अब अगर आप लड़ाई में जाइये तो एड मिलेगी व नहीं मिलेगी। वह रास्ता भी बन्द है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि लड़ाई छिड़ जाय और जितने बेकार लोग हैं वह सब फौजों में भर्ती हो जायेंगे। जाकर वहां मर चाहे जियें वह हमारे पास आते हैं और हमारे लिये बड़ी भारी समस्या हो गयी है। हमारे पहाड़ों में ८० फीसदी लिट्रेसी हजारों लड़के हर साल निकल रहे हैं और क्लर्की ढूंढ़ते हैं और मास्टरी ढूंढते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये हुकूमत को बता देना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि भूपाल सिंह खाती ने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा। हम तिब्बत के पास रहते हैं, हम हिमाचल के पास हैं, हिमालय में रहते हैं और हिमालय हिन्दुस्तान का सन्तरी हमेशा माना जाता है। आज भी हिमालय हिन्दुस्तान का सन्तरी है लेकिन आप देखेंगे कि अगर इस बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयत्न नहीं किया गया तो हिमालय हिन्दुस्तान का संतरी नहीं रहेगा और इस देश के लिये खतरा हो जायगा।

मैं आपको पहाड़ों के अफ़सरों के आंकड़े बताऊं। हमारे विकास कार्य के आंकड़े अलमोड़ा के अफसर साहब न जाने कहां से ढूंढ लाये। हमारे यहां ७ लाख की आबादी है। उसमें तीन हमारी कांस्टिट्यूएंसीज हैं। मेरी, उपाध्यक्ष महोदय की कांस्टिट्यूएंसी और गोवर्धन तिवारी जी की। तीन लाख की आबादी हमारी है। आधी औरतें भी हैं। बाकी चार लाख आबाद और हिस्से की समझिये जिसमें आधी औरतें होंगी दो लाख में से आधे कहना है एक लाख ६ हजार आदमियों ने काम किया है। और जो कांस्टिट्यूएंसी है शायद हो उसमें काम हुआ हो वह कहते हैं और बड़े अक्योरेट ढंग आंकड़े दिये हैं उन्होंने या तो मेमोरी हमारे दुब्लिश जी की इस बुढ़ापे में इस क़दर अच्छी है जो ऐसे आंकड़े उन्होंने दिये चाहे वह झूठे ही हों, उनमें सत्यता तो नहीं थी यद्यपि हमारे जिले के अफसरान जो कहते हैं कि १,६७,४६१ रु० ६ आने, यानी आने भी गिनवा दिये और कहा गया है कि १,६५,००० आदमियों ने काम किया और इतने रुपये का काम किया मैं ऐसी आशा नहीं करता था कि इस प्रकार से ग़लत ख़बर दे कर के श्री फूल सिंह को विफल करने की कोशिश करेंगे। आज सरकार इन आंकड़ों को देख कर खुश हो जाती है कि ऐसा अच्छा खाका खिचा हुआ है। एक लाख, पैंसठ हजार आदमी काम करते हैं और फूल सिंह जी ने कहा कि एक हफ्ते के अन्दर एक करोड़ काम कर लिया है और २० लाख आदमियों ने किया है। इस प्रान्त के अन्दर ६ करोड़ आदमी रहते हैं। अभी हमारी कांस्टिट्यूएंसी ने कुछ नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। न उपाध्यायक्ष महोदय ने, न मैंने और न गोवर्धन तिवारी ने, अगर हम करने लगें तो जाने कितना होगा। एक करोड़ का तो एक हफ्ते में हो गया और एक महीने में ४ करोड़ हो जाता है। काम करते रहने से आदत हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो किसी ने फावड़ा भी नहीं पकड़ा था और आदत होने पर फिर और ज्यादा काम होने लगेगा। इस प्रकार से हमारे भारत के बजट में जो अट्ठानवे करोड़ रुपया

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

लगता है वह फूल सिंह जी के हिसाब से तो साल भर में यहीं डेवलपमेंट हो जायगा। आज इन आंकड़ों से सरकार को होशियार रहना चाहिये। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि मेरे साथ हमारे जिले चले चलिये और वो जगह दिखा दें जहां काम हुआ है और जहां पर १ लाख ६५ हजार आदमियों ने काम किया है यह सब ग़लत है। कम्यूनिटी प्राजेक्ट में जो जीपें खरीदी गयी हैं उनका इस्तेमाल बाजार से तरकारी लाने में और मुर्गी का अंडा खरीद कर लाने में किया जाता है। तो इस तरह से सबको ग़लत बात बतलायी जाती है, लोगों को धोखा दिया जाता है। मैं गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूं कि वह हमारे साथ चल कर देखें कि कहां यह काम हुआ है मेरे इलाके में चल कर देखें। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जनता को धोखे में न डाला जाय। मैं काम करना चाहता हूं। उस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मैं मेम्बर हूं उसकी ६ मीटिंग्स हुई लेकिन प्लानिंग आफिसर ने आज तक मुझे नहीं बुलाया। आप समझ सकते हैं मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कैसे काम हुआ। यह मुझे मालूम नहीं लेकिन उन्हीं का स्टेटमेंट निकलता है अखबारों में कि १६५ हजार आदमियों ने मेरे जिले में काम किया है। कहा जाता है सात लाख में से तीन लाख की आबादी के इलाके में १ लाख ६५ हजार आदमियों ने काम किया है। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे इलाकें में किसी ने फावड़ा तक नहीं छुआ। काम हुआ ही नहीं। कालेज सब बन्द थे, स्कूल सब बन्द थे वहां पर जाड़े की छुट्टी थी। तो यह जो झूठी खबरें अखबारों में छापी जाती है उनसे बेकारी का प्राबलम साल्व नहीं होगा और अगर वह साल्व नहीं होगा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश खतरे में रहेगा और हिमालय का इलाक़ा ऐसा है जहां आपको सबसे ज्यादा खतरा है।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रस्ताव महामान्य राज्यपाल के संबोधन के ऊपर धन्यवाद के लिये आया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अभी अभी अपने दोस्त का व्याख्यान सुन रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जब गम्भीरता के साथ सदन में कोई काम होता है तो सदन कुछ थक जाता है और उस थकावट के बीच में थोड़ा सा मनोरंजन का सामान भी होना चाहिये। इसलिये यह जो अभी-अभी व्याख्यान हुआ हमारे विरोध में और जिसमें कि माननीय नारायण दत्त जी की शादी का भी जिक्र किया गया और हमको मिठाई खिलाने को भी कहा गया, तो मैं उनको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सीरियस हाउस में एक हंसी की लहर दौड़ा दी और इससे वह जो थकावट आ गयी थी वह थकावट दूर हो गयी। अक्सर हम लोगों को माननीय सदस्य इस तरह से खुश करते रहते हैं। इस पर मैं अब बहस न करते हुये अपने सबजेक्ट मैटर पर आता हूं।

सब से पहले तो मुझे इस बात का फील हुआ कि लीडर आफ दि अपोजीशन ने एक अजीब सी बात यहां पर प्रस्तुत कर दी और वह बात यह है कि आपने जो प्रस्ताव रखा है उसमें एक अजीब संशोधन रखा है कि उसमें इस बात का कतई जिक्र नहीं है कि इस प्रान्त की जो रियाया है वह दुःख से पीड़ित है भय उसको है, उसका शोषण है, अत्याचार उसके ऊपर हो रहा है इसका जिक्र कत्तई नहीं किया गया।" मै ज्यादा बोलता भी नहीं लेकिन मैं इसलिये बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इस तरह के शब्द जिस वक्त पेपर में निकलेंगे और जहां विदेशी लोग पढ़ेंगे तो वह हमारी है गवर्नमेंट को क्या कहेंगे। वह यहीं कहेंगे कि वास्तव में हमारे सूबे में एक बड़ी गड़बड़ी फैली हुई क्योंकि अपोजीशन के लीडर ने इस तरह का एक प्रस्ताव सदन में पेश कर दिया जो कि हम महामान्य राज्यपाल के भाषण के समर्थन में पेश करना चाहते थे। मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये से कि भय क्यों होता है। जवाब तो उन्होंने खुद दिया। भय वहां पैदा होता है जहां अभाव होता है चीजों का। यह लाजिक मेरी समझ में नहीं आयी। मैं बताता हूं कि भय कहां पैदा होता है। भय वहां पैदा होता है जहां पर सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी कहां नहीं होती, जहां ला ऐंड आर्डर मैनटेन नहीं किया जाता।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि भय वहां होता है जहां कि सिक्योरिटी नहीं होती और सिक्योरिटी वहां नहीं होती जहां कि ला ऐंड आर्डर मेंटेन नहीं किया

जाता । मैं इस चीज को सुनकर चकित रह गया। मैं तो यह समझता था कि शायद ला ऐंड आर्डर मेंटेन करने में जितना हमारे देश ने किया है या हमारे सूबे ने किया है। उतना शायद एशिया के किसी मुल्क ने नहीं किया है । प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणाम्। हम देखते हैं सीरिया की हालत, हम देखते हैं अफगानिस्तान की हालत, हम देखते हैं इरान की हालत, हम देखते हैं इजीप्ट की हालत, हम देखते हैं पाकिस्तान की हालत, बर्मा की हालत, चीन की हालत, फारमूसा की हालत हम देखते हैं फारमोसा और चीन को । हमें इसके साथ ही साथ यहभी देखना चाहिये कि हर एक देश के अन्दर क्या भावना है । वहां की सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं और परेशान हो रही हैं । आज कोई गवर्नमेंट आती है तो कल दूसरी गवर्नमेंट आती है। कल वहां गोली चलती है तो परसों क्रांति होती है। चाहे अपोजीशन के नेता ने उन मुल्कों की हालत को नहीं देखा है लेकिन एक आक्रमण कर दिया। मेरा दावा है कि जहां तक ला ऐंड आर्डर का संबंध है मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष में जिस हालत में ला ऐंड आर्डर मेन्टेन किया गया है ऐसा दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है। लीडर आफ अपोजीशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भय और आतंक का राज्य है। मैं नहीं समझता कि अगर यहां भय और आतंक का राज्य है तो कौन सा देश है जहां भय नहीं है। ऐसे भी मुल्क हैं जहां लोगों को बिना ट्रायल के जेलों में बन्द कर दिया जाता है और कोई उनकी खबर लेने वाला ही नहीं है। ऐसे भी मुल्क हैं जहां अदालतें नहीं हैं। ऐसे भी मुल्क हैं जहां सत्य और असत्य में कोई भेद नहीं है। ऐसे भी मुल्क हैं जहां बिना कसूर फांसी पर लटका दिया जाता है और जान से मार डाला जाता है। उन मुल्कों की नजरों में यह कोई बुरायी नहीं है। लेकिन जो इतिहास के पढ़नेवाले स्टुडेंट्स हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यह सब दिखाने के दांत और खाने के और होते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप भय और अभय का जिक्र करते हैं, जहां आप यह कहते हैं कि किस देश में भय है और किसमें जुल्म हो रहा है तो आप को दायें-बायें , आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब दिशाओं पर नजर डालनी चाहिये और तब भगवान को साक्षी देकर आप कहिये कि अपने देश के प्रति आप न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। हमारे लीडर आफ अपोजीशन ने जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं कहा है। एक फ़ारमैलीटी के तौर पर उन्होंने कहा है क्योंकि उनको कुछ न कुछ तो कहना ही होता है। चूंकि सम्बोधन में कहा गया था कि हम अभय की ओर जा रहे हैं इसलिये उसके जवाब के लिये उन्होंने समझा कि उन्हें कहना चाहिये कि हम भय में हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा उनके दिमाग में कोई चीज नहीं है। यह मैंने इस संशोधन की खिलाफ़त की है और उसके बारे में दो चार शब्द कहे हैं।

जहां तक संबोधन का संबंध है इसमें यह है कि किसी सम्बोधन में तमाम बातें नहीं आ सकती हैं। केवल वही बातें दी जाती हैं जो मुख्य होती हैं और कुछ ऐसी बातों की तरफ भी इशारा होता है जिनको सरकार करना चाहती है और जो आगामी वर्ष में या इस वर्ष में सरकार करने जा रही है। धन्यवाद का प्रस्ताव तो पास होता ही है लेकिन जरूरी बातें अवश्य आनी चाहियें उसको भी अगर प्वाइंट कर दिया तो ठीक होता है लेकिन उसमें हमेशा याद रखना चाहिये कि ऐसे सम्बोधनों में जब कभी कोई संशोधन लाते हैं तो वे उसूल के मातहत होने चाहिये। किसी विशेष चीज के लिये हम नहीं ला सकते। अगर स्ट्राइक्स का जिक्र आप को करना है और आप सरकार की नीति से सहमत नहीं हैं तो आप कहिये कि वह ग़लत है लेकिन यह तो बड़े ताज्जुब की बात है कि सरकार की नीति पर हमला भी नहीं करते, दिल में खुश भी होते हैं कि ऐसी स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिये और सरकार की नीति ठीक है और सरकार खूब तगड़ेपन से काम ले रही है लेकिन जब जो स्ट्राइक करने वाले हैं उनकी तरफ आते हैं तब आप परेशान हो जाते हैं और आप का दिल गुदगुदाने लगता है और आप उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं । तो यह दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। आज देश के हर कोने कोने से आवाज निकलती है लैक्जिटी के बारे में, सरकार की लीनियेंसी के बारे में। जहां कहीं सुनिये यही सुनायी देता है कि सरकार जोर के सामने झुक जाती है और जहां दबना नहीं चाहिये वहां भी सरकार दब जाती है। और अगर सरकार कहीं पर जरा तगड़ेपन से काम लिया, सख्ती से काम लिया तो आप उल्टे चिल्लाना

[श्री नौरंगलाल]

शुरू करते हैं कि सख़्ती की जा रही है। अगर आप सरकार की नीति स विरोध करते हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं तो साफ कहिये। आज कौन ऐसा है जो विशेष व्यक्तियों के विशेष सवालों से हमदर्दी नहीं रखता। मान लिया कि पटवारियों का एक छोटा सा तबका, है मानलिया कि उसने ग़लती की लेकिन सरकार के सामने जब इस्तीफे आ गये तो सरकार के सामने और रास्ता ही क्या है वह कैसे कह सकती है कि हम नहीं मंजूर करेंगे। हां उसके लिये आप सजेशन्स दे सकते थे कि अगर उन्होंने ग़लती से कोई काम कर दिया तो वह माफी के क़ाबिल हैं और सरकार उनको माफ कर सकती है और अगर कोई पटवारी अपना इस्तीफा वापिस लेते हैं तो सरकार को उनको मान लेना चाहिये। और उनके साथ भी वही बर्ताव करना चाहिये जो अपने निजी अफसरों के साथ करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो संबोधन इस हाउस के सामने महामान्य राज्यपाल जी ने किया था और उसके प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसपर मैं इस बात को कहने आया हूं कि जो दो तीन बातें इस सरकार ने की हैं उन सब का जिक्र इसमें है। पंचसाला योजना का उसमें जिक्र है, इर्रीगेशन का उसमें जिक्र है, एजूकेशन का उसमें जिक्र है, डेवलपमेंट का उसमें जिक्र है, रिहैबिलिटेशन का उसमें जिक्र है और मैं नहीं समझता हूं कि कौन सी बात ऐसी इसमें रह गयी जो आ सकती थी इसमें नहीं आयी। छोटे से संबोधन में इनके अतिरिक्त कौन सी चीज और लाई जा सकती थी जो नहीं लाई गई। इसके शब्दों में मत जाइये, इसमें जो अर्थ है, जो एनर्जी है, उसका जो लगाव है जो कार्य सरकार ने किया है उसको देखना है। जिन कार्यों को हमने और सरकार ने ईमानदारी से दिल लगाकर लगन के साथ, देश के प्रति वफादारी से किया, २४ घंटे जागकर अपनी सैक्रिफाइस की, फेमिलीज की सैक्रिफाइस की और बारह घंटे बैठकर कानून बनाने और उनको कार्य रूप दिया उसके लिये तो वाकई सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिये। और अगर आप समझते हैं कि हमने धोखेबाजी की है और हमने, हमारी सरकार ने, देश के साथ गद्दारी की है तो आप हमको कंडम कीजिये, हमारी सरकार को कंडम कीजिये लेकिन मैं तो कम से कम इस सदन की ओर से सरकार को धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ महामान्य राज्यपाल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा उचित संबोधन इस सदन में किया और साथ ही साथ इसीलिये जो दुब्लिश जी ने प्रस्ताव किया है उसका इन शब्दों के साथ समर्थन भी करता हूं।

जय हिंद !

श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी के भाषण में पैरा ९ और १० बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनमें सामूहिक विकास योजना और मानव शक्ति द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम से ग्रामों के विकास की बात कही गई है। निस्संदेह हमारे इस सप्ताह में बहुत ही अच्छा काम हुआ है और विशेषकर हमारे सुल्तानपुर जिले में तो एक लहर सी दौड़ गई और उसके परिणाम स्वरूप साढ़े नौ मील लम्बी सड़क २४ तारीख को बन गई और जिसके उद्घाटन में माननीय पंत जी गये थे। अभी श्री रामसुन्दर जी ने इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला और यह बतलाया कि अखबारों में इसके विषय में चर्चा है कि वह गलत बनाई गई है, जबर्दस्ती बनाई गई है, इसमें लोगों पर प्रशर डाला गया है और पुलिस द्वारा आदमियों को पकड़ कर लाया गया है।

अखबारों में जो चर्चा है उसके बारे में एक इतिहास है कि हमारे यहां सुल्तानपुर में एक सज्जन श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं जो बहुत दिन पहले इस बात के प्रयत्न में थे कि उनको कांग्रेस टिकट मिल जाय और वह विधान सभा के सदस्य हो जायं। जब वह इसमें असफल हुये तभी से वह इस चेष्टा में रहते हैं कि सरकार के हर काम की आलोचना की जाय और इस सदन में जितने माननीय सदस्य हैं वह सब अयोग्य हैं, ऐसा बतलाया जाय और सभी योजनाओं के असफल होने का दोष उनके ऊपर लगाया जाय। इसी प्रकार का एक और लेख उन्होंने अभी हाल ही में लिखा है।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सड़क जो साढ़े नौ मील लम्बी बनी बताई जाती है वह वास्तव में २२ मील लम्बी बनी है। लेकिन इसके देखने से ऐसा मालूम न हो कि बहुत ज्यादा काम हो गया है, गलत होगा। इसलिये केवल साढ़े नौ मील सड़क पंत जी को दिखाई गई है और हमारे ग्रामीण भाइयों ने इस तरह से काम किया है जिसे देख कर सभी के हृदय आनन्द से गदद्गद हो जाते हैं और उत्साह से विभोर हो जाते हैं।

मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि जिस समय इस सड़क का काम शुरू हुआ तो हजारों लोग फावड़ा लेकर उस जगह पर आये और खोद खोद कर काम किया। केवल जनता ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी भी इसमें साथ थे। सब को सड़क बांट दी गई थी कुछ पुलिस को कुछ अध्यापकों को, कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को और उसका बहुत बड़ा हिस्सा जिला कांग्रेस कमेटी को मिला था। यही नहीं सोशलिस्ट भाई भी इसमें शामिल थे प्रजा प्रार्टी के नाते उसके अध्यक्ष आये थे और उन लोगों ने काम किया था । किसी को शिकायत नहीं हुई कि गलत काम किया गया या कोई प्रेशर किसी पर डाला गया। केवल श्री रामनरेश त्रिपाठी जी को शिकायत है जो कि शायद उस स्थान पर गये तक नहीं। मैं इस बात का दावा करता हूं कि वह वहां नहीं गये और घर बैठे बैठे उन्होंने एक लेख निकाल दिया। इस तरह से यह एक ही सड़क नहीं बल्कि और तहसीलों में भी बनीं। एक ७ मील लम्बी सड़क बनी और कादीपुर में ३ मील लम्बी सड़क बनी इन सब के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया। इसका कारण यह है कि वह पंत जी को उस स्थान पर लाकर थोड़ी सी प्रशंसा चाहते थे और अखबारों में नाम निकलवाना चाहते थे इसलिये इसमें एक चीज उन्होंने लिख दी। निस्संदेह जिस प्रकार की सामूहिक विकास योजना चल रही है और उसमें पी० आर० डी० के लोग, पंचायत के लोग और आफीशियल्स और नान आफीशियल्स लोग सब मिल कर काम कर रहे हैं अगर यही रवैया रहा तो थोड़े ही समय में जिस तरह से कि हम अपने प्रदेश को उन्नतिशील देखना चाहते हैं वह जमाना हमारे सामने आयगा और हम लोग रामराज्य की स्थापना अपनी आंखों से स्पष्ट देखेंगे।

हमें माननीय राज्यपाल जी के भाषण में एक बहुत ही सुन्दर चीज गांवों के विकास की दिखाई पड़ी और वह है चकबंदी। निस्संदेह इस समय हमें खेती की उन्नति के लिये बहुत ही तत्परता से काम करना है उस समय में अगर यह चकबंदी हो रही है तो इससे खेती के उन्नति के एक काम की बड़ी भारी पूर्ति हो जायगी। इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है वह यह है कि हम किसानों के खेतों को जब इकट्ठा करें तो हम यह देखें कि कहीं-कहीं समस्या यह है कि कुछ हिस्सों में ऐसे खेत हैं जहां केवल जड़हन और धान ही पैदा होता है कुछ ऐसे हैं जिनमें गेहूं हो सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें मटर और चना हो सकता है। इस प्रकार की अलग अलग भूमि है तो बटवारे के समय यह ध्यान रखना होगा कि बटवारा इस प्रकार से हो कि हर आदमी को उसके गुजारे के काबिल जमीन मिल जाय और वह भी करीब करीब उसकी जमीन के मूल्य के बराबर हो। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम अपने गांवों की तरक्की और विकास इस प्रकार से करें जिससे धन की ज्यादा आवश्यकता न हो। और उस धन की पूर्ति हम मानव शक्ति से करें। इस मानव शक्ति में एक ही तरीका काम कर रहा है और वह सच्ची लगन है। इसमें हम देखते हैं कि स्त्रियों ने भी बड़ा योग दिया है इसलिये इसके साथ ही साथ हमें ऐसी योजनायें भी रखनी चाहिये जिससे हमारी महिलाओं को प्रोत्साहन मिले और उनका उत्साह अधिक से अधिक बढ़ सके। बच्चों ने भी इसमें बहुत अच्छा कार्य किया। प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाईस्कूल के बच्चों ने इसमें बहुत काम किया। माननीय पंत जी जब गये थे तो बच्चों ने सड़क बनाई थी उसको देख कर उनके उत्साह को बढ़ाने के लिये उन्होंने जूनियर हाईस्कूल का निर्माण कराया और ऐरोड्राम की जो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी उसको दे दिया। इस प्रकार के

[श्री गुरुप्रसाद सिंह]

काम से बच्चों का उत्साह बहुत बढ़ता है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अध्यापकों ने कार्य किया है वह भी सराहनीय है। मैं देखता हूं कि हर डिपार्टमेंट के आदमियों ने खासकर पुलिस विभाग के आदमियों ने इसमें बहुत प्रशंसनीय कार्य किया उनको खास तौर से ऐसी जगह दी गयी थी जहां पानी भरा हुआ था। २५ तारीख को १० बजे जब मैं वहां गया था वहां पानी भरा हुआ था लेकिन जब पंत जी वहां दो बजे पहुंचे तो समय उस समय वहां पर एक सुन्दर सड़क बनी हुई पायी गई। इस प्रकार से उत्साह पूर्वक कार्य किया गया। इसके बारे में अखबारों में भी निकला और माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर छींटे उछाले। उसके बाद हमारे सदन के एक माननीय सदस्य श्री नाजिम अली ने उसका प्रतिवाद भी किया। उसको भी माननीय सदस्यों को देखना चाहिये था लेकिन मुझे दुख है हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य केवल छिद्रान्वेषण करते हैं, उनका काम केवल यह है कि वे कमी को सामने रखें और उत्साह न बढ़े ऐसा काम करें। यह टांग पकड़ कर पीछे खींचने वाली रिऐक्शनरी माइंड की बात है। हम लोग तो यहां सिर्फ इसलिये इकट्ठा हुये हैं कि हम राष्ट्र का निर्माण करे न कि राष्ट्र निर्माण के कार्यों को नीचे दबायें और छिद्रों को ऊंचा उठाये। अन्त में मैं माननीय राज्यपाल जी के बधाई के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं और यह आशा और भरोसा करता हूं कि जिस प्रकार की सरकार की नीति हमारे सामने है उससे हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठा सकेंगे।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल का जो संबोधन सदन के सामने हुआ है मैं उन्हें उस पर बधाई देता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने उस संबोधन को सुना है और पढ़ा है उन्हें अच्छी तरह विदित है कि वह संबोधन जिन्दगी के हर क्षेत्र को छूते हुये आगे बढ़ता है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि यह संबोधन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाक्यूमेंट है जो राष्ट्र के भविष्य को फोरशेडो करता है। जो कार्य की राष्ट्र के विकास के होने वाले हैं या हो रहे हैं उनकी एक झांकी यह संबोधन सदन के सामने प्रस्तुत करता हैं। इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने दृष्टि कोण से उसको देखा है लेकिन मेरा खयाल है कि कुछ लोगों ने इसको बहुत ही लाइटली फील किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जो प्लानिंग हो रही है इस प्लानिंग के अन्दर बहुत ही अच्छी चीजें हैं जिनके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं कि उनसे देश का विकास होगा। परन्तु हमारे देश की जनता का एक बहुत बड़ा भाग जो कि लाखों की तादाद में हैं, जिनके पास न तो शिक्षा है, न तो उनके पास तिजारत है, न उनके पास जमीन है, न वे सरकारी नौकर हैं, मुफलिसी और खानाबदोशी की स्थिति में इस प्रकार से मौत के खिलाफ लड़ते हुये गलियों कूचों और रेलवे की पटरियों पर बैठ हुये नजर आते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इसकी मदद के लिये परसुएड किया जाय। इसमें कोई शक नहीं कि संबोधन में उनके विकास के लिये काफी ध्यान दिया गया है लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस तरफ खासतौर से आकर्षित करना चाहता हूं ताकि वे नजरअन्दाज न हो सकें।

रिफ्यूजीज का जिक्र इस संबोधन में आया है और सरकार ने उनकी काफी इमदाद की है और उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु स्थिति यह है कि ये भगवान के यहां से ही रिफ्यूजी बना कर आये हैं। जिनके पास शिक्षा थी, तनदुरुस्ती थी, कपड़े थे वे कुछ रुपया ही लेकर आये। सरकार एक प्लानिंग के जरिये उनको रिहैबिलेटेट करना चाहती है और उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। परन्तु साथ ही साथ मैं इस बात को इम्प्रेस करना चाहता हूं कि वे लोग भी भारतवर्ष के नागरिक हैं और कानून के अनुसार उनको भी नागरिकता के वे ही अधिकार हैं जो औरों को हैं। खाने-पीने कपड़े, मकान, जायदाद, शिक्षा, सर्विस सब का इन्तजाम उनके लिये होना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम उनकी तरफ

ध्यान नहीं दिलाते हैं। इनकी रिहैबिलिटेट करने के लिये जो स्कीम बने उसके लिये मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं। जब तक इन लोगों की एक सेपरेट कटेगरी न हो तब तक इनका सुधार हो नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि बीस-बीस मील के बड़े बड़े जमीन के टुकड़े इनको इन्क्लोज करके इस तरीके से उनको बसायें जिससे वे आसानी से अपने जराये उपलब्ध कर सकें। जो उनके खाने-पीने की जरूरी चीजें हैं वे वहां प्राप्त हो सकें। जिस प्रकार से माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कैदियों को खोल कर उनको स्वतंत्र रूप से काम करने के लिये प्रेरित किया उसी प्रकार से उनको इज्जत की जिन्दगी बसर करनी चाहिये मैं समझता हूं कि इस तरह से उनको भी इज्जत की जिन्दगी बसर करने का मौका दिया जा सकता है परन्तु इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको बतलाऊं कि आज हमारा देश आजाद है, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है।

डेवलपमेंट के बारे मेंभी कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। परन्तु वह डेवलप्मेंट जो हमारे देश का हो सकता है वह दस साल, बीस साल के बाद हो सकता है। जिस प्रकार देश के अन्दर बसन्त ऋतु आयी, देश की जिन्दगी में नयी उथल पुथल हुई, उसके अन्दर एक नयी सुन्दरता आ गयी। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने स्वयं उसका तरफ एक जबरर्दस्त कदम उठाया है। अगर हम उसके अनुसार काम करें तो हम अपने देश को बहुत सुन्दर बना सकते हैं। अर्थात् प्राइमरी एजुकेशन पर ही सारे राष्ट्र की जिन्दगी का भविष्य निर्भर करता है। भविष्य के विकास की वही आधार शिला है। परन्तु आज वह नेगलेक्टेड है। अगर आप देहातों के स्कूलों को देखें लेकिन शिक्षा की जो प्रगति उन पाठशालाओं में हैं उसको देखकर मेरे दिल में महान् चोट लगती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो इस शिक्षा की प्रणाली को दृढ़ता के साथ कंसोलिडेट करना होगा। जब तक यह कंसोलिडेट नहीं होगा तब तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी प्रगति नहीं हो सकती है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस तरह से कि हमारी प्रगति होनी चाहिये वह नहीं होगी इसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं वह बहुत गरीब हैं और वह गरीब तबके से आते हैं वरना इस जमाने में कोई २५ रुपये की नौकरी कबूल नहीं करता। मैं आपकी मानवता से अपील करना चाहता हूं कि इस जमाने में जब कि २ आना और ३ आने में एक टी का ग्लास मिलता है आज वे पढ़े लिखे लोग राष्ट्र के निर्माता कहलाने वाले हैं उनकी जिन्दगी को आप २५ रूपये में बन्द कर देते हैं तो क्या आप इस तरह से राष्ट्र का बिकास कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि सरकार के पास रुपया नहीं है। आज सरकार आर्थिक दलदल में पड़ी हुई है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि रिजनेबिलिटी को हमें अपने दिमाग से गायब नहीं कर देना चाहिये। अपने दिमाग को सन्तुलित रखना चाहिये और हम को एक चट्टान की तरह से स्थिर खड़े रहना है और किसी भी हालत में कदम को पीछे नहीं हटाना है। मैं आपको रिसोर्सेज बताना चाहता हूं। किसी टैक्स को लगने के लिये नहीं कहता लेकिन आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि माननीय उपाध्याय जी ने जो खोखला खाका यहां पर खींचा है और इस सदन में उपस्थित किया है उसमें किसी तरह से सत्यता हो सकती है परन्तु मैं उसकी दूसरी तस्वीर जीती जागती आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे जिले गढ़वाल के अन्दर अगर जिलाधीश ने २ हजार आदमियों को बुलाया काम करने के लिये तो वहां पर ८ हजार आदमी आये। मेरे जिले के अन्दर सब मिलाकर करीब ५० मील लम्बी सड़क बनी है। मैं यह बात झूठ नहीं कह रहा हूं। कोई भी सज्जन मेरे साथ वहां तशरीफ ले चलें उनको मैं दिखलाऊं कि कितना काम वहां पर हुआ है। वह सड़क २२ फुट चौड़ी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां के लोगों ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम वहां काम करके दिखलायेंगे हम इस बात को करके दिखा सकते हैं और अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं अगर हम यह निश्चय कर लें कि हमको यह काम करना है तो फिर हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। परन्तु इतनी बात जरूर है कि सरकार का सहयोग भी उसमें हमको मिलना चाहिये। अगर सरकार भी कुछ मदद करे तो हम अपने देश से गरीबी को उखाड़कर फेंक सकते हैं और गरीबी को खत्म कर सकते हैं। आज हमारे लोगों के अन्दर उस प्रकार

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

की जागृति नहीं है जिस प्रकार की होनी चाहिये।

मैं यह मानता हूं कि प्लेनस की जो परिस्थिति है वह भिन्न है मगर फिर भी यहां पर ४३१ सदस्य जो इस सदन में हैं अगर वह इस बात पर दृढ़प्रतिज्ञ हो जाते हैं कि हमको भाग्य का फैसला करना है और आगे बढ़ना है तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। मुझे दुख है कि आज लोग पार्टी के चक्कर में दबे हुये हैं और वे आज ताकत के लिये पागल हैं। यही लोग राज्य की प्रगति में बाधक हैं। मैं यह समझता हूं कि जनता के सामने आर्थिक नीति को बतलाया जाय कि इससे इस तरह से फायदा हो सकता है। अगर जनता इस बात को मानती है कि कम्यूनिज्म से ही उसका फायदा हो सकता है और वह यह चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। अगर जनता सोशलिज्म के प्रोग्राम को स्वीकार करती है तो वह बात भी मानी जा सकती है। मगर आज जो हालत है वह सब के सामने है। जनता ने जिस प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया है उस पर चलकर ही सब को सहायता करनी चाहिये और देश को आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये तो उसमें हमसे नाराज होने की क्या वजह है।

इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा मुल्क आजाद होने से आज इस देश की परिस्थितियाँ बदल गयीं हैं इससे कोईभी इन्कार नहीं कर सकता। और जितना प्रदेश हिमालय पहाड़ से मिला हुआ है, जितने पहड़ी जिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं और मेरी यह चुनौती है और चैलेंज है कि अगर कोई इन जिलों को नजरअन्दाज करना भी चाहे तो वह नजरअन्दाज नहीं कर सकता। आपको इन पहाड़ी जिलों का ख्याल करना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। आज वह सीमा प्रांत फ्रांटियर बन चुका है। इसलिये पहले तो हम इंसानियत के नाते और इंसाफ के नाते आप से अपील करते हैं, आप से दरख्वास्त करते हैं कि इन पहाड़ के लोगों को आप दूसरे प्रान्तों में न फिराइये कि दिल्ली वगैरह में जा कर बर्तन मलें। क्या आपको इससे खुशी होती है? मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में नहीं है जो किसी की मुसीबत पर, किसी की गरीबी पर खुश होता हो। केवल एक शैतान खुश हो सकता है और मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई शैतान है नहीं। मैं समझता हूं कि सरकार धन्यवाद की पात्र है कि हमारे पूर्वी जिलों की जो बिगड़ती हुई परिस्थितियां थीं उनको उसने संभाला है और उस क्षेत्र के विकास को दृढ़ता के साथ करने के लिये वह कटिबद्ध है। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि इन पहाड़ी जिलों की ओर भी ध्यान देना चाहिये और जो हमारी मातायें और बहनें कैंती, सब्बल और दूसरे दूसरे हथियारों को लेकर पहाड़ों को काट कर सड़कें बनाती हैं उनके साथ हमदर्दी करने की जरूरत है। मैं पूछता हूं कि क्या इस सदन का यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि कम से कम अपनी हमदर्दी का संदेश तो उन तक पहुंचावें? इतना ही इस सदन से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और उन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल को धन्यवाद देने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल के प्रति उनको धन्यवाद देने के लिये जो प्रस्ताव रखा गया है उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। इस विषय पर काफी वादविवाद हो चुका है और विरोधी दल की ओर से काफी टिप्पणियां भी हो चुकी हैं। श्रीमान् मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने हमारी प्रान्तीय सरकार के साल भर के शासन का जैसा चित्र खींचा है और भविष्य में जो कार्यक्रम है उसके सम्बन्ध में जो कहा है वह बहुत ही संतोषजनक है। यह स्पष्ट है कि आज हमारी समस्यायें भिन्न प्रकार की हैं और उनका समाधान ऐसा नहीं हो सकता जिसका कि यकायक प्रदर्शन हो लेकिन धीरे धीरे राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। और राष्ट्रीय निर्माण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी-अपनी जगह पर हो रहा है। अगर विरोधी दल के मेरे मित्र यह समझते हैं कि इसमें भी कोई जादूगरी का प्रयोग किया जाय जैसे कि मदारी तमाशा दिखाता है कि थोड़ी देर में बीज से

पौधा हुआ, बढ़ा और १५ मिनट में उसमें फल भी आ गये तो यह अवश्य है कि इस प्रकार का चमत्कार यहां नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्रान्त में सभी क्षेत्रों में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे पशुओं की नस्ल को ठीक करने का क्षेत्र हो, चाहे बिजली के विकास का क्षेत्र हो, चाहे नहरों का क्षेत्र हो, चाहे खाद के बनाने का क्षेत्र हो, चाहे नलकूपों के बनाने का क्षेत्र हो ये अपने अपने स्थानों पर बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर आप सन् १९५१ के आंकड़े से १९५२ के आंकड़ों को मिलायेंगे तो हर जगह इसमें "वृद्धि हुई" है दिखायी देगी। यह अवश्य है कि हमारी समस्या कठिन है भी। मेरे मित्र मदनमोहन उपाध्याय जी ने कहा कि हममें इतनी शक्ति नहीं है कि हम अधिक टैक्स दे सकें। लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि आज हमारे सामने तरह तरह की समस्याएं आ गयी हैं। बेकारी हमारी बढ़ रही है और पढ़े लिखे लोग अधिक संख्या में बेकार हैं। हमको अपने खाद्य पदार्थों में वृद्धि करनी है। लेकिन उनके कहने से ही यह प्रतीत हो जायगा कि केवल टिप्पणी करने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। श्रम से इन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अभी अभी, कुछ ही काल पहले श्रमदान का रूप जो हमारे सूबे ने दिखाया है वह बहुत ही संतोषप्रद है और उसने हमको दिखा दिया कि हममें चाहे जितने अभाव हों लेकिन अगर हम अपनी जन शक्ति का उपयोग अच्छी तरह से करें तो हम अपनी समस्या को हल कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही सरकार इसके सम्बन्ध में एक योजना बनायेगी और उस योजना के अन्तर्गत अच्छी तरह से कार्य हो सकेगा। मेरा अपना अब भी खयाल है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जहां श्रम बहुत मिल जायगा। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ टेक्निकल सहायता, या जैसे सड़कों के लिये कंकड़ों की सुविधा होनी चाहिए, ओवरसियर की उनको मदद मिलनी चाहिये। अगर इस प्रकार से योजना बनेगी तो हर क्षेत्र में थोड़ी सी सहायता से हमको ज्यादा लाभ हो सकेगा।

मेरे मित्र राजनारायण जी ने अपने संशोधन में कहा कि आज शासन में शोषण है और उससे जनता भयतीत हो रही है। मेरा अपना तो ख्याल यह है कि आज जनता का भयभीत होना तो दूर रहा जितना उसको शासन से भयभीत होना चाहिये आज उसमें भय का भी अभाव है क्योंकि कोई भी शासन नहीं चल सकता जब तक कि जनता का उस शासन के प्रति सम्मान न हो। आज देखने में आ रहा है कि आये दिन भूख हड़ताल हो रही है। कहीं सरकार कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, कहीं मेहतरों की हड़ताल हो रही है, कभी पटवारियों की हड़ताल हो रही है। उस पर फिर यह कहना कि आज जनता भयभीत है तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि यह तो कोई भय का प्रदर्शन नहीं है। किसी भी समाचारपत्र को आप उठा लीजिये उसमें जिम्मेदारान टिप्पणियों को छोड़ कर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों का अभाव नहीं। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्या टिप्पणियों से बचता है? किससे जनता को भय है? क्या प्रान्त के मंत्रिमंडल से भय है। अगर इस प्रकार का भय है तो उसका प्रदर्शन आज सम्भव है कि माननीय राजनारायण जी ही अनुभव करें लेकिन जनता में आज उसका अभाव है। बल्कि मैं तो यह चाहूंगा कि शोषण तो एक दूसरी बात है और शोषण का अर्थ जिस प्रकार से किया जाता है उसका भी तो कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन राज्य के शासन के लिये जितना मान होना चाहिये और जनता में जितना डिसिप्लिन होना चाहिये आज उसका अभाव है और अगर विरोधी दल के मेरे मित्र चाहते हैं कि वह शासन को और सुन्दर बनायें तो उनको चेष्टा करनी चाहिये कि जनता में जो अभाव है वह कम हो और उसकी पूर्ति हो।

अध्यक्ष महोदय! बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। अभी साल का बजट आयेगा और बहुत सी समस्याएं फिर आयेंगी और इस सदन को अवसर फिर मिलेगा कि वह पिछले साल के कार्य के ऊपर अपना विचार करे।

[श्री शिवनाथ काटजू]

मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ माननीय राज्यपाल ने जो कहा है उसके लिये उनको बधाई देता हूं।

एक छोटी सी बात इस सदन के सामने मैं रखना चाहता है। श्रीमान् राज्यपाल ने कहा कि कैदियों के प्रति व्यवहार के मामले में सुधार होता आ रहा है। इस सरकार ने पिछले साल कैदियों के साथ सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्य किया है और कैदियों के श्रम का भी आज सुन्दरता से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मैं एक विशेष बात पर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इस प्रान्त में कुछ राज्यवंश के राजबन्दी हैं और प्रत्येक राज्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उन राजबन्दियों के साथ अच्छा व्यवहार हो। मेरा संकेत लखनऊ के जूलाजिकल गार्डेन के शेरों से है। मैं रोज देखता हूं और मेरा अपना अनुमान है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। मैंने पता लगाया कि उनको केवल सात सेर मास रोज दिया जाता है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रम धन वे बिल्कुल नहीं देते।

श्री शिवनाथ काटजू—और सप्ताह में एक दिन उनको लंघन कराया जाता है। और जगहों केबारे में भी मुझे मालूम हुआ। रीवा में १० सेर रोज दिया जाता है। गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राज्य का यह धर्म हो जाता है कि इस प्रकार के जो राजबन्दी हैं और वह तो ऐसे हैं जो बोल भी नहीं सकते लेकिन राज्यवंश के हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो सम्बोधन इस भवन में किया है उसकी निस्बत कई दृष्टिकोण, बहुत सी बातें, कही गयी हैं। असल में राज्यपाल की हमारे ऊपर एक तरह से बड़ी मेहरबानी है कि वह साल में एक आध बार जब मौका लगता है, अपने विचारों को लेजिस्लेचर के, दोनों हाउसेज के सामने प्रकट कर देते हैं। साधारणतया यह सम्बोधन इसलिये होता है कि दोनों भवनों ने पीछे कैसा काम किया है। आया कि उसमें कुछ सुधार की गुंजायश थी या नहीं थी और मुख्यतः इसलिये कि उन्हें आइंदा क्या क्या काम करना है। यही कारण है कि दोनों भवनों के सदस्यों को एकत्रित करके राज्यपाल महोदय अपना भाषण देते हैं ताकि लेजिस्लेचर के मेम्बर्स को यह पता लग जाय कि उन्हें आइंदा क्या क्या करना है।

जिस कार्य की तरफ राज्यपाल जी ने अपना संकेत किया वह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और वह है चकबन्दी का कानून जो हमारे सामने विचार के लिए आने वाला है और जिसे हमें पास करना है। चकबन्दी हो जाने से एक बहुत बड़ा इस सूबे का कल्याण होने वाला है वह हमारे सब के सामने है और जमींदारी अबालीशन हो जाने के पहले जिस कार्य को करने के लिए लिया गया था लेकिन उसमें कुछ कठिनाई पैदा हुई और इसलिये उस कार्य को जमींदारी अबालीशन होने के बाद रखा गया। अब समय आ गया है कि हम उसे लें। मुझे कुछ थोड़ा सा आज खेद हुआ कि जहां चकबन्दी का कानून आने वाला है और निकट भविष्य में आने वाला है, राज्यपाल महोदय के भाषण से ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद गांव पंचायतों का चुनाव, उसका कानून जो है उसमें कुछ तरमीम वगैरह होने वाली थी, गांव पंचायतों का सम्बन्ध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह से होने वाला था वह शायद नजदीक में नहीं हो रहा है। जनता को इसका इन्तजार था और वह यह देखना चाहती थी कि गांव पंचायतों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साथ क्या सम्बन्ध होने वाला है और उसका

यह भी ख्याल था कि जो कानून में संशोधन मूल ऐक्ट में लिया जाने वाला है वह शायद जल्दी आने वाला है। खैर जब समय आयेगा इसकी तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे आशा है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब कि यह काम हमें सम्पन्न करना है। जहां तक गवर्नमेंट के कार्यों की तरफ राज्यपाल जी ने हमारी तवज्जह दिलायी वह तो ऐसी चीज है कि उसे हम रोजाना देखते ही हैं। मुख्तलिफ दृष्टिकोण से उस पर विचार विनिमय करते ही हैं। वह कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जिस पर हमें कोई खास तौर से विवाद करना हो। सब को मालूम होगा कि इस सूबे में खुशहाली पिछले दिनों में काफी बढ़ी है। सब को मालूम है कि कर्जा जो सब लोगों पर लदा हुआ था खास तौर से ग़रीब लोगों पर वह आज नहीं है। सभी को विदित है कि हमको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, किसानों और मजदूरों को, हम आज भरपेट भोजन कर रहे हैं।

यह भी हम सब जानते हैं कि हमारे यहां इतने राज्य हुए, मुगल भी हुए, हिन्दू राजा भी हुए, महाभारत का काल भी आया, पृथ्वीराज का समय भी हुआ, हजार सालों के गवर्नमेंट के जमाने में भी जिन सड़कों पर हम आज चल रहे हैं, हमें कभी ऐसी सड़कों पर चलना नहीं मिला। तो क्या यह ऐसी चीज है जिसको दिखलाने की जरूरत है। ईश्वर ने हमें आखें दी हैं, उनसे हमें काम लेना चाहिए दिल दिया है उससे हमें अनुभव करना चाहिये। इसलिये कोई खास बात नहीं है कि जिसकी तरफ मुझे खास तवज्जह इस मामले में दिलाने की जरूरत पड़े। जो एक संशोधन आया उसमें कहा गया कि अछूतों की ओर हमारे गवर्नर महोदय ने संकेत नहीं किया। गवर्नर महोदय ने तो न जाने कितनी बातों की ओर संकेत नहीं किया तो फिर क्या यह समझ लिया जाय कि वह काम हुए ही नहीं। काम हुए और बहुत खूबी के साथ काम हुए। चारों तरफ इस प्रान्त ही में नहीं सारे देश में सुधार हुआ है। आज यह कहा जाता है लेकिन शायद अछूत भी यह पसन्द नहीं करता कि उसे अछूत कहा जाय। क्योंकि उनके अन्दर तालीम आ गई है, उनके अन्दर विद्या का प्रचार हो गया है, माली हालत उनकी अच्छी हो गयी है, मुंह उठा कर और सिर उठा कर वह समाज में चल सकते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है। और न जाने इस किस्म के कितने काम हमारी सरकार ने किये हैं जिनकी ओर कि गवर्नर महोदय ने संकेत नहीं किया है और न करने की आवश्यकता ही थी। मैं गवर्नर महोदय के सम्बोधन को पूरी तरह से उसका सपोर्ट करता हूं। और गवर्नर महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय हम लोगों के बीच में आकर दिया। सचमुच हम उनके बहुत आभारी हैं।

परन्तु उनको बधाई देते हुये यदि मैं एक दो मोशन्स बतला दूं तो यह शायद अनुचित न होगा। इन बातों का यद्यपि हमसे सीधा सम्बन्ध नहीं है, हाउस आफ़ दी पीपिल का है, तो भी चूंकि हम भी इस देश में रहते हैं और हर वह समस्या जिसका पार्लियामेंट को फ़ैसला करना होता है हमसे भी सम्बन्ध रखती है। हमारा भी उन बातों से सम्बन्ध है। हमारी भी राय उनमें होनी चाहिये और इसी दृष्टिकोण से मैं उन बातों को सदन के सामने रखना चाहता हूं। काश्मीर में प्रजा परिषद् का आन्दोलन है और मेरा ख्याल है कि हमें उस विषय में कुछ सोचना चाहिये। हमारा कर्तव्य है कि यह सरकार अपनी नीति द्वारा इस बात की कोशिश करे कि इस प्रकार की कोई चीज हमारे प्रदेश में न होने पावे। उससे हमारा अनहित होगा। इसी तरह से साउथ अफ्रीका की समस्या है जिसमें भी हमें कुछ करना है। पिछले दिनों हमने थोड़ी सी मदद देने की कोशिश की थी मगर मेरे ख्याल से वह नाकाफ़ी थी। हमें और कुछ मदद करने की आवश्यकता है। जो लोग वहां शिकार बनाये जा रहे हैं उसे कम करने की तरफ क़दम उठाना चाहिये। एक बात यह भी है कि कोरिया के मामले में जो चीन के मेनलैंड पर लड़ाई होने की सम्भावना है उससे हमें यह देखना है कि कहीं हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव न पड़े और

[श्री खूब सिंह]

यहां ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाय। हमें सोचना है कि कहीं हमारी इकानामिक सिस्टम खराब न हो जाय।

हमारी देहाती काटेज इंडस्ट्री को आदरणीय राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है और उस पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। यहां कहने के लिये बरतनों की कमी है परन्तु देखना यह है कि इससे हमारे इकानामिक सिस्टम पर कितना असर पड़ता है। मिट्टी के बरतन हमारे यहां बहुत हैं जो हमारी जरूरत के लिये काफी होते हैं। तो इस तरह की काटेज इंडस्ट्री का नाम लेकर जो काम हम कर रहे हैं मेरे ख़याल से वह उस हद तक नहीं जाता जहां तक जाना चाहिये। इसी तरह से कारपेंट्री और कपड़े का काम है। हमारे खादी के कपड़े का कोई खरीदार नहीं है। हमारी सरकार ने कपड़ा बुनने के लिये काफी पैसा खर्च किया है। काटेज इंडस्ट्री की बात को यदि हम नये सिरे से नहीं सोचेंगे तो चाहे हम इस पर कितना भी पैसा खर्च करें वह बिल्कुल फेल्योर होगा। और वह इसलिए फेल्योर होगा कि उस वक्त तक काटेज इंडस्ट्रीज में हमें सक्सेस हासिल नहीं हो सकती जब तक कि जो लोग सामान तैयार करते हैं उनके बिकने का कोई प्रबन्ध सरकार नहीं करती और वास्तविक बात यह है कि राज्य सरकार के हाथ में यह बात है भी नहीं। लेकिन फिर भी यह मजबूरी की हालत होते हुए भी सरकार को चाहिये कि वह इस बात की कोशिश करे कि काटेज इंडस्ट्रीज को अपने परिश्रम से और अपने पैसे से वह जितना फ़ायदा पहुंचा सकती है दिलाने की कोशिश करे। साथ ही साथ जो चीजें तैयार हों उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने धन से खरीद लें और फिर उसको बेचें। जैसे मान लीजिये कि बटन हैं तो कोई ऐसा सिस्टम वह निकाले कि इस देश में जो रहने वाले लोग हैं वे सब लोग इसको खरीदें और जो नहीं भी लेते वे भी लें। ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिये और अगर माइण्ड ऐप्लाई किया जाय तो ऐसा तरीका जरूर निकल सकता है। जबतक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक यह मामला हल नहीं होगा।

अन्तिम बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि काश्तकारों को आप तरक्की दे सकते हैं उनकी पैदावार को बढ़वा कर और इसी तरह से सर्विस वालों को तरक्की दे सकते हैं उनकी पे बढ़ाकर और दूसरी सहूलियत दे कर लेकिन मजदूर क्लास के जो लोग हैं जिसको हम चाहते हैं कि स्माल इंडस्ट्रीज को करें तो जब तक हम उनकी हालत नहीं सुधारेंगे तब तक हमारे जितने ये प्रयत्न हैं सब बेकार हो जायेंगे और हमारे माथे पर यह लांछन बराबर लगा रहेगा कि हमने उनके लिये कुछ नहीं किया। उनके लिये हमें उन लाइन्स पर सोचना पड़ेगा जिनको आज मैंने भवन के सामने दिया है और अगर हम वह नहीं करेंगे तो हमारा काटेज इंडस्ट्रीज का प्रयास फेल्योर होगा।

इन अल्फाज के साथ मैं गवर्नर महोदय को उनके भाषण के लिये बधाई देता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ फ़रवरी, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

गैलन	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग-स्त	सित-म्बर	अक्टू-बर	नवं-म्बर	दिस-म्बर	जन-वरी	फर-वरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग-स्त	सित-म्बर	अक्टू-बर	नव-म्बर	दिस-म्बर	विवरण
	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	
यू० एस० जे० ५१५८ स्टेशन वैगन गैलन	२८	२८	४२	३१	६५	३६	३६	२२	१४	१६	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	२		दिनांक २८ दिसम्बर, १९५१ ई० को जिला सूचनाधिकारी लखनऊ को प्रचार कार्य के लिये भेजी गई थी।
यू० एस० जे० ७०७२ लैण्ड रोवर	२९	२४	२०	..	..	..	१२	२	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	दिनांक ४ अक्टूबर, १९५१ ई० को जिला सूचना अधिकारी शाहजहांपुर के पास प्रचार कार्य के लिये भेज दी गई थी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गैलन	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग- स्त	सित- म्बर	अक्टू- बर	नवं- म्बर	दिस- म्बर	जन वरी	फर- वरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग- स्त	सित- म्बर	अक्टू- बर	नव- म्बर	दिस- म्बर	विवरण
	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५१	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	१९-५२	
यू० एस० जे० ८९९६ पिक अप	१६	६८	३९	५४	३६	५०	२७	६०	२४	८	१३	४	४	..	..	..	..	..					दिनांक २ अप्रैल, १९५२ ई० को जिला सूचना अधिकारी देहरादून के पास प्रचार कार्य के लिये भेज दी गई थी।
यू० ए० जे० ३३९८ वान	..	..	२०	२०	८	..	२६	२०	३२	१६	१४	४	१२	१९	४४								अब सामूहिक श्रवण योजना के सम्बन्ध में काम हो रही है।
यू० एस० जे ३५११ वान	..	..	१	१९	१४	४३	..	४	..		४	..	४६	५०									" "
यू० एस० जे ९६४८ पिक अप	..	..	१६	८२	३६	४३	६२	५६	५८	६२	७०	७६	६४	५७									" "
यू० एस० ज० ९८९३ पिक अप	..	..	२४	४०	१६	२४	२४	३८	६०	६०	६२												" "

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर)

तालिका १

वित्तीय वर्ष १६५२–५३ में गोरखपुर डिवीजन में सीमेण्ट कांक्रीट ट्रंकवेज बनाने के लिये बजट में अनुदान तथा उस पर वर्ष में अनुमानित व्यय का विवरण।

जिला	बजट १६५२–५३ में अनुदान स्वीकृत	वित्तीय वर्ष १६५२–५३ के अन्त तक अनुमानित व्यय
	रु०	रु०
गोरखपुर	५,२८,४००	७२,०००
देवरिया	८,४६,०००	२,६७,८००
बस्ती	४,८६,५००	१,६७,०००
योग ..	१८,६०,६००	५,०६,८००

तालिका २

सीमेन्ट कांक्रीट ट्रंकवेज कार्य निर्माण की प्रगति नवम्बर, १६५२ के अन्त तक।

जिला	सी० सी० ट्रंक का नाम	लम्बाई	मिट्टी डालने का कार्य	पुल और पुलियां	कंकड़ बिछाई	पिटाई सीमेण्ट कांक्रीट
गोरखपुर	१—सिसवा हाता	३०	०	२	०	
	२—सिसवा हवाली	२	०	२	०	
	३—सिसवा शिवदत्ता चोपार	३	०	२	४	

जिला	सी० सी० ट्रैक का नाम	लम्बाई	मिट्टी डालने का कार्य	पुल और पुलियां	कंकड़ बिछाई	पिटाई	सीमेंट कांक्रीट
गोरखपुर (क्रमशः)	४—विशनपुर पकरी	६ ०	५ ०	५ ०	३ ०		
	५—पिपराइच वरगधी	५ ०	४ ४	१ ०	५ ०		
	६—पिपराइच मिल से कुसमी फार्म तक	६ ०	६ ०	..	३ ५		
	७—सराय गुलरिया तुलसीदास	५ ०	५ •	४ ०	४ ४		
	८—सोनवरसा फेंट-वाइनार	६ ४	६ ६	..	..		
	९—बेला सोन वर्षा	४ •	४ ०	..	२ ६		
	१०—फरेंदा महराजगंज	४ •	४ ०	४ •	३ ४		
	११—गौहरिया कौंसार	६ ०	६ ०	१ ०	..		
देवरिया	१—कैप्टेनगंज सिकता	६ ०	४ •	...	३ •		
	२—हाता खास से करनहा तक	२ ०	२ ०	..	२ ०		
	३—भोरगवां ट्रैक से देवरिया कसिया सड़क तक	१ ४	१ ४	...	१ ११		
	४—रामबाग से लक्ष्मीगंज तक	६ •	६ ०	..			
	५—चितौरी नौरंगीया	६ •	२ २	•	२		
	६—फैक्टरी से रत्तिसिया तक	२ ४	२ ४	१ ४	१ २		
	७—रामकोला सिंधा	६ ०	३ ०	..	..		
	८—रामकोला कसिया	६ ०	५ ०	० २	..		
	९—भटनी तुलसीबारा	६ ०	५ ०	४ ०	२ ४		

जिला	सी०सी० टुंक का नाम	लम्बाई	मिट्टी डालने का कार्य	पुल और पुलिया	कंकड़ बिछाई	पिटाई	सीमेंट कांकीट
देवरिया	१०—फैक्टरी से खिरकिया पुल तक	३ ०	२ ४ ०	१	..	..	
(क्रमशः)	११—खिरकिया पुल से पारसाई तक	३ ०	३ ० ०	१	..	..	
	१२—देवरिया पैकुली पथकौल	८ ०	८ ०	४ ०	७ ०	१ ०	
	१३—कथकुंइया गवहिया	७ १	२ ५	..	..	..	
	१४—खादा नेता	६ ०	५ ४ ०	३	..	..	
	१५—बैतालपुर हिरन्तपुर बैजनाथपुर	८ ०	८ ० ०	५ ८	०	४	४
बस्ती	१—बस्ती से मेंहदावल तक प्रशस्ति	१० ०	६ ०	..	..	..	..
	२—बस्ती से कलवरी	४ ०	..	..	..	..	..
	३—खलीलाबाद से हमेंदावल	६ ०	६ ०	..	..	..	..
	४—खलीलाबाद मुखलिसपुर	४ ०	४ ४ ०	१	..	..	
	५—वाल्टरगंज मिल से बंसी रोड के मील ६ तक	३ ४	३ ४	..	..	..	..
	६—बस्ती मेंहदावल	६ ०	६ ०	..	..	..	..
	७—बस्ती तस डोमनियांगंज	६ ०	६ ० १	०	१	१	..
	८—बस्ती से बांसी	६ ०	६ ० ०	१	..	..	..
	९—अभनन हरैया	५ ०	५ ० २	०	२	२	..
	१०—मुंडेरवा मेंहदावल मुंडेरवा लालगंज सड़क पर	६ ०	६ ० ०	३	..	..	..

पी०एल०यू०पी०—२०पी० १७१ एल०ई०—१९५३—८५० ।